लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

चतुर्थ माला

Fourth Series

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 9.1.81
Parliament Library

खंड 5, 1967 / 1889 (शक)

Volume (V), 1967/1889 (Saka)

[20 जून, 1967 से 3 जुलाई 1967 / 30 ज्येष्ठ 1889 से 12 आषाढ़ 1889 (शक)]

[June 20 to July 3, 1967/ Jyaistha 20 to Asatha 12, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)

Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 5 में अंक 21 से 30 तक हैं)

(Volume (V) contains Nos. 21 to 30)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय—सूची / CONTENTS

अंक 25, सोमवार, 26 जून, 1967/5 आषाढ़, 1889 (शक)

No. 25–Monday, June 26, 1967/Asadha 5, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या/S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
721	केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध	Centre and States Relations ..	3301–3306
722	चलचित्र उद्योग का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Film Industry	3306–3308
723	आक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी में पाकिस्तान शब्द की परिभाषा	Definition of Pakistan in Oxford Concise Dictionary	3308–3310
724	टेलिविजन सेट का निर्माण	Production of T.V Sets	3310-3313

अल्प-सूचना प्रश्न/ SHORT NOTICE QUESTION

18	आंध्र प्रदेश को माल डिब्बों की अपर्याप्त सप्लाई	Inadequate supply of Wagons to Andhra Pradesh — ...	3313-3316

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या S. Q. Nos.			
725	आयुध कारखानों में उत्पादन	Production in Ordinance Factories	3317
726	छोटे समाचारपत्रों सम्बन्धी जाँच समिति का प्रतिवेदन	Report of the Enquiry Committee on Small Newspapers	3317
727	छावनी बोर्ड	Cantonment Boards	3318
729	सिक्किम की सीमा के निकट चीन द्वारा सड़कों का निर्माण	Construction of Roads by China near Sikkim Border	3319
730	नागाओं का पाकिस्तान चले जाना	Crossing Over of Nagas to Pakistan	3319

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

731	मलावी से भारतीय व्यापारियों का स्वदेश प्रत्यावर्तन	Deportation of Indian Businessmen from Malawi	3319-3320
732	भारतीय लोगों के प्रत्यावर्तन के बारे में श्रीलंका का कानून	Ceylon Law on Repatriation of Indians	3320-3321
733	वियतनाम में विसैन्यीकृत भाग में अमरीकी सैनिक दस्तों का प्रवेश	Entry of U. S. Troops in Demilitarised Zone in Vietnam	3321
734	पाकिस्तान द्वारा सीमा पर कवच कोठरियों (पिल बाक्स) का निर्माण	Building of Pill Boxes by Pakistan on Border	3321-3322
735	आयुध कारखानों के व्यवस्थापक	Management of Ordnance Factories	3322
736	काठमंडू-कोडारी सड़क	Kathmandu-Kodari Road	3322-3323
737	इंडोनेशिया के साथ सम्बन्ध	Relations with Indonesia ...	3323
738	हैदराबाद में वायु सेना अकादमी	Air Force Academy of Hyderabad	3323-3324
739	वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पुनर्गठन	Reorganisation of External Affairs	3324
740	ताशकन्द घोषणा के बाद पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण	Air Space Violations by Pakistan since Tashkent Declaration	3324-3325
741	संयुक्त अरब गणराज्य के समाचारपत्रों में भारत विरोधी प्रचार	Anti Indian Propaganda in UAR Newspapers	3325-3326
742	विकलांग जवानों को रोजगार दिलाना	Rehabilitation of Disabled Jawans	3326
743	जोरहाट में प्रतिरक्षा कार्यों के लिये भूमि का अर्जन	Acquisition of Land for Defence use in Jorhat	3326-3327
744	इसराइल को भेजे गये विरोध पत्र का उत्तर	Reply to the Protest Note sent to Israel ..	3327

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

745	अफ्रीकी देशों में भारतीय लोगों की आस्तियां	Assets of Indians in African Countries ...	3328
746	अमरीका तथा ब्रिटेन में संयुक्त अरब गणराज्य के हितों की देखभाल	Looking after of UAR Interests in USA and UK	3328
747	एक अमरीकी पत्रिका द्वारा प्रकाशित मानचित्र	Map Published by an American Magazine ...	3328–3329
748	पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास	Indian Embassy at Peking — ...	3329
749	औद्योगिक कर्मचारियों के लिये अवकाश सुविधा	Leave Concession to Industrial Employees...	3329–3330
750	एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति	Re-employment of Emergency Commissioned Officers	3330

अता. प्र. संख्या/U.S. Q. Nos.

3574	दिल्ली छावनी में भूमिगत नाली व्यवस्था	Underground drainage in Delhi Cant ..	3330-3331
3577	हिन्दी समाचार बुलेटिन	Hindi News Bulletins	3331
3578	आकाशवाणी के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन	Memo by AIR Artistes — ...	3331–3332
3579	भारत और पुर्तगाल के सम्बन्ध	India Portugal Relations	3332
3580	स्थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना में गोआनी लोगों की भर्ती	Recruitment of Goans in Army, Navy and Air Force	3332
3581	गोआ में प्रादेशिक सेना का केन्द्र	Territorial Army Centre in Goa	3332–3333
3582	श्रीनगर हवाई अड्डा	Srinagar Airport ... —	3333
3583	विज्ञान सम्बन्धी सलाहकार समिति	Science Advisory Committee	3333
3584	प्रधान मंत्री का सचिवालय	Prime Minister's Secretariat — ...	3334

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

अता. प्र. संख्या/U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3585	मौसम के बारे में आकाशवाणी से घोषणाएं	Weather Broadcast	3334
3586	नेपाल में करनाली जल विद्युत परियोजना	Karnali Hydro Project in Nepal ..	3334–3335
3587	मंत्रियों द्वारा संसद् सदस्यों के पत्रों के उत्तर	Replies to the letter of M.Ps. by Ministers ..	3335
3588	विदेशों में प्रचार	Foreign Publicity ...	3335–3336
3589	कच्छ न्यायाधिकरण	Kutch Tribunal ..	3336
3590	नासिक स्थित मिग कारखाने के कर्मचारियों के संघ की मांगें	Demands of Employees Union of MIG Factory, Nasik	3336–3337
3591	विदेशों में रहने वाले भारतीय	Indians living abroad	3337–3338
3592	समाचार भारती के लिये देवनागरी का दूर मुद्रक (टेलीप्रिन्टर)	Teleprinter in Devnagari for Samachar Bharati	3338
3593	राष्ट्रीय छात्र सेना दल	National Cadet Corps	3338–3339
3594	नेकिड परे दर्शाई जाने के विरुद्ध अफ्रीकी विद्यार्थियों का प्रदर्शन	Protest by African students against screening of film The Naked Prey	3339
3595	राजनयिक पद	Diplomatic posts	3339-3340
3596	श्रीनगर में विद्यार्थियों की गिरफ्तारी के समाचार का प्रसारण	News Broadcast regarding Arrest of Students in Srinagar	3340–3341
3597	अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस के प्रतिनिधियों को पारपत्र देने से इन्कार	Denial of passports to AITUC Representatives	3341
3598	पासपोर्ट जारी करना	Issue of Passports	3341
3599	भारत में बने विमानों के लिये मलेशिया को ऋण	Loan to Malaysia for Indian made Aircraft	3342

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

3600	दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की नीति	Apartheid in S. Africa	3342
3601	सस्ते रेडियो का निर्माण	Manufacture of Cheap Radios ..	3342–3343
3602	हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया एच. एफ. 24 विमान का इंजन	Engine for HF 24 Aircraft designed by Hindustan Aeronautics	3343
3603	सूचना और प्रसारण कार्य के लिये राज्यों को सहायता	Assistance to States for Information and Broadcasting purpose	3343–3344
3604	प्रक्षेपणास्त्र छोड़ने का उपकरण	Device for Hitting Missiles	3344
3605	अम्बाला एम. ई. एस. कर्मचारी संघ द्वारा विरोध प्रकट किया जाना	Protest by Ambala MES Workers' Union ...	3344–3345
3606	सशस्त्र सेना सेवा का गठन	Constitution of Armed Forces Service ..	3345
3607	बर्तानिया के लिये पारपत्र	Passports for UK	3345–3346
3608	बर्मा से भारतीयों का देशप्रत्यावर्तन	Repatriation of Indians from Burma ...	3346
3609	आकाशवाणी के स्टाफ और गेस्ट आर्टिस्ट	Staff and Guest Artistes of AIR ...	3346
3610	प्रसारण कर्मचारियों तथा प्रसारण कार्यक्रम पर होने वाले व्यय के बीच अनुपात	Ratio between Expenditure on Broadcasting Staff and Broadcasting Programme ..	3346–3347
3611	प्रसारण का समय	Broadcasting Time	3347
3612	सोवियत फिल्म समारोह	Soviet Film Festival	3347–3348
3613	भोजपुरी कार्यक्रम का प्रसारण	Broadcasting of Bhojpuri Programme ..	3348

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

ता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3614	दिल्ली छावनी स्थित केन्द्रीय आयुध डिपो की कैंटीन समिति का चुनाव	Election of Canteen Committee C.O.D. of Delhi	3348–3349
3615	सी. ओ. डी. सहकारी भण्डार दिल्ली छावनी	C.O.D. Cooperative Store Delhi Cantt. ...	3349
3616	स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू का वाङ्मय	Works of the late Jawaharlal Nehru... ..	3349–3350
3617	एशिया सुरक्षा सम्मेलन	Asian Security Conference ..	3350–3351
3618	नेपाल में भारत विरोधी प्रचार	Anti Indian Propaganda in Nepal	3351
3619	पृथ्वीगंज हवाई अड्डा (उत्तर प्रदेश)	Prithviganj Airport (U.P.) ...	3352
3620	अणु शक्ति परियोजना कोटा	Kota Atomic Power Plant ..	3352–3353
3621	चीन द्वारा किये गये अण्विक विस्फोटों को दृष्टि में रखकर भारत की प्रतिरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था का पुनर्विलोकन	Review of India's Defence in view of Chinese Nuclear Explosions	3353
3623	सस्ते टेलीविजन सेट	Cheap T,V. Sets ...	3353
3624	राष्ट्रमण्डल के देशों के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन	Commonwealth Prime Ministers' Conference	3354
3625	नेपाल को सहायता	Aid to Nepal ...	3354
3626	पुरानी मुद्राओं तथा सिक्कों का मूल्य	Price of Old Currencies and Coins	3354-3355
3627	मंत्रिमण्डल के एक मंत्री का सुरक्षा परिषद् की बैठक में भाग लेना	Participation of a Cabinet Minister in Security Council	3355
3628	छावनी बोर्डों को समाप्त करना	Abolition of Cantonment Boards	3355-3356

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3629	मध्य प्रदेश के नवगांव में रेडियो	Radio Station at Navgaon, M.P.	3357
3630	सेना कर्मचारियों और संसद् सदस्यों के बीच पत्र व्यवहार	Correspondence between Armed Forces Personnel and M.Ps. — ...	3357
3631	मध्य प्रदेश में प्रतिरक्षा के कामों के लिये भूमि का अर्जन	Acquisition of land in M. P. for Defence purposes	3357–3358
3632	विंध्य सतपुड़ा पहाड़ियों में प्रतिरक्षा उत्पादन केन्द्र	Defence Production Centres in Vindhya Satpura Ranges	3358–3359
3633	कार्यक्रम सलाहकार समिति बनाना	Constitution of Programme Advisory Committee	3359
3634	मध्य प्रदेश में आकाशवाणी के केन्द्र	Radio Stations in Madhya Pradesh .. —	3359–3360
3635	पश्चिम एशिया संकट के सम्बन्ध में प्रदर्शन	Demonstrations on West Asia Trouble ..	3360
3636	पुस्तकों का प्रकाशन	Publication of Books	3360–3361
3637	भूतपूर्व सैनिक		
3638	सैनिक प्रशिक्षण के लिये भूमि का अर्जन	Acquisition of Land for Military Training...	3361
3639	पंचमढ़ी में सैनिक स्कूल	Sainik School, Pachhmarhi — ..	3361–3362
3640	आकाशवाणी से राजनैतिक प्रसारण सम्बन्धी संहिता	Code for Political Broadcast from AIR ..	3362
3641	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी खड़कवासला	National Defence Academy, Khadakvasala	3362–3363
3642	संयुक्त अरब गणराज्य तथा इसराईल के युद्ध से शिक्षा	Lessons of UAR Israel conflict	3363
3643	मेजर जनरल रिखी का वक्तव्य	Statement by Maj. General Rikhye	3363–3364

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3644	कलाकारों की भर्ती	Employment of Artists	3 364
3646	भारतीय वायुसेना के भर्ती केन्द्र	Recruiting Centres for Air Force	3364
3647	सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Official Work ... –	3365
3648	हिन्दी कक्षाओं मे जाने वाले कर्मचारियों के लिये प्रोत्साहन	Incentives for Employees Attending Hindi Classes	3365
3649	भारत का विभाजन के बाद क्षेत्रफल	Area of India after Partition	3365–3366
3650	भारतीय नौसेना के ध्वज पोत (फ्लैग शिप) की कुवैत की यात्रा	Visit of Indian Navy Flegship to Kuwait ...	3366–3367
3651	जवानों के लिए सुविधाएं	Facilities for Jawans	3367
3652	बिहार में पानी की सप्लाई के लिए सेना के ट्रक	Military Trucks for Water Supply in Bihar...	3367–3368
3653	सैनिक कर्मचारियों के लिये राशन	Rations for Military Personnel ..	3368
3654	अमरीका द्वारा पाकिस्तान को रोगाणु युद्ध सामग्री की सप्लाई	Supply of Germ Warfare Material to Pakistan by USA	3368–3369
3655	मालदीव तथा अन्य भारतीय द्वीपों में चीनी लोगों की घुसपैठ	Chinese Infiltration in Maldive and other Indian Islands	3369
3656	मैसूर में अणु शक्ति केन्द्र	Atomic Energy Station in Mysore	3369–3370
3658	अंगोला से आये हुए विद्यार्थी	Students from Angola	3370–3371
3659	आकाशवाणी केन्द्र पणजी (गोआ) के कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transfer of AIR Employees of Panaji Station	3371
	ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में प्रश्न	Re. Calling Attention Notice (Query) ..	3372–3373

लोक-सभा - वाद-विवाद

का संक्षिप्त अनुदित संस्करण

26 जून, 1967 । 5 आषाढ़ , 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
(ix)	नीचे से पंक्ति 15
3380	नीचे से पंक्ति, 11
3384	पंक्ति 15 , `उत्पादन ` के स्थान पर `उत्पादन `पढ़िये ।
3301	पंक्ति 1 , ` उपध्यक्ष महोदय ` के स्थान पर `उपाध्यक्ष महोदय पढ़िये । पंक्ति 10 , ` Mr. Speaker के स्थान पर 'Mr. Deputy Speaker ' पढ़िये ।
3305	नीचे से पंक्ति 2 , ' area ' के स्थान पर 'arena ' पढ़िये ।
3384	पंक्ति 19 , अन्त में `खंड खंड में ` के स्थान पर `खंड 2 में `पढ़िये ।

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 26 जून, 1967/5 आषाढ़, 1889 (शक)
Monday, June 26, 1967/Asadha 5, 1889 (Saka

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध

+
*721. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री महन्त दिग्विजय नाथ :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री रामावतार शर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और कुछ राज्य सरकारों के बीच मतभेद बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य प्रश्नों पर उन के बीच मतभेद है; और

(ग) इन मतभेदों को दूर करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं और उनका क्या परिणाम निकला है ?

उप मंत्री (श्रीमती सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) भारत जैसे बड़े देश में, जहां संघात्मक संविधान लागू हो, केन्द्र और राज्यों के बीच समय समय पर मतभेद प्रायः हो जाते हैं। वे पहले भी थे। अब चूंकि विभिन्न राजनीतिक दलों की राज्य सरकारें बनी हैं, इसलिये

इन मतभेदों ने स्वभावत: एक नया रूप धारण कर लिया है। उनका सम्बन्ध वित्त, खाद्य, योजना तथा राज्यों के लिये अन्य नियतनों के सम्बन्ध में होता है। यदा कदा ऐसे प्रश्नों के बारे में भी मतभेद हो जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल में 'घेराव' का मामला और आकाशवाणी की गतिविधियों का मामला। ऐसे मतभेदों को पत्र व्यवहार, पारस्परिक बातचीत या मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाता है।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know the names of the States, whose differences are increasing with the centre day by day and whether the issues involved therein are other than food etc ?

Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : Some differences have arisen out of matters like Gherao. They are only few and one difference or the other always remaining the existing differences are not such as cannot be resolved through discussions.

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether some constitutional differences are likely to come in the way while resolving these differences ? Secondly, has the Chief Minister written to the Central Govt. in regard to Naxalbari situation and requested the Centre not to send the Parliamentary delegation to Naxalbari ?

Shrimati Indira Gandhi : There are no constitutional complications. Secondly, the West Bengal Govt. have requested the Centre to give them opportunity to deal with the situation in Naxalbari. They claim that the situation is improving there.

Shri Prakash Vir Shastri : My question was whether the Chief Minister of West Bengal has sent any letter to her.

Shrimati Indira Gandhi : Yes Sir, he has written a letter to me. But it is a delicate situation.

Shri K. N. Tiwary : May I know the views of the Centre and the West Bengal Chief Minister on the situation of Gherao; whether they both hold similar views on this issue ?

Shrimati Indira Gandhi : The Chief Minister of West Bengal has told us that the situation of gherao has improved Moreover, he assured us to take into account the suggestions given by us.

Shri Raghuvir Singh Shastri : What is the policy of Central Govt. in respect of Gherao ? Do the Govt. intend to take some effective measures in consultation with the West Bengal Govt. to deal with this situation ?

Shrimati Indira Gandhi : We have hold discussions on this matter. We will have to see both the things-the reasonable demands of the workers as well as the unreasonable Gheraos.

Shri Ram Avtar Sharma : May I know whether the differences exist between the those States, where there are Congress Govts., and the Centre also ?

Shrimati Indira Gandhi : They existed in the past and they will remain in future also, till we have got the federal structure.

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार राज्यों में कांग्रेसी सरकारों का पक्ष लेती है और गैर कांग्रेसी सरकारों को खाद्य और वित्तीय सहायता से वंचित रखती है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जी, नहीं ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार ने पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल को ऐसे अनुदेश दिये हैं कि वह राज्य सरकार की उपेक्षा कर सकता है, क्योंकि हाल ही में वहां के राज्यपाल ने जिलाधीशों और पुलिस अधिक्षकों की एक बैठक बुलाई थी और राज्य सरकार की उपेक्षा की थी जिसका वहां के उप मुख्य मंत्री ने घोर विरोध किया था ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : ऐसा कोई अनुदेश नहीं दिया गया है ।

Shri A. B. Vajpayee : States have to fulfil more responsibilities while they have lesser sources of income. May I know whether some of the States have suggested that an all India Tax Council should be set up for proper distribution of income sources between the States and the Centre, the Finance Commission, which is set up after every five years, should be made a permanent body, so that the States may have more share in the income of the Centre ? If so, what is the reaction of the Central Govt. in respect thereto ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : ऐसे प्रश्न प्रायः उठाये जाते हैं परन्तु उन पर गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया जाता । सरकार ऐसा अनुभव करती है कि इन प्रश्नों को हल करना या संविधान में संशोधन करना सुगम नहीं है । ऐसे मामलों में सामंजस्य किया जा सकता है और वह सरकार बराबर करती रहती है ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या कुछ राज्य ऐसे हैं जो केन्द्रीय योजना व्यवस्था में विश्वास नहीं करते हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : सभी राज्यों ने योजना को स्वीकार किया है ।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the attention of the Deputy Prime Minister has been drawn to the statements made by the Chief Minister of Andhra Pradesh and Kerala to the effect that the existing financial arrangements between the States and the Centre are not satisfactory ? One of them suggested that a law should be made or the constitution should be amended for this purpose. If they have been received by the Govt. what is its reaction in respect thereto ?

श्री मोरारजी देसाई : इन प्रश्नों पर कई बार विचार किया जा चुका है और यह मालूम हुआ कि संविधान में संशोधन करने से राज्यों को बड़ा लाभ नहीं होगा । दूसरे संविधान में वित्त आयोग की व्यवस्था है जो प्रत्येक पांच वर्ष के बाद केन्द्र और राज्यों के राजस्व का अध्ययन करता है और विभिन्न राज्यों के लिये करों की राशि में से कुछ निश्चित राशि नियत की जाती है । इसके अतिरिक्त, योजना तैयार करते समय प्रत्येक राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है और उसी के अनुसार राज्य के लिये राशि नियत की जाती है । मेरे विचार से यह एक बहुत ही संतोषजनक व्यवस्था है ।

Shri D. N. Tiwary : Is it a fact that some noncongress Govt. in some states are blaming the Central Govt. for their failures.

श्री मोरारजी देसाई : यह स्वस्थ परम्परा नहीं है और इसके लिये राज्यों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह-कार्य मन्त्री ने कोई ऐसा वक्तव्य दिया है जिससे केन्द्र और पश्चिमी बंगाल सरकार के सम्बन्धों पर दुष्प्रभाव पड़ा है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : किसी भी केन्द्रीय मन्त्री ने कोई गलत वक्तव्य नहीं दिया है और अभद्र व्यवहार नहीं किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर पहले ही 15 मिनट दी जा चुकी हैं । यह एक बहुत ही विस्तृत विषय है । अतः मैं इसके सम्बन्ध में मैं कुछ और पूरक प्रश्नों की अनुमति दूंगा ।

Shri Sheo Narain : Ten Harijan women have been beheaded in Naxalbari, but neither the State Govt. nor Home Ministry took any action in the matter. The administration is not under their control. What do the Govt. contemplate to solve this problem ?

Shrimati Indira Ganhdi : The matter is being inquired into.

Shri Kanwar Lal Gupta : In some of the States the law and order situation is deteriorating on account of gheraos and labour troubles. The Central Govt. and the State Govts. are giving different versions of it. What is the actual position there ? What is about the Parliamentary Delegation, which was about to go ?

Shri A. B. Vajpayee : On a point of order, Sir. The Prime Minister is not competent to tell about the Parliamentary Delegation, because it is an issue relating to Parliament, So it should be referred to the Speaker.

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा का संकल्प नहीं है । यह एक सुझाव था जो गृह-कार्य मन्त्री ने उस समय मान लिया था । जब तक यह मामला संकल्प का रूप नहीं लेता तब तक अध्यक्ष महोदय का इससे सीधा सम्बन्ध नहीं जुड़ता ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अभी तक सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई भी निर्णय नहीं किया है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं आया ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : सरकार लगातार स्थिति पर नजर रखती है और राज्य सरकार से सम्पर्क बनाये रखती है । उन्होंने रेलवे की सहायता मांगी थी, जो उन्हें दे दी गई थी ।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : श्री वाजपेयी के व्यवस्था के प्रश्न पर आप निर्णय दे चुके हैं, किन्तु वही प्रश्न पुनः रखा जा रहा है ।

श्री कृष्णमूर्ति : क्या सरकार ने कोई ऐसा निर्णय कर लिया है कि विभिन्न परियोजनाओं के लिये नियत राशियों में कटौती करके राज्यों की गैर कांग्रेसी सरकारों को परेशान किया जाये ? क्या मद्रास की तुतीकोरन परियोजना के लिये नियत राशि में कटौती करके मद्रास राज्य को परेशान किया जा रहा है ?

श्री मोरारजी देसाई : ये आरोप गलत हैं, जो जानकारी के अभाव के कारण लगाये जा रहे हैं। सभी राज्यों की योजना राशि में कटौती की गई है, चाहे वहां कांग्रेसी सरकार है अथवा गैर कांग्रेसी सरकार है।

Shri Shashi Ranjan : The law and order situation is not normal in some part of the countries, mostly in West Bengal. May I know why the Central Govt. is not taking any action in Naxalbari of West Bengal under Article 256 of the Constitution.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं नियम 376 के अधीन एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। सभा में यह निर्णय दिया जा चुका है कि सभा का उपयोग किसी राज्य सरकार को बदनाम करने के लिये नहीं किया जायेगा। परन्तु श्री शशिरंजन ने पश्चिमी बंगाल सरकार को बदनाम करने की कोशिश की है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने केवल नक्सलबाड़ी की स्थिति का उल्लेख किया है।

श्री स० मो० बनर्जी : पश्चिमी बंगाल की स्थिति इतनी बिगड़ी हुई नहीं है, जितनी यह बताई जा रही है। मुख्य मन्त्री, श्री ज्योति बसु ने ठीक ही कहा है कि बंगाल में गैर कांग्रेसी सरकार के विरुद्ध एक राजनैतिक आन्दोलन चलाया जा रहा है। ऐसा ही कदम अगली बार उत्तर प्रदेश में उठाया जाने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने नक्सलबाड़ी के बारे में पूछा था। उनका आशय पूरी पश्चिमी बंगाल सरकार पर आक्षेप करने का नहीं था। अतः मैं व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : यह एक माना हुआ सिद्धांत है कि पूरक प्रश्न मुख्य प्रश्न के विषय से सम्बन्धित होना चाहिये। फिर नक्सलबाड़ी स्थिति पर प्रश्न क्यों किये जा रहे हैं, जबकि विषय केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध का है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात से सहमत हूं। परन्तु माननीय सदस्य ने सन्दर्भवश इसका जिक्र कर दिया था। साथ ही मेरा यह अनुरोध है कि अब आप पश्चिमी बंगाल की आलोचना से सम्बन्धित कोई प्रश्न न करें।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : समाचार पत्र बतलाते हैं कि पेकिंग नक्सलबाड़ी में बड़ी रुचि रख रहा है।

Shri Madhu Limaye : It is Parliament of India and not an area of struggle between supporters and opponents of certain States.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : सभा की कार्यवाही चलाने का आपको पूर्ण अधिकार है। परन्तु क्या इस प्रकार रोक लगाई जा सकती कि पश्चिमी बंगाल के बारे में प्रश्न न किये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : वर्तमान परिस्थिति में मैं सोचता हूं कि ऐसे प्रश्न नहीं किये जाने चाहिये। हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि संसद में राज्य सरकारों के बारे में झगड़े न उठाये जायें। राज्य-केन्द्र सम्बन्ध विषय बहुत ही व्यापक है और इस सम्बन्ध में मतभेद हो सकते हैं।

श्री द्वा० ना० तिवारी : कुछ राज्यों की सरकारों की तो यहां निन्दा करने दी जाती है, परन्तु यह प्रश्न पूछने नहीं दिया जाता। यह भेदभाव क्यों ?

श्री शशिरंजन : किस कारण से पश्चिमी बंगाल में अनुच्छेद 256 के अधीन कार्यवाही नहीं की जा रही है, जहां लोगों का धन-जीवन खतरे में पड़ा हुआ है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इसमें बाधा तो कोई नहीं है। यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो इस बात पर विचार किया जायेगा।

Shri Jagannath Rao Joshi: The differenc s between the States and the Centre is a permanent feature. In view of it I would like to know whether Govt. propose to set up a permanent commission for dealing with the differences and tension between the States and Centre ?

Shrimati Indira Gandhi : There is no need of it at the moment. Such differences are resolved by mutual consultations.

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर आधा घन्टा समाप्त हो चुका है तथा लगभग सभी सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर दिया जा चुका है। अब अगला प्रश्न लिया जाये।

Shri Bhogendra Jha : Many members belonging to one party were allowed to ask questions, but none from my party. **(Interruptions)**

Nationalisation of Film Industry

+

*722. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri O. P. Tyagi :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the nationalization of the film industry and

(b) if so, the decision taken in this behalf ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) और (ख) फिल्म उद्योग के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न के सभी पहलुओं पर पहले भी कई बार विचार किया जा चुका है और सरकार इस नतीजे पर पहुंची है कि फिल्म उद्योग का राष्ट्रीयकरण न तो उचित है और न व्यवहार्य ही।

Shri Sidheshwar Prasad : The Film Enquiry Committee has considered this issue. May I know whether the Govt. have also taken it into consideration and for what reasons film industry is not being utilized.

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : उक्त समिति ने यह सुझाव नहीं दिया था कि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाये। उसने सुझाव दिया था फिल्म उद्योग पर कुछ पाबन्दियां लगाई जानी चाहियें तथा चलचित्र अधिनियम 1952 के अन्तर्गत उनकी व्यवस्था कर दी गई है।

Shri Sidheshwar Prasad : The committee has recommended that the responsibility of the production side of the industry should be entrusted to the Central Govt. May I know whether the new Act is fulfilling the aims of the recommendations of the Committee; if not, the action being taken in the matter by the Govt ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : यदि माननीय सदस्य पूरे प्रतिवेदन को पढ़ें, तो उन्हें मालूम होगा कि समिति ने यह सिफारिश नहीं की है कि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाये। समिति के इस सिद्धान्त का समर्थन नहीं किया था कि राष्ट्रीयकरण से फिल्म उद्योग के सभी दोष दूर हो जायेंगे। जहां तक अन्य आवश्यक उपायों को करने का सम्बन्ध है वे किये जा रहे हैं, और यदि आवश्यक हुआ तो अधिनियम में भी संशोधन कर दिया जायेगा।

Shri O. P. Tyagi : Is the Hon. Minister aware of the fact that such films are being produced now-a-days, which adversely affect the character of the youngsters. In view of it do the Govt. propose to see that only such films are made which do not encourage the characterlessness ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : फिल्मों को पास करने के लिये एक सेन्सर बोर्ड है। वह कुछ प्रतिबन्धों के साथ फिल्मों को पास करती है। जो फिल्म केवल व्यस्कों के लिये होती हैं उन्हें 'ए' प्रमाणपत्र दिया जाता है और शेष फिल्मों को 'यू' प्रमाणपत्र दिया जाता है। यह प्रयास किया जाता है कि जो फिल्म नैतिक आदर्शों के प्रतिकूल होती है, उन्हें अनुमति न दी जाये।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : आजकल की अधिकतर फिल्में ऐसी होती हैं जिनमें लड़के और लड़की के बीच प्रणय का प्रदर्शन मात्र होता है। क्या सरकार ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहित करेगी जो देश भक्ति तथा बलिदान की भावना से ओत-प्रोत हैं ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : सरकार सदैव ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहन देती है। ऐसी फिल्मों को वित्त मन्त्रालय के अधीन स्थापित फिल्म वित्त आयोग द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

श्री पीलु मोदी : क्या सरकार समझती है कि उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने से वह नैतिक आदर्शों की रक्षा कर सकेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्री स० कुन्डू : क्या मंत्री महोदय के विचार से फिल्मों का राष्ट्रीयता की भावना का प्रादुर्भाव करने के लिये उपयोग करने का सर्वोत्तम उपाय उस उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं है ? फिल्मों में चुम्बन के प्रदर्शन के सम्बन्ध में सरकार के क्या विचार हैं ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : फिल्म एक कला है और कला पर प्रतिबन्ध लगाने से उसका विकास रुक जाया करता है । अतः हमारा ऐसा विचार है कि फिल्म उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जाना चाहिये । जहां तक चुम्बन का प्रश्न है, सरकारी स्तर पर इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है ।

श्री दामानी : इस समय, सेन्सर बोर्ड, फिल्म के बन जाने के बाद उसकी जांच करता है । क्या सरकार का फिल्म की कहानी की, फिल्म बनने से पहले जांच करने का विचार है ? क्या फिल्म वित्त निगम ने इस दिशा में कोई कदम उठाया है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : फिल्म उद्योग निजी लोगों के हाथ में होने के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं है। हां, फिल्म वित्त आयोग ऋण मंजूर करने से पहले उस फिल्म की कहानी की जांच करता है ।

श्री मं० रं० कृष्ण : भारतीय फिल्मों का उत्पादन बहुत महंगा है, क्योंकि मुख्य कलाकारों को गुप्त रूप से अत्यधिक भुगतान करना पड़ता है । दूसरे भारतीय फिल्मों से जो विदेशी मुद्रा कमाई जाती है वह भी भारतीय राजकोष को नहीं मिल पाती है । क्या वित्त निगम आयोग इन अनियमितताओं को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही करेगा ।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : यह कार्य के लिये सुझाव है । (अन्तर्बाधाएं)

आक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी में पाकिस्तान शब्द की परिभाषा

+

***723. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री बलराज मधोक :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आक्सफोर्ड कंसाइज इंग्लिश डिक्शनरी के नवीनतम संस्करण में पाकिस्तान को ऐसा देश बताया गया है, जिसमें कश्मीर शामिल है;

(ख) क्या 'पाकिस्तान' की यह परिभाषा इस शब्दकोष के पहले वाले संस्करण में दी गई परिभाषा से भिन्न है;

(ग) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान सरकार के दबाव के कारण ऐसा किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त शब्दकोष में की गई इस तथ्य सम्बन्धी गलती को ठीक कराने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) काश्मीर का उल्लेख 'पाकिस्तान' शब्द की व्युत्पत्ति में कोष्ठकों में किया गया है, उसके अर्थ की परिभाषा के अंग के रूप में नहीं।

(ख) इससे पहले के संस्करण में भी 'पाकिस्तान' शब्द की यह व्युत्पत्ति बताई गई थी किन्तु उसकी भिन्न परिभाषा दी गई थी।

(ग) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(घ) लंदन-स्थित हमारे हाई कमीशन ने इसके प्रकाशक से लिखा-पढ़ी की थी और प्रकाशक ने कहा कि परिभाषा और शब्द-व्युत्पत्ति में अन्तर है और शब्द-व्युत्पत्ति में काश्मीर को सम्मिलित करने से काश्मीर के कानूनी, संवैधानिक अथवा राजनीतिक दर्जे के विषय में कोई संकेतार्थ निहित नहीं है।

Shri A. B. Vajpayee : It has been told by the hon. Minister that a letter was written by our High Commission in London. I would like to know whether a reply in respect thereto has been recieved, if so. the nature thereof ?

श्री स्वर्णसिंह : हमारे उच्च आयुक्त ने प्रकाशक को एक पत्र लिखा था और प्रकाशक ने परिभाषा तथा शब्द व्युत्पत्ति में अन्तर का तर्क दिया है। उन्होंने यह लिखा है कि "व्युत्पत्ति बिल्कुल ठीक है और पाकिस्तान में 'के' (क) शब्द काश्मीर से लिया गया है।"

Shri Madhu Limaye : He may kindly speak in Hindustani.

Shri A. B. Vajpayee : May I know whether the Minister is satisfied with this explanation. If not. the further action taken in the matter ?

श्री स्वर्ण सिंह : मैंने स्वयं ने भी शब्दकोष देखा है। यह बड़ी ही विचित्र बात है कि उन्होंने 'पाकिस्तान' शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार दिखाई है कि 'पी' (प) पंजाब से 'ऐ' (आ) अफगानिस्तान से, 'के' (क) काश्मीर से और 'इस्तान' बलुचिस्तान से लिया गया है। हम सबको मालूम है कि 'पाकिस्तान' एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पाक (पवित्र) लोगों की भूमि। यह आश्चर्य की बात है कि प्रकाशक ने व्युत्पत्ति उपरोक्त प्रकार से की है। वैसे हमें इस ओर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिये। हमें इसका उपहास करके इस मामले को छोड़ देना चाहिये।

श्री समर गुह : व्यवस्था के प्रश्न के आधार पर मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने 'पाकिस्तान" शब्द की व्याख्या गलत रूप से की है। सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द केम्ब्रिज विश्वविद्यालय के श्री रहीम तुल्ला नामक एक विद्यार्थी ने गढ़ा था। उसका कहना था कि 'पी' (प) का अर्थ पंजाब, 'ए' (आ) का अर्थ अफगान, 'के' (क) का अर्थ काश्मीर, 'एस' (स) का अर्थ सिन्ध और 'तान' का अर्थ बलूचिस्तान है। इस सारे क्षेत्र को मिला कर उसको उसने 'पाकिस्तान' नाम दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री पीलू मोदी : इस प्रकार के विषयों पर चर्चा करना सभा को शोभा नहीं देता। हमें इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिये।

Shri Shiv Chandra Jha : You are adopting a wrong procedure., We want to ask supplementaries on several questions, but you did not give us the opportunity. You do not even look towards us.

Shri Ramanand Shastri : You call any body you like. It is a wrong Procedure.

Shri Kameshwar Singh : Hon. Minister has told about this dictionary and he has told that 'A' is meant for Afghan and 'K' for Kashmir etc. This National Georgraphical Magazine is for the month of January, 1967, It has not shown Kashmir as a part of India. Your attention has been drawn to the meaning of dictionary but not towards it, All the friends are getting these things done. Do we send letter of protest to any of them ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न आक्सफोर्ड शब्द कोष से सम्बन्धित है । इससे यह प्रश्न नहीं उटता ।

श्री स्वर्ण सिंह : इसके लिये मुझे सूचना देने की आवश्यकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम दूसरे प्रश्न पर चर्चा करेंगे । माननीय सदस्य ने यह कहा है कि उन्हें नोटिस की आवश्यकता है । यह इस प्रश्न की सीमा से बाहर है ।

टेलिविजन सेट का निर्माण

+

*724. **श्री मधु लिमये** :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फर्नेन्डीज :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा स्वीकृत निर्माण लक्ष्यों को पूरा करने के लिये टेलिविजन सैट बनाने वाली तीन कम्पनियों ने कुल कितना परिव्यय किया है अथवा करने का विचार किया है; और

(ख) उस परिव्यय में विदेशी मुद्रा कितनी होगी और आयात कितना होगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) तथा (ख) अब तक फर्मों को देशीय ज्ञान से प्रतिवर्ष 10,000 टी० वी० रिसीवर सेट निर्माण करने के लिएं लाइसेंस दिए गए हैं । इन दोनों योजनाओं पर लगभग 20 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा सहित 50–60 लाख रुपए का सरमाया व्यय होने की प्रत्याशा है ।

Shri Madhu Limaye : There have been contradictory views with regard to it. It has been said sometimes before, probably in April that twenty percent of the partused in the 'Chitravani set' are imported. Afterwards, it was told that ten percent or the parts used for manufacturing T.V. Sets would be imported, In a statement issued by the Government, it has been mentioned that foreign parts worth rupees twenty seven would be imported for every one television set whether the Hon. Minister will give any information about its price and the foreign parts used in it ? It would be very kind of him, if he gives some statement in this regard.

Shri B. R. Bhagat : These licences have been issued to these two firms on the basis of the set manufactured at Pilani. The Council of Scientific and Industrial Research, under which this Pilani Laboratory Works, has told that in the first instance foreign currency at the rate of Rs. 250/- per set would be sent. The set of 19" would cost Rs. 1350/- and that of 23" would cost Rs. 1500/– As and when we would manufacture the parts like picture tubes or other components, the price would come down by Rs. 100/– After that progress would be made in manufacturing its raw material and then the price would be further reduced. It is not proper that it would come upto Rs. 27/- but it would be reduced a lot.

Shri Madhu Limaye : He has told that it would cost Rs. 1300/- But it has been mentioned in the statement given by the Government.

"However, according to the calculations made by the Pilani Institute, the consumer prices of indegeneous set will compare favourably with that of similar imported sets recently sold by the State Trading Corporation from Rs. 1800/– to 2000/- per set."

There have been devaluation etc. after you quoted the prices. In case spare parts worth 27 rupees per set would be imported; an amount of Rs. 5,40,000 comes for 20 lakhs set. Whereas you have mentioned that spare parts amounting to Rs. 20 lakhs would be imported. These estimates are altogether contrary. I want that you should give a correct position before the House.

Shri B. R. Bhagat : The price of the 23" imported set is Rs. 1880/– and as compared to it the price or indegenous set is less. It does not effect the prices or both the sets because the prices of imported sets would be increased after devaluation and the prices of indegenous sets would also increase, but in less amount, because it includes imported parts worth two hundred and fifty rupees per se'. The price increase on these rupees two hundred fifty would be very litte. The estimate of spending the foreign currency of 20 lakhs given to you is after the devaluation and not before that.

श्री स० मो० बनर्जी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि कानपुर की किसी फर्म को भी टेलीविजन सैट बनाने का लाइसेंस दिया गया है ? यदि हां, तो उस फर्म का क्या नाम है और उसे यह लाइसेंस किन नियमों के अनुसार दिया है ।

श्री ब० रा० भगत : केवल दो फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं । उनमें से एक कानपुर की जे० के० इलैक्ट्रोनिक्स है । माननीय सदस्य को इस फर्म की जानकारी है ।

श्री स० मो० बनर्जी : किन नियमों पर ?

श्री ब० रा० भगत : नियम वही है, क्योंकि लाइसेंस लाईसैन्सिग कमेटी ने दिया है । उसकी लागत 36 लाख रुपये है, इसमें प्लान्ट और उपकरणों का मूल्य 24 लाख रुपया होगा । यह अनुमान इस आधार पर दिया गया है कि 10,000 सैट के उत्पादन की स्वीकृति दी गई है ।

श्री देवकीनंदन पाटोदिया : माननीय मंत्री नें बताया था कि इन सैटों का लागत मूल्य आयात किये गये सैटों के लागत मूल्य से कम होगा । परन्तु अनुभव से तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह इसके विपरीत है । हमारे देश में उत्पादित किसी भी चीज का उत्पादन मूल्य हमेशा

आयात की जाने वाली चीजों की तुलना में अधिक रहा है। क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि एक विशेष सैट का उत्पादन व्यय आयात किये सैट की तुलना में कितना होगा।

श्री ब० रा० भगत : यह स्पष्ट तौर पर कर लिया गया है। 10,000 यूनिट के लिये लाइसेंस दिया गया है। यदि यह 5,000 या इससे कम हो तो लागत बढ़ जायेगी। 10,000 यूनिट के आधार पर ही इसका अनुमान लगाया गया है और उत्पादन मूल्य उसी के आधार पर निर्धारित किया गया है।

श्री देवकीनंदन पाटोदिया : उत्पादन व्यय कितना है ?

श्री ब० रा० भगत : मैं यह पहले ही बता चुका हूं।

Shri Sarjoo Pandey : There is a serious shortage of foreign currency in the country. I want to know what is the necessity of spending so much foreign currency on T. V. set when in a poor country like ours so many other important industries are not working due to shortage of foreign currency ? Why are you spending foreign currency on them ?

Shri B. R. Bhagat : The policy has already been decided. There is a great need of T. V. sets here not only for entertainment.....

Shri Madhu Limaye : Who require it ? Who can take it after spending Rs. 1800 ?

Shri B. R. Bhagat : It has been said that it is even more useful for development and education than the radio. The policy has already been decided. It has been considered necessary and that is why this work is in progress.

श्री मु० यू० सलीम : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि टी. वी. सैट के निर्माण में कितना समय लगेगा और वह बाजार में कब तक आ जायेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : विदेशी मुद्रा अभी प्राप्त नहीं हुई है। विदेशी मुद्रा प्राप्त हो जाने के बाद, मेरे विचार से इसके निर्माण में अधिक समय नहीं लगेगा।

श्री मु० यू० सलीम : मैं यह जानना चाहता हूँ कि किस समय तक विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो जायेगी। इसका निर्णय अभी नहीं किया जा सकता। विदेशी मुद्रा को प्राप्त करने की प्रत्येक कोशिश की जा रही है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि विदेशी मुद्रा कहां से प्राप्त की जाये।

Shri Kameshwar Singh : I have to raise a point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह कहा था कि उन्हें इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है क्योंकि आपका अनुपूरक मुख्य प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता।

Shri Madhu Limaye : Please read Q. No. 747 in the list. He has told that he required notice for that. He has already been given the notice and the Question has been included in the list. When this question was included in the list, no reply has been given.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब दे दिया गया है। यदि उन्हें उत्तर का पता है तो इस पर जिरह करने का कोई प्रश्न नहीं है। जब प्रश्न पूछा जाता है तो मुझे नोटिस मांगने का अधिकार है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Notice was given. The Minister should politely accept.

अल्प-सूचना प्रश्न

आंध्र प्रदेश को माल डिब्बों की अपर्याप्त सप्लाई

+

अ० सू० प्र० *18. श्री वासुदेवन नायर :
श्री अदिचन :
श्री जनार्दनन :
श्री नायनार :
श्री प० गोपालन :
श्री अनिरुद्धन :
श्री श्रीधरन :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश को मालडिब्बों की सप्लाई अपर्याप्त होने के कारण केरल को चावल भेजने में बाधा उत्पन्न हो गई है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान तेनाली में मालडिब्बों की कमी के बारे में एक निश्चित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसके कारण वहां से 10,000 मीट्रिक टन धान नहीं भेजा जा सकता; और

(ग) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश को पर्याप्त संख्या में मालडिब्बे सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं, आंध्र से केरल के चावल भेजने के लिये मालडिब्बों की सप्लाई पर्याप्त है और वह आंध्र के चावल मिलों के मालिकों द्वारा रजिस्टर की गई मांग के अनुसार है।

(ख) सम्भवतः मद्रास के समाचार पत्र 'हिन्दू' में तारीख 15 जून, 1967 को छपे समाचार का उल्लेख किया गया है। समाचार में जो शिकायत की गई है वह सच नहीं है; क्योंकि तेनाली स्टेशन पर धान की लदाई के लिये पर्याप्त माल डिब्बे उपलब्ध किये गये थे,

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री वासुदेवन नायर : मैं माननीय मंत्री ने जो सभा में वक्तव्य दिया है उस पर विश्वास कर लेता, परन्तु दो दिन पहले ही केरल के खाद्य मंत्री ने यह वक्तव्य दिया था कि इस महीने की 13 तारीख तक खाद्यान्न की सप्लाई बहुत नियमित थी, परन्तु 13 तारीख के बाद यह

सप्लाई बहुत अनियमित हो गई है; और पिछले तीन दिन की सप्लाई एक दिन के राशन के बराबर भी नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस महीने की 13 तारीख के बाद चावल के भेजे जाने में कुछ कठिनाई थी और क्या रेलवे भी खाद्यान्न को विलम्ब से सप्लाई करने के लिये जुम्मेवार है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, सब प्राप्त इन्डैन्टों को पूरा किया गया है । इसमें कुछ कठिनाई हुई है और वह यह कि लदाई के 11 स्टेशन हैं और इनमें से कुछ पर विभिन्न भागों में इण्डैन्ट किये गये हैं ।

परन्तु अनुदेश के अनुसार ब्लाक रेक संचलन के अनुदेश होने चाहिये । इन ग्यारह विषम स्टेशनों से माल डिब्बों को इकट्ठा कर फिर ब्लाक रेक बनाकर केरल भेजने में समय लगता है । नियमित रूप से खाद्यान्न के पहुंचने में यह बीच की कठिनाइयां सामने आई होंगी । खाद्य मंत्रालय ने खाद्य निगम द्वारा जो माँग पेश की है उसमें से 35,000 टन खाद्यान्न केरल को इस महीने की 24 तारीख तक पहुँच चुका है ।

श्री वासुदेवन नायर : मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रतिदिन औसतन कितनी विशेष गाड़ियां चांवल लेकर जा रही हैं और आंध्र प्रदेश से केरल तक खाद्यान्न पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है ।

श्री चे० मु० पुनाचा : हमारे कार्यक्रम के अनुसार औसतन 2 या 2.5 गाड़िया प्रति दिन जानी चाहिये और इन्हें केरल पहुँचने में लगभग दो या तीन दिन लगने चाहिये ।

श्री अदिचन : (मलायालम में बोले)

उपाध्यक्ष महोदय : जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रश्न पूछा जाना चाहिये । इस भाषा में बोलने से क्या लाभ ।

Shri Kameshwar Singh : Sir, you are not giving preference to languages. You should give preference to languages.

श्री वासुदेवन नायर : मैं प्रश्न का अनुवाद कर दूंगा । इससे पहले माननीय मंत्री ने सभा में बताया था कि आम का मौसम होने की वजह से माल डिब्बों के प्राप्त करने में कठिनाई हुई । प्रत्येक वर्ष आम का मौसम होगा और प्रत्येक वर्ष माल डिब्बों की कठिनाई होगी । माल डिब्बों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने केरल को चावल भेजने के पर्याप्त प्रबन्ध कर लिये हैं ।

श्री चे० मु० पुनाचा : जी हां, पूरी तौर पर प्रबन्ध किये जा रहे हैं ।

श्री क० नारायण राव : कुछ दिन पहले अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि जहां तक भाषा का प्रश्न है हमें उस पर चर्चा करनी चाहिये और कुछ समय के भीतर एक निश्चित समझौते पर पहुंचना चाहिये । अतः हमें इस मामले को फिर से नहीं उठाना चाहिये । यह नियमों, संविधान और अध्यक्ष महोदय ने जो कहा था इसके विरुद्ध है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी माननीय सदस्य को विचारों को प्रकट करने से नहीं रोक सकता। यदि कोई उसका अनुवाद कर सकता है और मंत्री महोदय उत्तर देने के लिये तैयार हैं, तो मैं यह नहीं चाहता कि किसी भी सदस्य के विचारों का दमन किया जाये।

श्री क० लकप्पा : आप मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने से नहीं रोक सकते। माननीय सदस्य ने अपना प्रश्न प्रांतीय भाषा में पूछा है। सभा को उसका प्रश्न ध्यान से सुनना और समझना चाहिये। परन्तु सभा में इसके लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है।

संविधान के अन्तर्गत सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न हम ध्यान-पूर्वक सुनने के अधिकारी हैं। परन्तु इसका प्रबन्ध न होने के कारण हम उसको समझने में असमर्थ हैं। उसका जबाव भी पूछे गये प्रश्न की भाषा में ही दिया जाना चाहिये। मेरा व्यवस्था का प्रश्न इस आधार पर है कि सरकार और सभा ने सहयोगी भाषाओं का आदर नहीं किया है।

श्री चे० मु० पुनाचा : केरल को चावल भेजने के लिये माल के डिब्बों के इन्डैन्ट की पूर्ण व्यवस्था की गई है। एक विशेष मौसम के दौरान आमों को भेजे जाने की मांग होती है लेकिन वह अब पूरी हो गई है। खाद्यान्नों को ले जाने की हमारी पर्याप्त क्षमता है। वास्तव में इस महीने की 24 तारीख को इन्डैन्ट किये गये माल डिब्बों में से केवल 90 माल डिब्बे रुके थे। अतः केरल को अनाज भेजने के सम्बन्ध में अब तक बहुत अधिक इन्डैन्टों को नहीं रोका गया है।

श्री जनार्दनन : आंध्र और मद्रास से केरल को दक्षिण जोन और दक्षिण मध्य जोन द्वारा चावल भेजते हैं। कभी-कभी इन दोनों जोनों में समन्वय की कमी के कारण अव्यवस्था हो जाती है। क्या इन दोनों में समन्वय पैदा करने के लिये कोई विधि है, ताकि खाद्यान्न के माल डिब्बों के पहुँचने में बाधा न हो।

श्री चे० मु० पुनाचा : जी हां, खाद्य मंत्रालय अनुदेश जारी करता है और भारत का खाद्य निगम इसके गन्तव्य स्थान पर पहुँचने की गति का समन्वय करेगा। वे समन्वय करने वाले अधिकारी हैं जो उसको विभिन्न गन्तव्य स्थानों पर ले जाने के लिये इन्डैन्ट करते हैं।

श्री नायनार : केरल में इस समय खाद्य स्थिति बहुत चिन्ताजनक है—वह और खराब हो गई है। केन्द्रीय सरकार ने 75,000 टन अनाज अलाट किया था, परन्तु इस महीने की 23 तारीख तक केवल 25,000 टन अनाज पहुंचा था। इसका कारण क्या माल डिब्बों का अनियमित चलाया जाना या केन्द्रीय आंवटन मशीन में अव्यवस्था था? एक रिपोर्ट है कि तेनाली चावल मिल मालिकों ने शिकायत की है कि केरल भेजने के लिये उन्हें माल डिब्बे नहीं मिल रहे हैं। वास्तविक स्थिति क्या है?

श्री चे० मु० पुनाचा : जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम केवल इन्डैन्ट के प्राप्त होने पर ही कार्यवाही करते हैं। यदि इन्डैन्ट रजिस्टर होते हैं तो हम निश्चित रूप से माल डिब्बे उपलब्ध करते हैं। 'हिन्दू' में 17 तारीख की एक रिपोर्ट है, परन्तु केन्द्रीय रेलवे अधिकारियों ने उसके तुरन्त बाद ही आरोप का खंडन किया है। अतः तथ्य के अनुसार इस महीने की 15 तारीख को प्रेस में प्रकाशित रिपोर्ट सच नहीं है।

श्री नायनार : इस महीने की 23 तारीख तक केवल 25,000 टन अनाज ही केरल पहुंचा है, जबकि केन्द्रीय सरकार कहती है कि उसने केरल के लिये 75,000 टन अनाज निर्धारित किया है। यथार्त स्थिति क्या है और क्या रेलवे माल डिब्बों की कमी के कारण पूरा माल नहीं भेजा जा सका ?

श्री चे० मु० पुनाचा : 35,000 टन अनाज चल चुका है। इस महीने कुल 62,000 टन अनाज भेजा जाना है।

श्री विश्वनाथ मेनन : केरल को प्रत्येक दिन कितनी मात्रा में चावल भेजा जाता है और प्रत्येक दिन विशेष चलने वाली गाड़ियों में कितने माल डिब्बे लगाये जाते हैं।

श्री चे० मु० पुनाचा : वे खाद्यान्न ले जाने वाली विशेष गाड़ियां हैं। यहां माल डिब्बों की किस्म पर निर्भर है। यदि वे बी० सी० एक्स हैं तो माल डिब्बों की संख्या कम होगी। यदि वे सामान्य चार पहिये वाले डिब्बे होंगे तो कुछ अधिक संख्या होगी। खाद्यान्न ले जाने के लिये चलने वाली विशेष गाड़ियों में लगाये जाने वाले माल डिब्बों की संख्या मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकता।

श्री विश्वनाथ मेनन : प्रति दिन कितना चावल भेजा जाता है ?

श्री तेन्नेटि विश्वनाथन : क्या मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि आंध्र से कलकत्ते की ओर भेजे जाने वाले आम आंध्र से केरल को चावल के भेजे जाने के रास्ते में विघ्न नहीं डालेंगे।

श्री चे० मु० पुनाचा : यह सच है, परन्तु रेलवे से उत्तर की ओर भी चावल के भेजे जाने की मांग की जाती है। आंध्र से केवल आम ही नहीं भेजे जाते, परन्तु चावल भी उत्तर की ओर भेजे जाते हैं।

श्री पें० वेंकटा सुब्बया : मैं समन्वय और मैकेनिजम के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि वह केरल को शीघ्र ही चावल भेज रहे हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या रेलवे प्रशासन, खाद्य निगम या सरकार को इस कार्य को सौंपे बिना, रेलवे विभाग या प्रशासन स्वयं ही केरल राज्य सरकार के इन्डेन्टों या मांगों का समन्वय करने के लिये एक विशेष अधिकारी करेगा, ताकि अनाज इकट्ठा न हो जाये और बिना कारण विलम्ब न हो ?

श्री चे० मु० पुनाचा : दक्षिण मध्य रेलवे के चीफ ओपरेटिंग सुपरिन्टैन्डैन्ट भारत खाद्य निगम और आंध्र राज्य सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों से लगातार सम्पर्क बनाये हैं।

श्री ज्योतिमय बसु : क्या माननीय रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब से पश्चिमी बंगाल चावल ले जाने की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री चे० मु० पुनाचा : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आयुध कारखानों में उत्पादन

*725. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी नये आयुध कारखानों में उत्पादन आरम्भ हो गया है;

(ख) क्या कुछ नये आयुध कारखाने स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) आपात स्थिति के पश्चात् अनुमोदित चार नए आयुध कारखानों में से दो ने उत्पादन शुरू कर दिया है। दो अन्य कारखाने हैं, जबलपुर में नया गाड़ी कारखाना, और आगरा के निकट हजरतपुर में एक्सेलरेटिड फ्रीज ड्राईड (मीट) फैक्टरी जो निर्माणाधीन हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

छोटे समाचार पत्रों सम्बन्धी जांच समिति का प्रतिवेदन

*726. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 27 मार्च, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 71 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटे समाचार पत्रों सम्बन्धी जांच समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने और क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : छोटे समाचार-पत्रों सम्बन्धी जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में 145 सिफारिशें की थी। 30 सिफारिशों के बारे में लिए गए निर्णय 27 मार्च, 1967 को सदन की मेज पर रख दिए गए थे, 81 सिफारिशों के बारे में निर्णय अब सदन की मेज पर रख दिए गए हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 782/67]** शेष 34 सिफारिशों पर सम्बन्धित मंत्रालयों, राज्य सरकारों, प्रेस संगठनों आदि के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

छावनी बोर्ड

*727. **श्री कंवरलाल गुप्त :**
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी बोर्डों को लोक-तंत्रीय ढंग से चलाने की लगातार मांग को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने इस बीच इस नीति पर पुनर्विचार किया है जिसके अन्तर्गत अब तक सैनिक अधिकारियों के नाम निर्देशन से पद भरे जाते रहे हैं, किन्तु उन्हें असैनिक व्यक्तियों के नाम निर्देशन में भर जाना चाहिये, जैसा कि छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 13 के अनुसार किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार स्थानीय प्रशासन से सम्बन्धित इस बोर्ड में सैनिक अधिकारियों के नाम निर्देशन को कैसे उचित मानती है, जबकि इन बोर्डों का क्षेत्राधिकार अनिवार्यत: छावनी बोर्डों के असैनिक क्षेत्रों पर ही होता है और सैनिक अधिकारियों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे स्थानीय नगर आवश्यकताओं से भली-भांति परिचित हों ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) छावनी प्रशासन के अधिक लोकतन्त्रीकरण के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1957 में सभी प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के छावनी बोर्डों में एक स्थान रिक्त रख कर, निर्वाचित और नामांकित सदस्यों में समता स्थापित करने का निर्णय किया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) छावनी अधिनियम 1924 में उल्लिखित सभी कार्यों के लिए छावनी बोर्डों का अधिकार क्षेत्र समस्त छावनी क्षेत्र पर सम्मिलित है। छावनी बोर्डों में सैनिक अफसरों के लिए नामांकन की उपलब्धिएं, छावनियों के, सैनिक स्थानों के तौर पर गुणरूप को सामने रखते हुए, की गई है। असैनिक क्षेत्रों के प्रशासन में यथासंभव अधिकाधिक निर्वाचित सदस्यों के लिए भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने पहले से ही निम्न उपाय कर रखे हैं:-

(1) जैसा भाग (क) के उत्तर में ऊपर बताया गया है छावनी बोर्ड के सदस्यों में समता स्थापित की गई है।

(2) भवनों पर, नियन्त्रण, व्यापार लाइसेंस जारी करने इत्यादि कार्यों के लिए असैनिक क्षेत्रीय समिति की क्षमताएं बढ़ा दी गई हैं।

(3) मकान निर्धारण करने से सम्बन्ध रखने वाली निर्धारण समिति को पुन: संगठित किया गया है, जिसमें अधिकाधिक निर्वाचित सदस्य हैं। छावनी बोर्ड का वाइस प्रेजिडेंट उस निर्धारण समिति के अध्यक्ष के तौर पर काम करता है; और

(4) छावनी बोर्ड के प्रेजिडेंट की अस्थायी अनुपस्थिति में वाइस प्रेजिडेंट को बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता का अधिकार दिया गया है।

सिक्किम की सीमा के निकट चीन द्वारा सड़कों का निर्माण

*729. श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री आत्म दास :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी लोग सिक्किम सीमा के निकट सड़कें बनाने तथा सड़कों को चौड़ा करने के कार्य में रात दिन लगे हुए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि भूटान से इस आशय के समाचार भी मिले हैं कि उत्तर-पश्चिम भूटान के सामने के क्षेत्रों में जोरों से सड़कें बनाने का काम चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस खतरे का सामना करने के लिये क्या पूर्वोपाय किये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) सरकार को रिपोर्टें मिली है कि चीनी सिक्किम और भूटान के साथ लगती सीमाओं के उस पार वर्तमान् सड़कों, पुलों में सुधार कर रहे हैं और नई सड़कों और पुलों का निर्माण कर रहे हैं ।

(ग) इन अभिवृद्धियों की कड़ी निगरानी रखी जाती है, और उनका अपने रक्षा प्रायोजन में निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है, तथा ध्यान रखा जाता है ।

Crossing Over of Nagas to Pakistan

*730. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Naga rebels who have crossed over to Pakistan; and

(b) whether the arms found on the person of the dead Naga rebels are of Chinese-make or of Pakistani-make ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) As the Underground Naga move across our border with Pakistan clandestinely, the Government have no precise information on the number of Underground Nagas who might have crossed over or returned.

(b) Most of the arms recovered from the Naga underground, dead or alive, bear no markings or the markings are effectively erased.

मलावी से भारतीय व्यापारियों का स्वदेश प्रत्यावर्तन

*731. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मलावी सरकार द्वारा हाल ही में स्वदेश भेज दिये गये प्रमुख भारतीय व्यापारियों के नाम क्या है;

(ख) उन्हें मलावी से निकालने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या वहां पर हमारे उच्चायुक्त ने इस आकस्मिक स्वदेश प्रत्यावर्तन के बारे में कोई विरोध प्रकट किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 26-4-1967 को मलावी सरकार के मुख्य आप्रवासी अधिकारी ने सात भारत मूलक लोगों को निषिद्ध आप्रवासी घोषित कर दिया और उनसे देश छोड़ कर चले जाने को कहा। वे मलावी में व्यापार करते थे और उनके नाम ये हैं :

1. दाऊद अब्दुल करीम
2. इब्राहीम अब्दुल करीम
3. अब्दुल गफ्फार सुलेमान
4. हबीब तयूब
5. अलीमोहम्मद अब्दुल करीम
6. अब्दुल रशीद अबुबकर
7. अहमद तयूब

(ख) उन्हें निषिद्ध आप्रवासी घोषित किए जाने के निश्चित कारण नहीं बताए गए, लेकिन ऐसा ख्याल किया जाता है कि सुरक्षा के कारणों से आदेश जारी किए गए थे।

(ग) जी नहीं। सातों व्यक्ति ब्रिटिश नागरिक हैं, इनमें से छह यूनाइटेड किंगडम में हैं और सातवां हैदराबाद में।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय लोगों के प्रत्यावर्तन के बारे में श्रीलंका का कानून

***732. श्री श्रद्धानन्द सूपकार :**
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री रवि राय :

क्या **वैदेशिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उद्भव के उन लोगों के प्रत्यावर्तन के बारे में, जो श्रीलंका की नागरिकता स्वीकार नहीं करते, श्रीलंका की सरकार द्वारा हाल में बनाये गये कानून की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) इस कानून से कितने लोगों पर प्रभाव पड़ा है तथा पड़ेगा; और

(ग) क्या उक्त अधिनियम 1964 के शास्त्री-श्रीमावो करार के उपबंधों के अनुरूप है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

(1) श्रीलंका में रहने वाले ऐसे 3,00,000 भारत मूलक लोगों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था है जिन्हें न तो श्रीलंका का और न भारत का नागरिक माना गया है; इसके साथ ही एक क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार उन लोगों को भी नागरिकता दी जायेगी जिनकी प्राकृतिक रूप से संख्या बढ़ेगी ।

(2) श्रीलंका में रहने वाले भारत मूलक लोगों को यथा-संभव 4 : 7 के अनुपात से श्रीलका और भारत की नागरिकता दी जायगी ।

(3) कुछ प्रशासनिक उपायों की व्यवस्था है ताकि श्रीलंका से उन लोगों को पुनर्देशावर्तित किया जा सके; जिन्हें भारत सरकार ने भारत की नागरिकता दे दी है ।

(ख) भारत श्रीलंका करार 1964 में इस कानून से 8,25,000 लोगों पर प्रभाव पड़ेगा ।

(ग) सरकार को अधिनियम में ऐसी किसी व्यवस्था की जानकारी नहीं है जिससे 1964 के भारत-श्रीलंका करार के समुचित कार्यान्वियन में बाधा पड़ती हो ।

वियतनाम में विसैन्यीकृत भाग में अमरीकी सैनिक दस्तों का प्रवेश

***733. श्री नायनार :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने नियंत्रण आयोग के सभापति के नाते वियतनाम के विसैन्यीकृत भाग में अमरीकी सैनिक दस्तों के प्रवेश का विरोध किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) वियतनाम स्थित अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण कमीशन के तीन प्रतिनिधियों के विचार-विमर्श और निर्णय गोपनीय हैं । कमीशन अपने कार्यकलापों की रिपोर्ट 1954 के जेनेवा सम्मेलन के सह-अध्यक्षों के पास ही भेजता है, भारत सरकार के पास नहीं । हमें ऐसी किसी रिपोर्ट का पता नहीं है जो विसैन्यीकृत क्षेत्र में अमरीकी सैनिकों के प्रवेश के बारे में भेजी गई हो ।

Building of Pill Boxes by Pakistan on Border

***734. Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Sharda Nand :
Shri J. B. Singh :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan has again built pill boxes along the Kasur Nullah similar to those built along the Ichhogil Canal; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat): (a) Government are aware of the construction of military structures including pill boxes by Pakistan accross our borders,

(b) All such developments are taken note of in our Defence plans.

आयुध कारखानों के व्यवस्थापक

*735. **श्री हेम राज :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने आयुध कारखानों तथा यूनिटों के प्रमुख अधिकारी अनुभव प्राप्त तकनीकी सैनिक कर्मचारी हैं तथा ऐसे कितने कारखानों के प्रमुख असैनिक कर्मचारी हैं; और

(ख) क्या सभी कारखानों का कार्य-प्रभार अनुभव प्राप्त तकनीकी सैनिक कर्मचारियों को सौंपने का विचार है और यदि नहीं, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) रक्षा मंत्रालय के सभी कारखाने तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित असैनिकों की अध्यक्षता में हैं ।

(ख) जी नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव निरीक्षण अधीन नहीं है, क्योंकि आयुध कारखानों में विभिन्न स्थानों में लगाए जाने वालों के लिए भारतीय आयुध कारखाना सेवा के नाम से एक नियमित सेवा पहले से विद्यमान् है ।

Kathmandu-Kodari Road

*736. **Shri T. Ram:**
Shri Ram Avtar Shastri:
Shri Shiv Kumar Shastri:
Shri Raghuvir Singh Shastri:
Shri Arjun Singh Bhadoria:
Shri Nardeo Snatak:
Shri Atam Das:
Dr. Surya Prakash Puri:
Shri Yajna Datt Sharma:
Shri Srichand Goel:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news-item that Indians have been barred from using the Kathmandu-Kodari road built by the Chinese.

(b) whether it is a fact that the Pakistani Officials were not so barred; and

(c) if so, Government's reaction in the matter ?

The Minister of Defence (Shri Swarn Singh): (a) to (c) On the basis of information then available it had been explained in the Rajya Sabha on 13th June, 1967, in reply to a similar question, that Indians were allowed to travel freely on the Kathmandu-Kodari road built in Nepal by the Chinese. It had then been stated that the road was declared open to the public by the Government of Nepal on 2nd June, 1967 and since then Indians were free to travel on the road without any permits, and that foreigners other than Indians were required to obtain permits for travel on it. That information was based on a report from our Embassy which, stated that "On second June His Majesty's Government of Nepal officially notified that the road had been declared open to the general public. It was also stated that all foreigners except Indians would require visas (permits) to travel along the road. Indians and Napalese do not require permits of any kind". Thereafter several Indians travelled along the road without having to obtain any permits.

On the morning of 23rd June however, the Ministry of Foreign Affairs of Nepal verbally informed our Embassy that with immediate effect all non-Napalese including Indians will require permits to go beyond Barab'se on the Kathmandu-Kodari road as the area beyond that point is a restricted area being within the 20 Kms. Zone from the Nepal-China frontier,

This development has surprise to Government who did not expect Indian nationals in Nepal to be classified with other foreigners for the purpose of freedom of movement anywhere within Nepal, including in their restricted areas. The Hon'ble members may be aware that even under provisions of our Foreigners (Protected Areas) Order, 1958, and the Foreigners (Restricted Areas) Order, 1963, specific statutory exemptions are provided for Nationals of Nepal assuring them freedom of movement throughout the 'Protected' and 'Restricted' areas of this country, We are requesting His Majesty's Government of Nepal to be good enough to reexamine the provisions of their regulations covering the "Restricted" areas in Nepal so that on a basis of reciprocity Indian nationals in Nepal, in terms of the provisions of the 1950 Treaty of Peace and Friendship, enjoy equal rights with nationals of Nepal.

On 27th May, 1967, various Nepalese V-I.Ps. And pressmen and the Pakistan Ambassador were invited by the Chinese to have lunch at Kodari on the Tibet side of the Nepal-China border. This was in the special circumstances of the inauguration before the road was declared open to the general public.

As already stated Government hope that in the matter of travel on the Kathmandu-Kodari and other roads within Nepal Indian nationals would enjoy equal rights with Nepali nationals as provided for under provisions of the 1950 Indo-Nepal of Treaty of Peace and Friendship.

इंडोनेशिया के साथ सम्बन्ध

***737. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडोनेशिया के साथ राजनयिक और व्यापारिक सम्बन्धों में हाल में कुछ और सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) इंडोनेशिया के साथ हमारे राजनयिक और व्यापारिक सम्बन्ध अच्छी तरह विकसित हो रहे हैं और इन्डोनेशिया का रवैया सामान्यतः मित्रतापूर्ण बना हुआ है। जनवरी में विदेश मंत्री जकार्ता गए थे और उन्होंने आपसी हित और चिंता के विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श किया था। वाणिज्य के क्षेत्र में, व्यापार फिर शुरू हो रहा है। पिछले वर्ष इन्डोनेशिया के साथ एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे तथा 10 करोड़ रुपए ऋण भी दिया गया था। इन्डोनेशिया के अधिकारियों ने अब तक इस धनराशि के कोई 2/5 वें हिस्से के साख-पत्रों का अनुमोदन किया है।

हैदराबाद में वायु सेना अकादमी

***738. श्री पार्थसारथी** :　　　　**श्री क० हाल्दर** :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :　　　　**श्री क० प्र० सिंह देव** :

श्री मधु लिमये :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री रवि राय :
श्री सेंक्वीरा :
श्री एस० एम० जोशी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हैदराबाद में वायु सेना के लिये एक अकादमी स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके द्वारा कब तक कार्य आरम्भ कर दिये जाने की संभावना है और हकीमपेट, जोधपुर और बंगलौर स्थित प्रशिक्षण केन्द्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) जी हां। वायु सेना अकादमी हैदराबाद में आरम्भिक प्रशिक्षण मध्य 1969 में शुरू होने की आशा है। जब अन्त 1971 से अकादमी पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगी, यह विमान चालकों का मध्य प्रावस्थाओं में प्रशिक्षण भी खपा लेगी और नेवीगेटरों तथा सिग्नेलरों का प्रशिक्षण भी हस्तगत करेगी जो इस समय जोधपुर में किया जा रहा है, और एक इंजन के विमानों पर उड़ान प्रशिक्षण की प्रगत प्रावस्था भी जो हाकिमपेट में की जा रही है। एक इंजन के विमानों पर प्रयुक्त प्रावस्था (कमीशनोत्तर) उड़ान प्रशिक्षण हाकिमपेट में जारी रहेगा। इस अकादमी की विरचना से बंगलौर के प्रशिक्षण केन्द्र पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पुनर्गठन

*739. **श्री रवि राय** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ताशकन्द घोषणा के बाद पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण

*740. **श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :**
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताशकन्द घोषणा पर हस्ताक्षर होने के बाद से अब तक पाकिस्तान ने कितनी बार भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण किया है;

(ख) क्या हमारी वायु सीमा का अतिक्रमण होने के प्रत्येक अवसर पर पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र भेजे गये थे;

(ग) क्या विरोध-पत्रों के उत्तर में पाकिस्तान सरकार ने कोई स्पष्टीकरण दिये हैं; और

(घ) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा समझौता हुआ था कि दोनों देशों की वायु सेना के लड़ाकू और परिवहन विमान अन्तर्राष्ट्रीय सीमा और युद्ध विमान रेखा से 10 किलोमीटर दूरी तक के क्षेत्र में नहीं उड़ेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) अब तक सरकार को प्राप्य सूचना के अनुसार 11–1–1966 को ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर होने से लेकर पाकिस्तानी विमानों द्वारा भारतीय अन्तरिक्ष क्षेत्र के 45 अतिक्रमण हुए हैं।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों पर अन्तरिक्ष क्षेत्रों के उल्लंघनों के लिए पाकिस्तान सरकार को विरोध-पत्र भेजे गए थे। जम्मू तथा काश्मीर में अन्तरिक्ष क्षेत्र के अतिक्रमणों के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्रों के प्रेक्षकों को शिकायतें भेजी गई थीं।

(ग) सिवाय एक मामले में कि जिसमें उन्होंने उल्लंघन से इन्कार किया है, पाकिस्तान ने कोई उत्तर नहीं दिया।

(घ) आई० ए० एफ० के वायु सेनाध्यक्ष और पी० ए० एफ० के मुख्य सेनापति के बीच 16–17 फरवरी 1966 और 14–15 मार्च 1966 को उनके बीच हुई बातचीत में यह तय पाया था कि दोनों देशों के लड़ाकू तथा परिवहन वायु सेना विमान अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तथा युद्ध विराम रेखा के अन्दर 10 किलोमीटर तक नहीं उड़ेंगे, सिवाय सीमा पोस्टों को लाजिस्टिक सहायता देने के लिए उड़ानों की हालत में।

संयुक्त अरब गणराज्य के समाचारपत्रों में भारत विरोधी प्रचार

***741. श्री मे० अमरसे :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री वीरेन्द्रकुमार शाह :
श्री मीठा लाल :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री प्र० के० देव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व उनके द्वारा इस सभा को दिये गये इस आश्वासन पर कि संयुक्त अरब गणराज्य के समाचार पत्रों में किये जा रहे भारत विरोधी प्रचार के प्रश्न पर वह संयुक्त अरब गणराज्य से बातचीत करेंगे, कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) काहिरा-स्थित हमारे राजदूत ने और हमने नई दिल्ली-स्थित संयुक्त अरब गणराज्य के राजदूत के साथ

इस मामले को उठाया था। 'रोज़ अल यूस्सेफ़' का संपादक हमारे राजदूत के सम्मुख पहले ही क्षमा याचना कर चुका है और संयुक्त अरब गणराज्य के विदेश कार्यालय ने इस लेख के प्रकाशन पर खेद व्यक्त किया है।

विकलांग जवानों को रोजगार दिलाना

*742. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** **श्री शंकरराव माने :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री एच० डी० तुलसीदास :**
श्री न० कु० सांघी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 700 विकलांग जवानों को असमर्थ हो जाने के कारण सेवा मुक्त कर दिये जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिरक्षा मंत्रालय के पुनर्वास निदेशालय द्वारा उन्हें रोजगार दिलाने के लिये की गई व्यवस्था का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के नियोजक उन्हें रोजगार देने के इच्छुक नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोई ऐसा विधान बनाने का है जिससे विकलांग जवानों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिले ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) जभी उनका चिकित्सा उपचार सम्पूर्ण हो जाता है उन्हें उनकी योग्यता अनुभव और अवशेष क्षमता के अनुरूप असैनिक काम देकर या किसी प्रकार का व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर कि उस प्रशिक्षण के पश्चात् वह अपनी आजीविका कमा सकें, पुनः आवासित किया जाता है।

(ग) कुछ हद तक यह सच है।

(घ) जी नहीं। सरकार का विचार है कि यथासम्भव यह उद्देश्य अनुभव से पूरा किया जाना चाहिए;

जोरहाट में प्रतिरक्षा कार्यों के लिये भूमि का अर्जन

*743. **श्री रा० बरुआ :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोरहाट सब डिवीजन में नाम्रोसलिया तथा हजारी गांवों के निवासियों को प्रतिरक्षा कार्यों के लिये अपनी भूमि तथा मकानों की भूमि छोड़नी पड़ी थी;

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने लोगों को अभी तक प्रतिकर तथा भूमि छोड़कर अन्यत्र जाने पर होने वाला व्यय नहीं मिला है तथा इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन लोगों को अपने घर-बार छोड़ने से पहले अन्यत्र जाने पर होने वाला व्यय देना स्वीकार किया था और क्या अधिकारियों ने उन आदेशों का पालन नहीं किया है ; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि सैनिक अधिकारियों ने अर्जन अथवा अधिग्रहण का कोई नोटिस दिये बिना ही इस भूमि पर कब्जा कर लिया था ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) अर्जित या अधिगृहीत की गई भूमियें तथा उनके लिए दिये गये मुआवज़े सम्बन्धी स्थिति दर्शाने वाला विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 787/67]** जैसा कि उससे देखा जाएगा रनवे के प्रसार के लिए अर्जित भूमि के सम्बन्ध में लगभग पांच व्यक्तियों को कालेक्टर द्वारा 4,000 रुपये देना शेष हैं। वायु सेना की एक प्रायोजना के लिए 1966 में अधिगृहीत भूमि के सम्बन्ध में हस्तानान्तरण लागत समेत, जबकि सक्षम अधिकरण द्वारा मुआवज़ा अभी निर्धारित किया जाना है, जैसा हो पाने तक प्रत्याशित मुआवज़े का 60 प्रतिशत उस हिसाब में अदा कर दिया गया है।

(घ) सभी कब्जे उपयुक्त अधिकरण द्वारा आवृत्त किए गए हैं। कोई भी भूमि बिना अधिकार के कब्जे में नहीं ली गई।

इसरायल को भेजे गये विरोध पत्र का उत्तर

***744. श्री योगेन्द्र झा :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री आत्म दास :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री हेम बरुआ :
श्री समर गुह :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशिया में हाल में हुए इसरायली–अरब युद्ध के दौरान गाज़ा पट्टी में इसरायली सेना द्वारा भारतीय सैनिक मारे जाने के बारे में भारत सरकार द्वारा इसरायल सरकार को भेजे गये विरोध पत्र का कोई उत्तर भारत को प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस उत्तर में क्या कहा गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इसराईल की सरकार ने लोगों के हताहत होने पर खेद प्रकट किया है लेकिन जान बूझकर लोगों को हताहत करने की ज़िम्मेदारी से अस्वीकार किया है। इसराईल द्वारा जिम्मेदारी मानने से इस तरह अस्वीकार करने से हम सन्तुष्ट नहीं है और आजकल जो जांच-पड़ताल चल रही है, उसके पूरा हो जाने पर इसराईल की सरकार को जवाब भेज दिया जाएगा।

अफ्रीकी देशों में भारतीय लोगों की आस्तियां

*745. श्री ज्योतिर्मय वसु : श्री नायनार :
श्री प० गोपालन : श्री गणेश घोष :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीकी देशों में भारतीय राष्ट्रजनों की आस्तियां कितने मूल्य की हैं ; और

(ख) इनका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) अफ्रीकी देशों में भारतीयों की संपत्ति के बारे में जो सूचना है, वह निश्चित रूप से बहुत ही मोटे अनुमान के रूप में है। कुछ मामलों में संबद्ध सूचना ऐसी है जिसकी पूरी तरह जांच नहीं की जा सकती। इन देशों में खासतौर से भारतीय नागरिकों की संपत्ति अलग से नहीं बताई जा सकती लेकिन वह नगण्य ही होगी। इस प्रकार के मोटे अनुमान, जिनका पता लगाना है, आम तौर से तमाम भारतमूलक लोगों के सम्बन्ध में ही होंगे। उनमें से अधिकांश यूनाइटेड किंगडम के नागरिक हैं और कुछ ने संबद्ध देशों की स्थानीय नागरिकता ले ली है।

हमारी सूचना के अनुसार, जिन देशों में भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में हैं, वहां इन लोगों की संपत्ति मोटे तौर पर लगभग 10 लाख पौंड से लेकर 2 करोड़ पौंड तक मूल्य की होगी।

अमरीका तथा ब्रिटेन में संयुक्त अरब गणराज्य के हितों की देखभाल

*746. **श्री आत्म दास :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि भारत अमरीका तथा ब्रिटेन में उनके हितों की देखभाल करे; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या सहायता दी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) संयुक्त अरब गणराज्य सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि यह संयुक्त राज्य अमरीका में उसके हितों की देखभाल करे। भारत ने इस सम्बन्ध में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार यह कार्य करना स्वीकार कर लिया है।

Map Published by an American Magazine

*747. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Kashmir has been shown as a part of Pakistan in the map published by an American Magazine (National Geographical Magazine) in its January, 1967 issue ;

(b) if so, the action taken by Government thereon ;

(c) whether this Magazine has been publishing anti-Indian material similarly in the past also ; and

(d) the attitude of U. S. Government on such anti-Indian publications ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Yes, Sir ; the magazine and the map in question have come to the notice of Government.

(b) Maps printed in the National Geographic Magazine from time to time have disregarded the true constitutional and political status of the Indian State of Jammu and Kashmir. The correct position has been pointed out to them from time to time with the object of persuading them to depict the maps in their magazine correctly. The Magazine, however, has maintained its position.

(c) Their published material has sometimes seemed to us both incorrect and contrary to our interest.

(d) The United States Government have no authority to act in respect of publications by private bodies.

पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास

*748. श्री प्र० न० सोलंकी : श्री मेघराजजी :
श्री म० ला० सोंधी : श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास में भारतीय कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है :

(ख) भारतीय मिशन के कितने कर्मचारी वहां सपरिवार रहते हैं;

(ग) पेकिंग स्थित हमारे दूतावास के कर्मचारियों पर वार्षिक खर्च कितना होता है; और

(घ) नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास में चीनी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और क्या वे भी यहां सपरिवार रहते हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) 63

(ख) 16

(ग) 11,87,200

(घ) 9 । कोई चीनी परिवार नहीं है ।

औद्योगिक कर्मचारियों के लिये अवकाश सुविधा

*749. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा संस्थाओं में औद्योगिक कर्मचारियों को अवकाश सुविधा देने के बारे में दूसरे वेतन आयोग की सर्वसम्मत सिफारिश को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें अधिक विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) रक्षा संस्थानों के औद्योगिक कर्मचारियों की छुट्टी के सम्बन्ध में द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित करदी गई हैं, सिवाए अर्जित छुट्टी से सम्बन्धित सिफारिश के। जहां तक अर्जित छुट्टी से सम्बन्धित सिफारिश का ताल्लुक है, सरकार द्वारा 1960 में निर्णय किया गया था कि यह मामला संयुक्त मन्त्रणा मशीनरी की राष्ट्रीय कोन्सल के सामने रखना चाहिए; क्योंकि इसमें व्यापक इशु अन्तग्रस्त था। राष्ट्रीय कौन्सिल द्वारा इस सिफारिश पर यथा समय विचार किया जाएगा।

Re-Employment of Emergency Commissioned Officers

***750. Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri S. M. Banerjee :
Shri Madhu Liamye :

Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Short Notice Question No. 8 on the 7th April, 1967 and state the action taken so far to provide alternative employment to those officers who were given Emergency Commissions in 1962-63 and who were served with discharge notices ?

The Ministster of Defence Shri Swran Singh: In addition to reservation of vacancies in the All India and Central Services, for which recruitment is Conducted through the UPSC,offers of appointment in the Border Security Force and other Central Police Forces have been made to 248 Officers due to be released this year. A certain number of Ecos are also expected to be absorbed in the N. C. C , State Government Departments and some Public Sector Undertakings, Efforts are also being made to place some of these Officers in the Private sector,

दिल्ली छावनी में भूमिगत नाली व्यवस्था

3574. श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी में भूमिगत नाली बनाने की योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) इस योजना पर कितना धन व्यय होने का अनुमान है ;

(ग) क्या इस प्रस्तावित योजना में सदर बाजार तथा गोपीनाथ बाजार के असैनिक क्षेत्र तथा कुछ गांव भी शामिल हैं ; और

(घ) यह योजना अब तक क्रियान्वित न की जाने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) दिल्ली छावनी में जलभृत् नलप्रवाह योजना का विस्तृत प्रायोजन और सर्वेक्षण चालू वर्ष में किया जा रहा है, और इस उद्देश्य के लिए 1 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

(ख) 137.97 लाख रुपये।

(ग) प्रस्तावित योजना में सदर बाज़ार के असैनिक क्षेत्र गोपीनाथ बाज़ार और मेहरम नगर, झरेरा, पुराना नांगल और सराय सोहाल के गांव शामिल हैं।

(घ) दिल्ली छावनी मलप्रवाह योजना की क्रियान्विति को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया गया है और विस्तृत प्रायोजन और सर्वेक्षण का प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के तुरन्त बाद इस मामले पर अग्रेतर विचार करने का प्रस्ताव है।

Hindi News Bulletins

3577. **Shri Ramachandra Veerappa** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) the number of Hindi News Bulletins being broadcast through the News Services of the All India Radio; and

(b) the names of Stations relaying them ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) In all 14 news in Hindi are Prepared by the News Services Division of which 9 are broadcast centrally in the Home services. of the remaining five, one is broadcast in the Regional Service from Delhi Station, one in the Television Service and three in External Services.

All India Radio Stations at Delhi, Lucknow, Allahabad, Patna, Ranchi, Jul'unndur Jaipur, Simla, Bhopal, Indore, Mathura, Bombay, Nagpur, Poona, Ahmedabad, Rajkot, Panaji, Bhuj, Madras, Tiruchi, Trivandrum, Calicut, Hyderabad. Vijayawada, Bangalore, Dharwar. Calcutta, Cuttack, Gauhati. Kurseong, Kohima: Imphal, Srinagar, Jammu, Port Blair relay one or more of the Hindi news bulletins broadcast centrally in the Home Service, While Stations in the Hindi-specking areas rela ? most of these bulletins, Stations in the non-Hindi speaking areas relay at least one of these bulletins.

Memo By A. I. R. Artistes

3578. **Shri Ramachandra Veerappa** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No, 144 on 5th June, 1967 and state :

(a) whether any decision on the memorandum submitted by the Staff Artistes Association of All India Radio has since been taken; and

(b) if not, the time likely to be taken to arrive at a final decision thereon ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) and (b): The matter is still under consideration. Since the financial implications involved and the likely repercussions have to be studied, a final decision will take some time. While every effort is being made to expedite a decision, no time limit can be indicated.

भारत और पुर्तगाल के सम्बन्ध

3579. श्री शिकरे : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद भारत और पुर्तगाल के सम्बन्धों में कुछ सुधार हुआ है ;

(ख) क्या किसी महत्वपूर्ण पश्चिमी देश ने हाल में उनके मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित करके यह सुझाव दिया है कि इन दोनों देशों के बीच पुन : सामान्य राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए उच्चस्तर पर उनकी बातचीत होनी चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना में गोआनी लोगों की भर्ती

3580. श्री शिकरे : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ राज्यक्षेत्र के स्वतंत्र होने से लेकर अब तक क्रमश: स्थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना में गोआ से समुदायवार कितने गोआनी लोग भर्ती किये गये हैं ;

(ख) गोआ के ऐसे लोगों की संख्या कितनी है जो छाती, लम्बाई तथा वजन सम्बन्धी भर्ती नियमों तथा विनियमों की शर्तों को पूरा नहीं कर सके ;

(ग) क्या सरकार गोआ में भर्ती अभियान की प्रगति से संतुष्ट है ; और

(घ) यदि नहीं, तो बड़े पैमाने पर भर्ती करने के लिये इस अभियान को तेज करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ) : सशस्त्र सेनाओं के लिए गोआ से सभी जातियों में से भर्ती की गई है, और वह सन्तोषजनक रही है । कुल कितने व्यक्ति भर्ती किए गए बताना लोकहित में नहीं है । जो व्यक्ति निर्धारित शारिरिक मानदण्डों पर पूरे नहीं उतरे, उनके अलग आंकड़े नहीं रखे गए ।

गोआ में प्रादेशिक सेना का केन्द्र

3581. श्री शिकरे : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में प्रादेशिक सेना का कोई केन्द्र है ;

(ख) सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य नागरिकों ने प्रादेशिक सेना में भर्ती होने के लिये अब तक कितनी रुचि दिखाई है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "नहीं" हो, तो क्या गोआ, दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र में, विशेषकर गोआ में, जहां प्रत्येक किस्म की प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध हैं प्रादेशिक सेना को बढ़ाने के लिये कोई योजना बनाने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) गोआ, दमन और दीव के संघीय क्षेत्रों में प्रादेशिक सेना लागू करने की कोई योजना बनाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Srinagar Airport

3582. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether any programme has been chalked out to make Srinagar Airport an all-weather port ; and

(b) if so, the details thereof and the expenditure involved ?

The Minister of State in ihe Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (b) : Suitable steps are being taken to make Srinagar an all-weather airport. This is being secured by improving the landing and other aids at the airport. As the works are in progress, it is not possible to give the total expenditure involved.

विज्ञान संबन्धी सलाहकार समिति

3583. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात के लिए आवेदन किया गया है कि संघ सरकार की विज्ञान सम्बन्धी सलाहकार समिति का इसकी रचना तथा कृत्यों के सम्बन्ध में पुनर्गठन किया जाये ताकि उसके सदस्यों में अर्थ शास्त्री समाज वैज्ञानिक तथा उद्योग और प्रबन्ध के क्षेत्र में विशेषज्ञ शामिल किये जायें जिससे वह लाभप्रद रूप से कार्य कर सके ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) डाक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में 1964–66 के दौरान गठित शिक्षा आयोग ने मंत्रीमंडल के लिए विज्ञान सम्बन्धी सलाहकार समिति के पुनर्गठन के बारे में कुछ सिफारिशे की थीं। डाक्टर कोठारी ने औद्योगिक अनुसंधान विषयक श्री राम संस्थान में 26 अप्रैल, 1967 को दिये गये अपने संस्थापक स्मारक व्याख्यान (फाउण्डर मेमोरियल लेक्चर) में भी इस विषय का उल्लेख किया है। इस प्रश्न की जांच हो रही है ।

प्रधान मंत्री का सचिवालय

3584. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 और 1966 में प्रधान मंत्री के सचिवालय पर कितना धन व्यय हुआ था ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस व्यय को और घटाने का है ?

प्रधान मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) प्रधान मन्त्री सचिवालय पर 1965-66 और 1966–67 के दौरान इस प्रकार व्यय हुआ :—

	(रुपयों में)
1965–66	15,39,910.17
1966–67	16,22,290.24

(ख) इसके व्यय में कमी करने का यथा सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

मौसम के बारे में आकाशवाणी से घोषणाए

3585. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून से नवम्बर, 1967 तक विभिन्न भारतीय भाषाओं में मौसम के बारे में दैनिक प्रसारण करने के लिये पहिले से ही पर्याप्त प्रबन्ध कर लिये गये हैं, ताकि किसान खेती के मामले में भविष्यवाणी का लाभ उठा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) : जी हां। आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से देहाती कार्यक्रमों में मौसम की रिपोर्टें और मौसम पूर्वानुमान नियमित रूप से प्रसारित किये जाते हैं।

(ख) : महानिदेशक, मौसम विज्ञान और मौसम विज्ञान विभाग के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय इन बुलेटनों को नियमित रूप से आकाशवाणी के सभी केन्द्रों को भेजते हैं। इस प्रयोजन के लिए पहले से ही प्रबन्ध हैं।

नेपाल में करनाली जल–विद्युत् परियोजना

3586. श्री शारदा नन्द :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री रणजीत सिंह :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री 3 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 367 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैपाल सरकार द्वारा भारत सरकार को नेपाल में करनाली जल-विद्युत् परियोजना के बारे में भेजे गये प्रतिवेदन का अध्ययन कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) रिपोर्ट का अभी अध्ययन किया जा रहा है ।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

मंत्रियों द्वारा संसद् सदस्यों के पत्रों के उत्तर

3587. डा० कर्णी सिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि संसद् सदस्यों द्वारा विभिन्न मंत्रियों को भेजे गये पत्रों के उत्तर मंत्रियों के निजी सचिवों द्वारा दिये जाने के क्या कारण हैं, जब कि प्रधान मंत्री पंडित नेहरू के शासन काल में यह तरीका था कि संसद् सदस्यों के पत्रों के उत्तर प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्री स्वयं देते थे ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) माननीय सदस्यों द्वारा उल्लेखित प्रथा छोड़ने का कोई विचार नहीं है, इसके विपरीत प्रधान मंत्री और अन्य मंत्रियों का वास्तव में यह प्रयत्न रहता है कि प्राप्त पत्रों का, विशेषकर संसद् सदस्यों से प्राप्त पत्रों का, वे स्वयं उत्तर दें। कभी कभी इस-प्रथा को पत्र व्यवहार की अधिकता के कारण छोड़ना जरूरी हो जाता है। प्राय: पत्रों से ऐसी समस्याएं सामने आ जाती हैं जिन पर विचार करने से पहले भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों तथा कभी कभी राज्य सरकारों से परामर्श करना आवश्यक हो जाता है । इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यदा कदा पत्र-व्यवहार के ढंग को बदल दिया जाता है ।

इस तरह के सब मामलों में अन्तरिम उत्तर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा भेज दिये जाते हैं ।

Foreign Publicity

3588. Shri Prakash Vir Shastri : Will the **Minister of External Affairs** be pleased to state :

(a) the extent to which the suggestions pertaining to foreign publicity made by the Public Accounts Committee in the past have been implemented in order to make India's case strong in the foreign countries;

(b) whether some important national and foreign newspapers have also commented on this issue; and

(c) if so, the time by which the foreign publicity will be made more effective and purposeful ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) The teleprinter system has been extended to more Indian Missions abroad, coloured documentary and T.V. films production has been increased, additional units of the Information Service of India have been established and other recommendations of the PAC are under implementation.

(b) Yes, Sir.

(c) Efforts are being made constantly to improve external publicity and make it more effective and purposeful in the light of the experience gained.

कच्छ न्यायाधिकरण

3589. श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री जगन्नाथराव जोशी :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री रा० बरुग्रा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कच्छ की रण के मामले में मध्यस्थता की कार्यवाही में और कितनी प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : भारत-पाकिस्तान पश्चिमी सीमा विषयक न्यायाधिकरण ने फरवरी 1966 में जेनेवा में अपने पहले अधिवेशन में जो निर्णय लिया था, उसी के अनुरूप भारत और पाकिस्तान दोनों ने साथ-साथ क्रमशः 1 जून, 1 अगस्त और 1 सितम्बर 1966 को अपने-अपने स्मारक, प्रति-स्मारक और उत्तर न्यायाधिकरण को प्रस्तुत कर दिए। जेनेवा में न्यायाधिकरण के सामने मौखिक सुनवाई 15 सितम्बर, 1966 को शुरू हुई और भारतीय पक्ष के वकील ने न्यायाधिकरण के सम्मुख अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पाकिस्तान के प्रमुख वकील ने 24 अक्तूबर, 1966 से 17 फरवरी, 1967 तक न्यायाधिकरण के सम्मुख अपना पक्ष प्रस्तुत किया। भारतीय पक्ष के वकील ने 15 मार्च 1967 को उत्तर देना शुरु किया और वह जून के मध्य तक अपना जवाब पूरा करने वाले थे। उसके बाद, पाकिस्तान का वकील अपना अन्तिम उत्तर देगा जो जुलाई, 1967 के मध्य तक चल सकता है। उसके बाद इसी वर्ष न्यायाधिकरण का फैसला आ जाने की उम्मीद है।

नासिक स्थित मिग कारखाने के कर्मचारियों के संघ की मांगें

3590. श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ओज़ार, नासिक स्थित मिग कारखाने के कर्मचारी संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य मांगें तथा शिकायतें क्या हैं; और

(ग) कर्मचारियों के साथ समझौता करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) हिन्दुस्तान वैमानिकी लि० को हिन्दुस्तान विमानिकी (नासिक) कर्मचारी संघ से नवम्बर, 1966 में एक प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) और (ग) : आवश्यक सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 783/67**]

विदेशों में रहने वाले भारतीय

3591. श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों की चिरकाल से चली आ रही समस्याओं पर विचार करने के लिये सरकार का विचार कोई आयोग अथवा समिति नियुक्त करने का है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत स्वतन्त्र हो जाने तथा उन देशों के स्वतन्त्र हो जाने के बाद, जहां भारतीय लोग रह रहे हैं, ये समस्यायें कई गुना बढ़ गई हैं;

(ग) इन समस्याओं को हल करने के लिये की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या विदेशों से भारतीय लोगों के शान्ति पूर्वक स्वदेश लौट आने तथा उनके पुनर्वास के लिये कोई ठोस कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) इस तरह का फिलहाल कोई इरादा नहीं है।

(ख) जिन देशों में भारत मूलक लोग रहते हैं, उनकी स्वाधीनता के बाद, ऐसे लोगों पर प्रभाव डालने वाली समस्याओं में कुछ वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) : इन समस्याओं को हल करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, वे हर देश में अलग-अलग हैं और खास-खास समस्या के अनुसार हैं। जब कभी कोई समस्या उठ खड़ी होती है तो उसका मैत्रीपूर्ण समाधान करने के लिए हरेक सम्भव कदम उठाया जाता है और जहां कहीं आवश्यक होता है सम्बद्ध देश के साथ बातचीत के जरिये समाधान किया जाता है।

उदाहरण के तौर पर श्रीलंका के मामले में, भारत और श्रीलंका की सरकारों ने 1964 में एक करार किया जिसके अन्तर्गत श्रीलंका में भारतमूलक राज्यविहीन लोगों को श्रीलंका की

अथवा भारत की नागरिकता प्रदान की जायगी और जिन्हें भारतीय नागरिकता दी जायगी उन्हें भारत में पुनर्देशावर्तित करने के लिए स्वीकार किया जायेगा। बर्मा के विषय में पुनर्देशावर्तित होनेवाले लोगों को, जब कभी आवश्यकता होगी, भारत वापस लाने के प्रबन्ध कर दिए गए हैं।

सरकार ने विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत इन लोगों को फिर बसाने के लिए सहायता और सुविधाएं दी हैं, अर्थात छोटे-मोटे वाणिज्य और व्यापार के लिए ऋण, प्लाट खरीदने और मकान बनाने के लिए ऋण की सहायता, सरकारी कारखानों में रोज़गार देने के लिए स्थानों का सुरक्षण, बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं देना आदि।

Teleprinter in Devnagari for Samachar Bharati

3592. **Shri Hukam Chand Kachwai**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the General Secretary, Hindi Parishad has requested his Ministry to install a teleprinter in Devanagari script for the use of Samachar Bharati ;

(b) if so, the progress made in this respect ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister for Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Posts and Telegraphs Department have as an interim measure leased 4 Tape model Devnagari teleprinters and 20 page model teleprinters with Roman keyboards to Samachar Bharati pending availability of regular supplies of 150 Devnagari page-model teleprinter machines from M/s Hindustan Teleprinters Ltd., Madras with whom orders have been placed by the Samachar Bharati. The Samachar Bharati have since surrendered two of the Devnagari machines to the Posts and Telegraphs Department since they were not working satisfactorily.

National Cadet Corps

3593. **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether any instructions have been given by his Ministry to the Uttar Pradesh Government to abolish the posts of Under Officers and Sergeant Major Instructors under the National Cadet Corps ; and

(b) if so, the reasons for abolishing these posts ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) (a) and (b) : To make up for the non-availability of regular army personnel to fill up the posts of instructors, consequent upon the expansion of the NCC in 1963, cadet instructors were employed on purely temporary basis as Sergeant Major Instructors and Under Officer Instructors.

The availability of regular army personnel has since improved and to the extent that the Army is in a position to provide JCOs' and NCOs for instructional duties in the NCC, the cadet instructors are being replaced in Uttar Pradesh and elsewhere as was the original intention.

"नैकिड परें" दर्शाई जाने के विरुद्ध अफ्रीकी विद्यार्थियों का प्रदर्शन

3594. **श्री उमानाथ :** **श्री वि० कु० मोदक :**
श्री गणेश घोष : **श्री भगवान दास :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अफ्रीकी विद्यार्थियों ने एक अमरीकी चलचित्र 'दि नेकिड परे' दिखाई जाने के विरोध में बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और पूना में सिनेमाघरों के सामने प्रदर्शन किये हैं ;

(ख) क्या सरकार का यह मत है कि इस चलचित्र में अफ्रीकी लोगों के प्रति घृणा दिखाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या अफीकी विद्यार्थियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस चलचित्र पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ अफीकी विद्यार्थियों ने 'दि नैकिड परे' नामक फिल्म के दिखाए जाने के विरोध में बंगलौर, पूना और सिकन्दराबाद में प्रदर्शन किए । बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ । लेकिन मद्रास में दो अफीकी विद्यार्थियों ने एक सिनेमा-घर के मैनेजर से इस फिल्म के प्रदर्शन के खिलाफ विरोध प्रकट किया ।

(ख) और (ग) फिल्म का प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है और चलचित्र अधिनियम 1952 की धारा 6 के अन्तर्गत, इस फिलम के आयात कर्त्ताओं को यह नोटिस जारी कर दिया गया है कि वे यह बतायें कि क्यों न यह फिल्म भारत भर के लिये अप्रमाणित फिल्म समझी जाए । इसके बाद, इस फिल्म के आयात-कर्ताओं से एक प्रतिवेदन मिला है जो विचाराधीन है ।

राजनयिक पद

3595. **श्री दामानी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने राजनयिक पदों पर (1) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी (2) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी (3) न्यायाधीशों तथा भारतीय सिविल सेवा के अफसरों सहित सेवानिवृत व्यक्ति तथा (4) सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं ; और

(ख) इस समय वे जिस जिस राजनयिक पद पर नियुक्त हैं, उन पर उन की नियुक्ति कब हुई थी ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) (i) आई० ए० एस० अधिकारी 5
आई० सी० एस० अधिकारी 5
जो आई० एफ० एस० में
नहीं है ।

(ii)	145
(iii)	5
(iv)	6

(ख) यह सूचना दो संलग्न ब्यौरों में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 784/67**]

श्री नगर में विद्यार्थियों की गिरफ्तारी के समाचार का प्रसारण

3596. **श्री बलराज मधोक :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी दिल्ली ने 26 मार्च, 1967 को अपने 6.15 म० प० के समाचार प्रसारण में, जिसे आकाशवाणी, श्री नगर ने रिले किया था, एक भूठा समाचार प्रसारित किया था, कि श्री नगर में मेडिकल कालेज में दाखिल के लिए किये गये आन्दोलन के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये विद्यार्थी रिहा कर लिये गये हैं जबकि वे अभी तक श्री नगर सेन्ट्रल जेल में बन्द हैं ;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) क्या यह सच है कि उक्त आन्दोलन के सम्बन्ध में समाचार पत्रों को भेजी जाने वाली जानकारी श्रीनगर में दबाई जा रही है और सेंसर की जा रही है ।

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) ; (क) से (ग) 26 मार्च, 1967 को आकाशवाणी, दिल्ली ने सायंकाल के 6.15 बजे के अपने कश्मीरी बुलेटिन में एक समाचार प्रसारित किया जो श्री नगर से इस प्रकार रिले किया गया :—

"कश्मीर सरकार ने कल शाम गिरफ्तार किए गए विश्वविद्यालय के चार विद्यार्थियों को जमानत पर रिहा कर दिया है। इन विद्यार्थियों ने राजकीय मैडिकल कालेज में दाखले के सिलसिले में शुक्रवार से अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल शुरू की थी ।"

उक्त समाचार प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के एक मैसेज पर आधारित था, जो इस प्रकार था :—

"कश्मीर सरकार ने कल शाम गिरफ्तार किए गए विश्वविद्यालय के चार विद्यार्थियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए हैं ।"

"इन विद्यार्थियों ने मैडिकल कालेज में दाखले की भेद-भाव की नीति के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल शुरु की थी"

जाहिर है कि समाचार बुलेटिन में आदेश शब्द के हटाने से जो असंगति हुई वह सम्पादन की गलती थी जिसके लिए खेद है। अब यह पता किया गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से कुछ व्यक्ति 26 मार्च, 1967 को वास्तव में रिहा नहीं किए गए थे।

अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस के प्रतिनिधियों को पारपत्र देने से इन्कार

3597. **श्री चक्रपाणि :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री उमानाथ : **श्री अनिरुद्धन :**
श्री अब्राहम :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस के कुछ प्रतिनिधियों को पारपत्र देने से इन्कार कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रतिनिधि कौन-कौन थे तथा वे विदेश किस लिए जाना चाहते थे ; और

(ग) उन्हें पारपत्र देने से इन्कार करने के क्या कारण थे ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) यह सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी।

पासपोर्ट जारी करना

3598. **श्री प० गोपालन :** **श्री अब्राहम :**
श्री अनिरुद्धन : **श्री एस्थोस :**
श्री उमानाथ : **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पासपोर्ट जारी करने के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के बाद सरकार ने कुछ व्यक्तियों को पासपोर्ट की सुविधा देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितने व्यक्तियों को पासपोर्ट देने से इन्कार किया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी हां। केवल एक व्यक्ति को पासपोर्ट सुविधायें देने से इन्कार कर दिया गया, क्योंकि उसके खिलाफ़ अदालत में मुकदमा चल रहा था।

Loan to Malaysia for Indian-Made Aircraft

3599. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to give loan to Malaysia for the purchase of Indian-made military aircraft;

(b) if so, the amount of the loan and the terms on which that would be given; and

(c) the amount of foreign exchange to be earned thereby ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

'Apartheid' in S. Africa

3600. **Shri Sidheswar Prasad :**
Shri Shashi Ranjan :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the steps taken by U.N.O. to abolish "aparthied" in South Africa and South-West Africa and the extent to which the problem has been solved as a result thereof;

(b) any further steps proposed to be taken by U. N. in the matter; and

(c) the steps proposed to be taken by the Afro-Asian countries ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : The U. N. General Assembly has been adopting resolutions condemning apartheid almost every year since 1946. In 1962 it adopted a resolution in which it declared that apartheid endangered international peace and security, and requested the Member-States of the United Nations to take the following measures : to break off diplomatic relations with the Government of South Africa; to close their ports to all vessels flying tha South African flag; to boycott all trade with South Africa; and to refuse landing and passage facilities to all aircraft belonging to South Africa. It also requested the Security Council to take appropriate measures, including sanctions, to secure South Africa's compliance with the resolutions of the Assembly. In 1965, the General Assembly adopted another resolution which **Inter alia** established a United Nations Trust Fund in aid of victims of aparthedid and their familites. A similar resolution was adoped again in 1966. South Africa has so far failed to alter its apartheid policies.

These resolutions also condemned the policy of apartheid practised by the Government of South Africa in South West Africa.

(b) and (c) It is not possible to anticipate what further steps the United Nations or Afro-Asian countries would take in the matter.

Manufacture of Cheap Radios

3601. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the progress made in the manufacture of cheap radio sets;

(b) whether Government have taken a decision to set up a factory in the public sector to manufacture cheap radio sets;

(c) if so, the approximate price at which the cheap radio sets would be available to the public; and

(d) whether the said scheme also covers the scheme for manufacturing cheap dry batteries in sufficient number for the above radio sets ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) 75% of all new capacity being licensed for manufacture of radio receivers is to be used only for the production of low-cost radio sets both medium wave and combined medium and short wave Low-cost sets have started coming in the market and will be available in larg r numbers as soon as new capacity being sanctioned goes into production.

(b) No.

(c) and (d) Do not arise.

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया एच० एफ–24 विमान का इन्जन

3602. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री सीता राम केसरी :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर ने एक ऐसे इंजन का नमूना बनाया है तथा उस विमान का निर्माण किया है जिससे भारत का सुपरसोनिक विमाग एच० एफ०–24 मैक–2 किस रफ्तार से उड़ सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या परीक्षण के लिए उस इन्जन का प्रयोग किया गया था और क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड को इसके अग्रेतर विकास तथा अनुसन्धान के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही न की जाने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

Assistance to States for Information and Broadcasting purpose.

3603. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the assistance proposed to be given to the States for Information and Broadcasting purposes during the current year;

(b) whether Government are aware that the activites of the Information Departments in certain States are being cut short due to economy; and

(c) if so, whether Government propose to revise the grants for those States in view of their reduced activities ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) Under the present pattern of financial assistance to the State Governments, Ministry of Information & Broadcasting pays an annual non-recurring grant to State Governments for the purchase of Community Listening Sets purchased and installed in the rural areas under the "Community Listening Scheme", equivalent of 50 of the purchase cost, subject to a maximum of Rs. 125/- per sent. The cost on their maintenance is borne wholly by the State Governments concerned. For this purpose, a lump sum annual provision is made in the Central Budgets, and the corresponding provision for the year 1967-68, amounts to Rs. 30 lakhs. This assistance given in the past, is proposed to be continued on the same basis.

(b) Government have read press reports to that effect. It has been intimated by the Government of Uttar Pradesh that because of availablity of large number of private owned radios and transistor sets in villages, the community listening scheme has lost utility in villages and the State Government have decided not to have any more radio sets under the subsity scheme of the Government of India. The State Government are, however, being addressed to agree to continue to participate in the scheme.

(c) In view of the position explained against (b) above, the question does not arise.

Device for Hitting Missiles

3604. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the U. S. Government have invented a device for hitting missiles with absolute accuracy and having a speed of light;

(b) if so, whether Government have tried to find out the details of the said device in view of the increasing atomic and missile potentialities of China; and

(c) the econmic, political or moral hurdles in the way of manufacturing this device in India ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) : (a) No definite information is available with the Government of India on the subject.

(b) and (c) Do not arise.

अम्बाला एम० ई० एस० कर्मचारी संघ द्वारा विरोध प्रगट किया जाना

3605. श्री स० मो० बनर्जी : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बाला एम० ई० एस० वर्कर्स यूनियन तथा सारे पंजाब में उसकी शाखाओं ने उनके मन्त्रालय द्वारा मंजूर की गई फील्ड सेवा सम्बन्धी रियायतों के आदेश लागू न किये जाने के विरुद्ध 1 जून, 1967 को वेतन न लेने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन आदेशों की क्रियान्विति में अधिक विलम्ब के कारण क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सरकार को एम० ई० एस० कार्मिक संघ (क्षेत्र समिति) अम्बाला के पत्र दिनांक 27-4-67 की एक प्रति प्राप्त हुई है, जिसमें अन्य बातों के साथ यह निर्णय भी है कि अगर एम० ई० एस० कर्म-

चारियों के लिए फील्ड सर्विस रियायतों के मामले पर विचार न किया गया तो पंजाब क्षेत्र के ऐसे सभी कर्मचारी एक पखवाड़े के लिये जून 1967 माह में वेतन हड़ताल करेंगे और तनख्वाह के दिनों पर विरोध के तौर पर मई 1967 मास के वेतन स्वीकार नहीं करेंगे।

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, कि अम्बाला हवाई अड्डों और सरकारी आदेशों में उल्लिखित अन्य स्थानों पर काम कर रहे एम० ई० एस० व्यक्ति स्थैतिक विरचनाओं के अंशभूत हैं, और सरकार की साधारण नीति के अनुसार, स्थानों को ध्यान में रखते हुए स्थैतिक विरचनाओं के कर्मचारियों को फील्ड सर्विस रियायतें देय नहीं हैं, सम्बद्ध सरकारी आदेशों के अन्तर्गत तैयार किये गये दावे लेखा निरीक्षण में पारित नहीं किये गये थे। इसलिये मामले का पुन: विस्तृत निरीक्षण करना आवश्यक था, और लेखा निरीक्षण की आपत्तियों को दूर करने के लिए तथा सरकार के निर्णय को स्पष्ट करने के लिए 22 जून, 1967 को एक नई सरकारी स्वीकृति जारी की गई थी।

सशस्त्र सेना सेवा गठन

3606. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक सशस्त्र सेना सेवा बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) सशस्त्र सेनाओं के मुख्यालयों और अन्तस्सेवा संगठनों के असैनिक कर्मचारियों के लिए एक ए० एफ० एच० क्यू० असैनिक सेवा संगठित करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव सरकार द्वारा विचाराधीन है।

बर्तानिया के लिए पारपत्र

3607. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महिनों में बर्तानिया के लिये कितने पारपत्र जारी किये गये;

(ख) उक्त अवधि में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए; और

(ग) उक्त अवधि में कितने आवेदन पत्र अस्वीकार किये गये ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) पिछले तीन महीनों में यूनाइटेड किंगडम के लिये जारी किये गये पासपोर्टों की संख्या 13226 है, और 548 प्रार्थना पत्रों की जांच की जा रही है।

(ख) इस अवधि में 13775 प्रार्थना-पत्र आये।

(ग) इस अवधि में एक प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया गया।

बर्मा में भारतीयों का देशप्रत्यावर्तन

3608. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री होरजी भाई :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख०प्रधानी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1967 से बर्मा, से भारतीयों का नये सिरे से देश प्रत्यावर्तन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) अप्रैल और मई 1967 के दौरान 150 भारतीय राष्ट्रिकों को हवाई जहाज से देश-प्रत्यावर्तित किया गया है। 1966 के अन्त से लेकर अब तक समुद्र से कोई व्यक्ति प्रत्यावर्तित नहीं किया गया।

आकाशवाणी के स्टाफ और गैस्ट आर्टिस्ट

3069. श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1964–65, 1965–66 और 1966–67 में आकाशवाणी के संगीत कार्यक्रमों में गैस्ट आर्टिस्टों को दिये गये समय की तुलना में आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को कुल कितना समय दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : मांगी गई जानकारी एकत्र करने में जो समय और परिश्रम लगेगा वह प्राप्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

प्रसारण कर्मचारियों तथा प्रसारण कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय के बीच अनुपात

3610. श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65, 1965–66 और 1966–67 में प्रसारण कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर तथा प्रसारण कार्यक्रमों पर क्रमशः कितना-कितना व्यय किया गया;

(ख) उपरोक्त मदों के बीच उचित अनुदान कितना है; और

(ग) यदि उचित अनुपात नहीं है तो इसके लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) :

		वास्तविक	वास्तविक	अन्तिम ग्रान्ट*	विशेष
(क)	व्यय	1964–65	1965–66	1966–67	*1966–67 का वास्तविक खर्च
(1)	प्रसारण कर्मचारियों पर	2,63,05,651	3,03,76,205	3,45,67,000	अभी आडिट ने संकलित नहीं किया
(2)	प्रसारण कार्यक्रमों पर।	1,12,77,587	1,42,32,976	1,56,04,300	है।

"प्रसारण कर्मचारियों पर हुए व्यय में प्रोग्राम स्टाफ के व्यय के अतिरिक्त इन्जीनियरी, प्रशासनिक व लिपिक स्टाफ तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का व्यय भी शामिल है। प्रसारण कार्यक्रमों के खर्चे में स्टाफ आर्टिस्टों, कैजुअल आर्टिस्टों, आदि को दी जाने वाली फीस भी आती है।

(ख) प्रसारण स्टाफ़ के वेतन तथा प्रसारण कार्यक्रमों पर होने वाले खर्चे के बीच किसी प्रकार का अनुपात निर्धारित करना सम्भव नहीं है क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्वयं आकाशवाणी में कितने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और कितनों को बाहर से बुक करने की आवश्यकता होगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रसारण का समय

3611. श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने हाल में अपने प्रसारण के कुल समय में कटौती कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस प्रकार की गई कटौती से आकाशवाणी की समूची लोकप्रियता पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सोवियत फ़िल्म समारोह

3612. श्री रामचरण : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि 19 मई, 1967 से एक सोवियत फ़िल्म समारोह का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां तो उस पर कुल कितना व्यय हुआ;

(ग) इसमें आमन्त्रित व्यक्तियों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया; और

(ग) इस समारोह में भाग लेने वाले मन्त्रालय के कर्मचारियों की तथा अन्य माध्यम एककों के अधिकारियों की कितनी-कितनी संख्या थी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (घ) सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत तृतीय सोवियत फ़िल्म समारोह भारत में 10 मई, 1967 से नई दिल्ली, हैदराबाद, बंगलौर, कलकत्ता, और बम्बई में एक-एक सप्ताह तक मनाया गया। सोवियत फिल्म प्रतिनिधिमण्डल, जिसमें चार सदस्य थे, के ठहरने और भारत में यात्रा करने पर खर्चा किया गया। प्रतिनिधि-मण्डल 14 जून, 1967 को मास्को वापस लौटा। खर्चे का विवरण एकत्र किया जा रहा है।

निमन्त्रण-पत्र प्रत्येक केन्द्र में उद्घाटन समारोह के लिये ही दिये गये थे। नई दिल्ली में 19 मई, 1967 को हुये उद्घाटन समारोह में 1,039 व्यक्ति आमन्त्रित किये गये थे। सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों के जो कर्मचारी इसमें शामिल हुए उनकी संख्या क्रमशः 7 और 6 थी।

Broadcasting of Bhojpuri Programme

3613. Shri Mrityunjay Prasad : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question N. 29 on the 22nd May, 1967 and state :

(a) the area, Patna A.I.R. is generally expected to cover in its range of hearing specially for Eastern Districts of U. P , certain portion of Madhya Pradesb and Nepal Terai as well as the whole of Bihar, where Maghai, Maithili and Bhojpuri languages are used or understood;

(b) whether it is a fact that Bhojpuri is mostly the spoken language of these areas; and

(c) if so, whether Government propose to increase timings allotted for the broadcast of Bhojpuri programmes ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : (a) The Patna Station serves the whole of Bihar excepting Chhotanagpur Division (South Bihar) which comes under Ranchi Zone. Programmes broadcast from Patna Station are also listened to widely in the Eastern districts of U. P., some parts of Madhya Pradesh and Nepal Terai.

(b) Bhojpuri is the spoken dialect of West and North-West Bihar and Eastern Uttar Pradesh. In addition, Maithili and Maghi dialects are also spoken in North and North-East and Central Bihar.

(c) No, Sir.

दिल्ली छावनी स्थित केन्द्रीय आयुध डिपो को कैंटीन समिति का चुनाव

3614. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी स्थित केन्द्रीय आयुध डिपो की कैन्टीन समिति के लिए तीन वर्ष बीत जाने पर भी चुनाव नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कारखाना अधिनियम का उल्लंघन नहीं है; और

(ग) चुनाव कब तक किये जाने का प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) दिल्ली कारखाना नियमावली 1950 के अन्तर्गत केन्द्रीय आयुध डिपो दिल्ली छावनी की कैन्टीन प्रबंधक समिति के कार्मिकों के प्रतिनिधियों का द्विवार्षिक चुनाव अप्रैल 1966 में होना था। अभी तक चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 के अन्तर्गत कार्मिकों के तौर पर, डिपु के कर्मचारियों के वर्गों के वर्गीकरण में कुछ शंकायें थी।

(ग) 5 जुलाई 1967 को।

सी० ओ० डी० सहकारी भण्डार दिल्ली छावनी

3615. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यु सी० ओ० डी० सहकारी भण्डार दिल्ली छावनी के अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सहकारी भण्डार के लेखों की लेखा परीक्षा नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) चुनाव नहीं हो सका क्योंकि शडूल के अनुसार जांच किए गए हिसाब का विवरण और जांच रिपोर्ट लेखा निरीक्षकों से समय पर नहीं मिले थे। तदनु चुनाव 17 जून, 1967 को हो गए हैं।

(ग) तब से हिसाब की जांच हो चुकी है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू का वाङ्मय

3616. श्री जार्ज फरनेन्डीज़ : **श्री मधु लिमये :**
श्री रवि राय : **श्री जे० एच० पटेल :**

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के समस्त वाङ्मय का प्रकाशन कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या-क्या ग्रन्थ प्रकाशित किये जा रहे हैं और उनके कितने खण्ड प्रकाशित किये जाने की आशा है;

(ग) क्या इन प्रकाशनों पर कोई रायल्टी देनी पड़ेगी; और

(घ) यदि हां, तो किसको ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : जी, अभी नहीं। प्रायोजना पर आरम्भिक कार्य शीघ्र ही शुरू होने की आशा है।

(ख) प्रस्ताव यह है कि "सम्पूर्ण जवाहरलाल नेहरू वाङ्मय" माला के अन्तर्गत स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के लेख, भाषण, और निजी एवं सरकारी पत्र प्रकाशित किये जाएं। इस सम्पूर्ण वाङ्मय के लगभग 40 खण्डों में प्रकाशित होने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) समूचा प्रश्न अभी विचाराधीन है।

एशिया सुरक्षा सम्मेलन

3617. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्स्टीट्यूट आॅफ स्ट्रैटेजिक स्टडीज और इण्डियन काउन्सिल आॅफ वर्ल्ड अफेयर्स के संयुक्त के तत्वाधान में हाल में हुए एशिया सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों के नाम तथा उनके पद क्या थे;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय ने इस परम गुप्त गैर-सरकारी सम्मेलन के आयोजन पर हुए व्यय के लिए अंशदान किया था;

(ग) क्या पश्चिमी देशों के तथा पश्चिमी देशों के समर्थक विदेशी प्रतिनिधियों और प्रक्षेकों को तथा उनसे सम्पर्क वाले भारतीय व्यक्तियों को भी हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी क्षमता के बारे में वर्गीकृत जानकारी बताई गई थी; और

(घ) क्या कोई भारतीय राष्ट्रजन, जो एम० आई० टी० सेन्टर आफ इन्टरमेशनल स्टडीज और पेन्टोगन स्ट्रैटेजिक स्टडीज वार्किंग ग्रुप्स में प्रशिक्षण ले चुका था; इस सम्मेलन के आयोजन से सम्बद्ध था ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) इस सम्मेलन से भाग लेने वाले भारतीयों के नाम और आस्पद संलग्न सूची में दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०-785/67]**

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं ।

(घ) हमें मालूम नहीं कि भाग लेने वालों में से किसी ने पहले ऐसा प्रशिक्षण पाया हो ।

Anti-Indian Propaganda in Nepal

3618. Shri J. B. Singh :
Shri Sharda Nand :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some forces in Nepal are actively engaged in anti-Indian propaganda in Nepal with a view to distort Indo-Nepalese relations; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Yes, Sir. Groups having close affiliation with China and Pakistan are engaged in such activities. The Chinese Embassy in Nepal have indulged in anti-Indian propaganda by showing anti-Indian films and making derogatory references to India and various leaders of the country in their official bulletins and speeches.

(b) Indo-Nepal relations are based on firm foundations and the Government are not unduly worried over such efforts. Overt activities in the form of printed material are regularly contradicted. So far as the specific anti-Indian activites of the Chiness Embassy in Nepal are concerned, Government of India have drawn the attention of the Government of Nepal to these improprieties and a protest conveyed to the Government of Nepal on 5th May, 1967. The Government of India are confident that his Majesty's Government of Nepal will not permit foreign missions in Nepal to carry out hostile propaganda against India, particularly in official bulletins or any other official activities of such foreign Missions.

The Chinese Embassy in Kathmandu staged and anti-Indian demonstration at Gauchar Airport, Kathmandu on 17th June, 1967. This is the most recent example of the Chinese behaving in an uncivilised, undiplomatic and barbarous manner which manifested itself most clearly in their treatment of our Embassy officials in Peking. On 18th June, 1967, our Embassy in Nepal lodged a strong protest with His Majesty's Government of Nepal against this public demonstration by the Chinese Embassy in Nepal of behaviour inimical to India a country friendly to Nepal. It is understood that His Majesty's Government of Nepal who were taken by surprise have taken steps to prevent such incidents at the Kathmandu airport.

In the context of India's deep, diverse and friendly relations with Nepal we feel that notwithstanding occasional misrepresentation instigated by certain unfriendly powers the people of Nepal and particularly His Majesty's Government of Nepal will not countenance or encourage such improper and mischievous behaviour in Nepal by countries inimical to India.

Occasionally misrepresentations regarding India appear in certain sections of the Press of Nepal. These have to be countered as far as possible by persuasion and suitable publicity of our stand on various issues.

Prithviganj Airport (U. P.)

3619. **Shri Nageshwar :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) since when the Prithviganj (Pratapgarh) airport in Uttar Pradesh is not being used and the arrangements made for its maintenance;

(b) the area under the said airport; and

(c) the terms and conditions on which the land of the airport has been given to other parties and the purposes for which it has been given ?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) ; (a) to (c) The airfield at Prithviganj (Pratapgarh) covers an area of 375,10 acres of land. It is not being used since August 1945. An area of 146.10 acres of land covered by runways, hardstandings, taxi-tracks etc. was transferred to the Uttar Pradesh Government for maintenance purposes. The balance area of 229 acres was placed under the management of the Collector of Pratapgarh for licensing the land for agricultural purposes. Out of this, an area of 187.87 acres has been licensed for cultivation by the Collector of Pratapgarh and 19.37 acres for groves. The remaining area of 21.76 acres is under unauthorised occupation and steps are being taken to remove the encreachment. The salient conditions of the licence are as under :

(i) The grant is liable to cancellation if it is to be found that it was grossly inequitable or obtained through mistake or mis-representation or fraud.

(ii) The grantee shall pay in advance to the Government annually the sum reserved in the grant, failing which interest is payble thereon at 12% per annum.

(iii) The grantee shall not use the land or suffer it to be used for any purpose other than that for which granted.

(iv) The grantee shall not erect any buildings, fences or structures of a permanent or temporary character on the land without the previous written sanction of the authority concerned.

(v) The grantee shall have no right whatsoever to any trees standing on the land or to their usufruet.

(vi) The grantee may be evicted subject to recovery of proportionate rental only up to the date of such termination.

Kota Atomic Power Plant

3620. **Shri Brambanandji :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwa :

Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether the firm which installed atomic furnance at the Rajasthan Atomic Project, Kota has obtained such contracts in Pakistan as well;

(b) if so, the particulars of the projects both in India and Pakistan in which contracts have been obtained by this firm; and

(c) the progress made in respact of the inquiry which was being held into this matter by the Central Bureau of Investigation ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi): (a) Government have no information in the matter.

(b) Does not arise.

(c) Presumably the reference is to the enquiry into recent fire in the Project. An officer of the Intelligence Bureau visited the Project site recently to study the adequacy of security measures. The Committee appointed by the Department of Atomic Energy to investigate into the cause of the fire is expected to submit its report shortly.

चीन द्वारा किये गये आण्विक विस्फोटों को दृष्टि में रखकर भारत की प्रतिरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था का पुनर्विलोकन

3621. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन द्वारा आण्विक विस्फोट किये जाने के बाद सेनाओं के तीनों अध्यक्षों को भारत की प्रतिरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था का पुनर्विलोकन करने को कहा गया था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या सिफारिशें की हैं और उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या चीन की अन्तर्महाद्वीप प्रक्षेपणास्त्रों का परीक्षण करने की तैयारी को ध्यान में रखते हुए सेनाध्यक्षों को इस स्थिति का फिर से पुनर्विलोकन करने को कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन सेनाध्यक्षों के विचार क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) : बलाधिकरणिक समिति को कहा गया था, कि वह अक्तूबर 1964 में चीन द्वारा किए गए, पहले न्यष्टि विस्फोट का आंकन करे। उसके पश्चात मामला चीन द्वारा और न्यष्टि विस्फोटों के संदर्भ में पुनरीक्षण अधीन रहा है। तदपि, न तो बलाधिकरणों द्वारा की गई सिफारिशों को प्रकट करना लोकहित में होगा, न उस पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को ही।

सस्ते टेलीविजन सेट

3623. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों को उचित मूल्य पर टेलीविजन सेट उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) लोगों को उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्तावित टेलीविजन सेटों का न्यूनतम मूल्य क्या रखने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब०रा०भगत) : (क) और (ख) फर्मों को सी० ई० ई० आर० आई० पिलानी द्वारा विकसित देशीय ज्ञान से प्रतिवर्ष 10000 टी० वी० सेट निर्माण करने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। सी० ई० ई० और० आई० पिलानी ने जो परीक्षण के तौर पर 1000 सेटों का निर्माण हस्तगत किए है, संकेत से बताया है कि 23 इंच पट के सेट का मूल्य 1500 रुपये होने की आशा है और 19 इंच पट सेट का 1350।

राष्ट्रमण्डल के देशों के प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन

3624. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष राष्ट्रमण्डल के देशों के प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन की तिथि और स्थान निश्चित कर लिये गये हैं; और

(ख) क्या संभाव्य विषय-सूची के बारे में कोई विचार-विमर्श किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेपाल को सहायता

3625. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में नेपाल को कितनी सहायता देने का विचार है; और

(ख) भारतीय सहायता से अब तक कौन-कौन सी परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं; और

(ग) इस समय कौन-कौन सी परियोजनाओं का कार्य चल रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) लगभग 40 करोड़ रुपए।

(ख) और (ग) यह सूचना इकट्ठी की जा रही है। मार्च 1966 के अन्त तक जो प्रायोजनाएं पूरी कर ली गई थी, उनकी संख्या 21-11-1966 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1991 के उत्तर में बता दी गई थी।

Price of Old Currencies and Coins

3626. **Shri Mrityunjay Prasad :**
Shri Kartik Oraon :
Shri Shashi Ranjan :
Shri Valmiki Choudhary :
Shri N. P. Yadav :

Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 277 on the 5th June, 1967 and state :

(a) whether the value of rare and old currencies and coins is assessed according to the weight of metal used in them or in view of their importance and rareness;

(b) whether the value of rare and old copper coins would be assessed according to the weight of copper;

(c) if not, the reason for which it was stated that gold coins have been sold at a price higher than value of gold used therein;

(d) the weight of gold used therein and the international price of gold at the time when they were sold and the price at which they have been sold;

(e) whether, before selling those coins, information for their being on sale was given to those who deal in such coins, to coin-collectors and to Museums; and

(f) if so, their full particulars, country-wise ?

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b) The value of old coins, of whatever metal, is assessed keeping in view the rarity of their numismatic, historical value and not merely their metal content

(c) and (d) This was done to indicate that they fetched more price than merely the value of their gold content at prevailing international price. The international price of gold at the time was Rs. 5.40 per gramme (approximately). 103 coins weighing 661.8 grammes (approximately) were sold in the USA for 1527.00 (Rs. 6,875.00 or Rs. 10.40 per gramme approximately) and 271 coins weighing 1327.9 grammes for £8 3-0-0 [Rs. 10,840.00 or Rs. 8.20 per gramme (approximately)] in the U.K.

(e) and (f) Sales were arranged by our Missions in the USA and U.K. as decided by the Executive Committee of the National Defence Fund and the highest offers received were accepted. The particulars desired are not available here.

मंत्रिमंडल के एक मंत्रि का सुरक्षा परिषद् की बैठक में भाग लेना

3627. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ मंत्री सुरक्षा परिषद् की बैठक में भाग लेने के लिये अमरीका जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस मंत्री का नाम क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : विदेश मंत्री, श्री एम० सी० चागला संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष आपातकालीन अधिवेशन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए न्यूयार्क गए हैं। आवश्यकतानुसार वे सुरक्षा परिषद की बैठकों में भी हिस्सा लेंगे।

छावनी बोर्डों को समाप्त करना

3628. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** :
श्री मधु लिमये :
श्री रवि राय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) देश में कितनी छावनियां ऐसी हैं जिनका नागर प्रशासन छावनी बोर्डों के हाथों में है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन छावनी बोर्डों को समाप्त करने तथा इन सब छावनी क्षेत्रों में नगर पालिकाएं परिषदें स्थापित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, 62 ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) छावनी बोर्ड एक लाभ कर उद्देश्य पूरा करते हैं, और अन्य बातों सहित उन्हें निम्न कारणों वश जारी रखने का विचार है :-

(1) वास्तव में छावनिएं सैनिक स्थान है जहां सेना रहती है और प्रशिक्षण पाती है। पहले पहले असैनिक आबादी छावनियों में रखी गई गैरिजन की आवश्यकताओं को जुटाने के लिए आवासित हो गई थी। वह मुख्यता बाजार क्षेत्रों पर सम्मिलित हैं, जो छावनियों के कुल क्षेत्र का एक छोटा सा अंशभूत है। बृहत्तर भाग में सम्मिलित है बैरकें और बंगलों के क्षेत्र, पोंड स्थल, मनोरंजन स्थल इत्यादि। इसलिए छावनिएं मुख्यतः सैनिक स्थान हैं, और वहां की मुख्यतम महत्व की बात है सैनिक हित ।

(2) सैनिक स्थानों के प्रशासन में यह स्वीकृत नीति रही है कि कमांडर सशस्त्र सेनाओं के सेविवर्ग के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उत्तरदायी रहे, और इस संबंध में उसकी सत्ता अप्रतिहत और अविभक्त रहे ।

(3) ऐसा संभव नहीं कि राज्य सरकार अन्य बातों समेत सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छावनी क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व संभाल पाने की स्थिति में हो। वह पहले ही पूर्णतः व्यवस्त होती है और उनके लिए अधिक वित्तीय उतरदायित्व हस्तगत करना शायद संभव न हो पाए। बम्बई की उस समय की सरकार ने जिसे डीहू सैनिक स्थान की नागरिक आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए डीहू में एक नगरपालिका स्थापित करने के लिए कहा गया था, सुझाव दिया था कि रक्षा मंत्रालय वहां एक छावनी स्थापित करे ।

(4) छावनी क्षेत्रों में रहने वाली असैनिक जनता का साधारण विचार छावनी प्रशासन को जारी रखने के पक्ष में जान पड़ता है। कुछ समय पहले यह फैसला किया गया था कि अम्बाला, पूना और आगरा छावनियों के कुछ क्षेत्र, जिनका सेना को कोई उपयोग नहीं अलग कर दिये जाएं। वहां रहने वाली असैनिक जनता ने इस अलगाव पर आपत्ति की थी, और अन्त में प्रस्ताव त्याग देने पड़े थे ।

(5) सच्चे अर्थों में छावनी बोर्ड स्थानीय संस्थाएं हैं, और वह सीमित क्षमताओं का उपभोग करते हैं। सुविधा के लिए राज्य सरकार की क्षमताएं जनरल आफिस कमांडिंग इन चीफ और भारत सरकार में निहित है। जी० ओ० सी० इन चीफ भारत सरकार के समग्र नियन्त्रण में काम करता हैं और वह संसद् के सामने उतरदायी है ।

Radio Station at Navgaon, M. P.

3629. Shri Nathu Ram Ahirwar: Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a few Members of Parliament from Madhya Pradesh have demanded the opening of a radio station in Navgaon (Chhatarpur, M. P.);

(b) if so, the action Government purpose to take thereon; and

(c) the date by which a decision would be taken thereon?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah): (a) A resolution passed by the District Congress Committee, Chattarpur regarding installation of a Radio Station at Nowgong has been received.

(b) and (c) It is proposed to set up a radio station in the Bundelkhand area. the exact location of which will be decided after a survey regarding its feasibility both from technical considerations and from the point of programme production. The project will be taken up for implementation when the requistite resources and foreign exchange become available.

सेना कर्मचारियों और संसद सदस्यों के बीच पत्र व्यवहार

3630. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना कर्मचारियों को संसद् में अपने प्रतिनिधियों से पत्र-व्यवहार करने की अनुमति हैं;

(ख) यदि हां, तो वे किन-किन विषयों के बारे में पत्र-व्यवहार कर सकते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या सरकार का विचार उन्हें ब्रिटेन की भांति संसद सदस्यों के साथ पत्र-व्यवहार करने की अनुमति देने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब०रा० भगत) : (क) से (ग) सशस्त्र सेनाओं के सेविवर्ग सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम और वायुसेना अधिनियम तथा उनके अधीन नियमों और सरकार द्वारा तथा सेवाओं के मुख्यालयों द्वारा जारी किए गए आदेशों के आधीन हैं। सशस्त्र सेवाओं के सेविवर्ग को संसद सदस्यों के साथ सीधे रक्षा मामलों के संबंध में पत्र व्यवहार करना मना है। अधिकृत माध्यमों के अतिरिक्त, उन्हें अपनी व्यक्तिगत शिकायतों का निवारण कराना भी निषिद्ध है। मन्त्रालय को सूचित करते हुए बलाधिकरण साधारण मामलों पर संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर दे सकते हैं। वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

यू० के० में स्थिति क्या है, मालूम नहीं।

मध्य प्रदेश में प्रतिरक्षा के कामों के लिये भूमि का अर्जन

3631. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में वर्धा क्षेत्र तथा उसके आस-पास के गांवों को प्रतिरक्षा संस्थान की स्थापना के लिये अर्जित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितना क्षेत्र अर्जित करने का विचार है तथा कितने परिवारों को उस क्षेत्र से हटाया जायेगा;

(ग) क्या इस अर्जन के परिणामस्वरूप बेघर होने वाले लोगों को अन्य स्थान पर मकान तथा भूमि देने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस क्षेत्र के पास वाले सरकार के दूसरे वन क्षेत्र को अर्जित करने की सम्भावना पर विचार करेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) इस सम्बन्ध में प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) प्रस्ताव का उद्देश्य है 13158 एकड़ निजी भूमि अधिग्रहण करना । (कुल आवश्यकता 25872 एकड़ की है और शेष 12714 एकड़ राज्य सरकार राजस्व/वनस्थल पर सम्मिलित है ।) इससे लगभग 1100 कुटुम्ब प्रभावित होंगे ।

(ग) अधिगृहीत भूमियों और भवनों के लिए मुआवजा कानून के अनुसार दिया जाएगा । जहां तक प्रभावित व्यक्तियों के पुर्नवास का संबंध है मामला मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा विचार करने का है ।

(घ) लगभग 5163 सरकारी वनस्थल जो उपयुक्त विचारा गया है, पहले ही प्रस्ताव में सम्मिलित है । उसके साथ लगता सरकारी जंगल इस प्रायोजना के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया ।

विंध्य-सतपुड़ा पहाड़ियों में प्रतिरक्षा उत्पादन केन्द्र

3632. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विंधय तथा सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच मध्य प्रदेश का क्षेत्र उन देशों के साधारण हवाई आक्रमण की मार से बाहर है, जिन्होंने पहले भारत पर आक्रमण किया था;

(ख) क्या यह क्षेत्र देश के मध्य में भी स्थित है तथा देश के सभी भागों से वहां जाया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पहाड़ियों के बीच और प्रतिरक्षा उत्पादन केन्द्र स्थापित करना वांछनीय समझती है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) ऐसे देशों की सक्षमता के संबंध में अपनी जानकारी, व्यक्त करना लोकहित में नहीं होगा ।

(ख) और (ग) किसी रक्षा उत्पादन यूनिट के स्थान के लिए क्षेत्र की उपयुक्तता केवल, उसकी केन्द्रीय स्थानीयता और देश के सभी भागों से प्राप्यता के दृष्टिकोण से ही

निर्धारित नहीं की जाती, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों, जैसे कि जल, शक्ति, खाद्य पदार्थों और अन्य सुविधाओं की प्राप्यता, उसकी स्थल रूपरेखा इत्यादि द्वारा भी निर्धारित की जाती है। अस्तु, इस समय कोई नया रक्षा उत्पादन यूनिट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कार्यक्रम सलाहकार समिति बनाना

3633. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी के प्रसारण केन्द्रों के लिये कार्यक्रम सलाहकार समितियां बनाने के नियम तथा प्रक्रिया क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : आकाशवाणी के प्रसारण केन्द्रों की कार्यक्रम सलाहकार समिति के गठन का विधान यह है कि सम्बन्धित केन्द्र का कार्यभारी अधिकारी समिति का सदस्य नियुक्त करने के लिये लगभग 20 ऐसे उपयुक्त व्यक्तियों के नामों की एक सूची बनाता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, टेक्नोलोजी, खेल-कूद, उद्योग आदि विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कार्यभारी अधिकारी इस सूची को सम्बन्धित राज्य सरकार को दिखाता है ताकि यह मालूम हो सके कि कहीं राज्य सरकार को किसी नाम के सूची में शामिल किये जाने पर आपत्ति तो नहीं है। यह सूची, राज्य सरकार के विचारों और यदि उन्होंने कोई नाम सुझाये है तो उन नामों के साथ कार्यभारी अधिकारी द्वारा आकाशवाणी के महानिदेशक को भेज दी जाती है। तब महानिदेशक समिति के सदस्यों का अन्तिम रूप से चुनाव करता है। उसके बाद महानिदेशक चुने हुए व्यक्तियों की समिति के सदस्य के रूप में नियुक्ति की आज्ञा जारी करता है और इस प्रकार समिति का गठन हो जाता है। सदस्यों को यह सूचित कर दिया जाता है कि उनके साथ सम्बन्धित कार्यभारी अधिकारी के द्वारा सम्पर्क स्थापित किया जायेगा।

आकाशवाणी के केन्द्रों से सम्बन्धित कार्यक्रम सलाहकार समिति के नियमों की एक प्रति संलग्न है। **[पुस्तकाल में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 786/67]**

मध्य प्रदेश में आकाशवाणी के केन्द्र

3634. **श्री आत्म दास** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में आकाशवाणी के कुल कितने केन्द्र हैं;

(ख) क्या निकट भविष्य में इन केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) मध्य प्रदेश में इस समय आकाशवाणी के पांच केन्द्र हैं—भोपाल, इन्दोर, ग्वालियर, जबलपुर और रायपुर। इन सभी केन्द्रों में अधिकांश समय समान कार्यक्रम होता है, जो मूल रूप से भोपाल या इन्दोर से, जहां कार्यक्रम तैयार करने की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध हैं, प्रसारित होता है।

(ख) और (ग) योजना आयोग द्वारा स्वीकृत चौथी पंच वर्षीय योजना में उपयुक्त स्थानों पर दो और प्रसारण केन्द्र स्थापित किये जाने की व्यवस्था है :– एक तो जगदलपुर के निकट के क्षेत्र में और दूसरा सतना/रीवा क्षेत्र में ।

पश्चिम एशिया संकट के सम्बन्ध में प्रदर्शन

3635. **श्री स्वेल :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसराइल और अरब देशों के बीच युद्ध छिड़ जाने के पश्चात भारत में कुछ ऐसी घटनाएँ हुई है, जिनमें संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे का अपमान किया गया है;

(ख) क्या सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से अथवा उसकी किसी संस्था की ओर से इस सम्बन्ध में कोई विरोध-पत्र मिला है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 7 जून, 1967 को श्री नगर में कुछ प्रदर्शनों के दौरान बलवाइयों ने भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र के सैनिक प्रेक्षकों के मुख्यालय से संयुक्त राष्ट्र का झंडा उतार लिया और इमारत पर पत्थर फेंके ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) अधिकारियों ने स्थिति पर नियत्रण करने के लिए तुरन्त कार्यवाई की ।

पुस्तकों का प्रकाशन

3636. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1966–67 में पब्लिकेशन डिवीजन ने भाषा-वार कुल कितनी पुस्तकें प्रकाशित की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है:-

क्रम संख्या	भाषा	1966–67 में पुस्तकों, पुस्तिकाओं, आदि सहित प्रकाशित प्रकाशनों की संख्या	31-5-67 को जो प्रकाशन प्रेस में थे उनकी संख्या
1.	अंग्रेजी	84	46
2.	हिन्दी	62	22
3.	असमिया	14	7
4.	बंगला	7	11
5.	गुजराती	21	17
6.	पंजाबी	24	17
7.	कन्नड़	3	23

8.	मलयालम	7	20
9.	मराठी	25	21
10.	उड़िया	1	34
11.	तमिल	15	19
12.	तेलुगु	14	26
13.	उर्दू	28	13
14.	पुर्तगाली	1	-

भूतपूर्व सैनिक

3637. श्री हेमराज :
श्री नीतिराज सिह चौधरी :
श्री गां० शं० मिश्र :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मई, 1967 को देश में राज्यवार कितने भूतपूर्व सैनिक थे; और

(ख) राज्यवार कितने भूतपूर्व सैनिकों को उपयुक्त रोजगार दिलाया गया है और कितने भूतपूर्व सैनिक अभी बेरोजगार हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : भूतपूर्व सैनिकों की कुल और ठीक ठीक संख्या प्राप्त नहीं है, और न इसे निकट भविष्य में इकट्ठा कर पाना सभव ही है। तदपि, सरकार राज्य सरकारों और केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के साथ मन्त्रणा करके भूतपूर्व सैनिकों की विशेष गणना करने की शक्यता का निरीक्षण कर रही है। मामला अभी समन्वेषी प्रावस्था में है।

सैनिक प्रशिक्षण के लिये भूमि का अर्जन

3638. श्री हेमराज : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों में सरकार ने देश में सैनिक प्रशिक्षण के लिये कोई भूमि अर्जित की है; और

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : सूचना सहज प्राप्य नहीं है और इकट्ठी की जा रही है। एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

पंचमढ़ी में सैनिक स्कूल

3639. श्री नीतिराज सिह चौधरी :
श्री गा० शं मिश्र :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचमढ़ी में एक सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह स्कूल कब तक खुल जाने की सम्भावना है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचारधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आकाशवाणी से राजनैतिक प्रसारण सम्बन्धी संहिता

3640. **श्री मधु लिमये** : **श्री भोगेन्द्र झा** :
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री वासुदेवन नायर** :
श्री हेम बरुआ :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद् में हुई चर्चा आलोचना को ध्यान में रखते हुए राजनैतिक प्रसारणों के बारे में आकाशवाणी की नीति पर पुनर्विचार किया है;

(ख) क्या वर्तमान संहिता अथवा नियमों में कोई परिवर्तन किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो ये परिवर्तन किस दिशा में किये गये हैं तथा क्या परिवर्तन किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) से (ग) : किसी प्रकार का परिवर्तन करने से पहले सभी राजनीतिक दलों के नेताओं तथा मुख्य मन्त्रियों से बात-चीत करने का विचार है ।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी, खड़कवासला

3641. **श्री आत्म दास** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी, खड़कवासला के पाठ्यक्रम पर विचार करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की गई है;

(ख) क्या यह समिति देश की अन्य प्रतिरक्षा अकादमियों के पाठ्यक्रमों पर भी विचार करेगी; और

(ग) यह समिति कब तक अपना प्रतिवेदन दे देगी ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शिक्षा पाठ्य-विवरण में संशोधन करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति स्थापित करने का एक निर्णय किया गया है । प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विस्तृत विषयों और सदस्यता की अन्तिम रूपरेखा तैयार की जा रही है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न इस समय नहीं उठता ।

संयुक्त अरब गणराज्य तथा इसराईल के युद्ध से शिक्षा

3642. श्री हेम बरुआ :
श्री समर गुह :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त अरब गणराज्य और इसराईल के बीच हुए युद्ध से कोई ऐसी शिक्षा ग्रहण की है जो सैनिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की दृष्टि से हमारे राष्ट्र के लिये महत्वपूर्ण हो;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या पश्चिम एशिया में स्थायी शान्ति के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से सरकार का कोई कार्यवाही करने का अथवा किसी कार्यवाही का सुझाव देने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : पश्चिम एशिया की हाल की घटनाओं ने यह दिखा दिया है कि शक्ति से कोई समस्या नहीं सुलझती और उस क्षेत्र में शान्ति तथा स्थिरता तब तक स्थापित नहीं हो सकती जब तक कि इसराईल की सशस्त्र सेनाएं उन इलाकों से पूरी तरह नहीं हट जाती जिनपर उन्होंने हाल ही में कब्जा किया है ।

(ग) भारत ने सदा शान्ति का पक्ष लिया है और इस उद्देश्य के लिए संयुक्त राष्ट्र में और उसके बाहर सक्रियतापूर्वक कार्य कर रही है ।

मेजर जनरल रिखी का वक्तव्य

3643. श्री हेम बरुआ :
श्री कंवर लाल गुप्ता :
श्री समर गुह :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र संघ की आपातकालीन सेना के कमांडर मेजर जनरल रिखी के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव को गाजा में तैनात संयुक्त राष्ट्र संघ की आपातकालीन सेना के भारतीय सैनिकों की मृत्यु के बारे में अपने प्रतिवेदन में दिया है, जिसमें कहा गया है कि तोपखाने से होनेवाली गोलाबारी से होने वाली मोतों का एक कारण यह था कि उनके कैम्प संयुक्त अरब गणराज्य के सैनिक ठिकानों के निकट थे; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : ऐसी कई घटनाएं हुई जिनमें इसराईल की सेनाओं ने संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना के भारतीय कर्मचारियों पर आक्रमण किया। इस बयान में इन घटनाओं में से केवल एक ही घटना का उल्लेख किया जा सका और इस एक घटना के बारे में भी इसकी वैद्यता स्थापित करने के लिए और पूछताछ करने की जरूरत है।

कलाकारों की भर्ती

3644. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो तथा टेलीविज़न के कार्यक्रमों के लिये पूना स्थित भारतीय फ़िल्म संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कलाकारों की भर्ती करने का सरकार का विचार हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां। सरकार भारतीय फ़िल्म संस्थान, पूना के डिप्लोमा धारियों को आकाशवाणी के टेलीविजन केन्द्र में काम दिलाने के बारे में प्रस्ताव तैयार कर रही है और पदों के ब्योरों की जांच करने तथा भर्ती के नियम एवं प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए एक समिति बना दी गई है। ध्वनि प्रसारण के लिए उन्हें भर्ती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) निर्णय यथाशीघ्र लिया जाएगा।

भारतीय वायु सेना के भर्ती केन्द्र

3646. **श्री हेम राज** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायु सेना में भर्ती के लिये राज्यवार अब तक कितने भर्ती केन्द्र तथा उपकेन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में एक एक भर्ती केन्द्र खोलने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) : देश में कुल 17 वायु सेना भर्ती केन्द्र हैं। हर राज्य में एक, सिवाए केरल और हर्याना के। आवश्यकतौर पर वह केन्द्र केवल उन राज्यों के लिए ही नहीं है जिनमें वह स्थापित किए गए हैं। कोई उपकेन्द्र नहीं है। वर्तमान भर्ती केन्द्र आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं।

Use of Hindi in Official Work

3647. **Shri Molahu Prasad : Shri Ram Sewak Yadav : Shri Rabi Ray : Shri Maharaj Singh Bhaati:**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of sections in the Administrative division of his Ministry where work is done originally in Hindi;

(b) whether it is a fact that the demand by the officers for the English translation of the papers received and documents prepared originally in Hindi, is the main obstacle in the use of Hindi, and

(c) if so, the steps proposed to be taken to remove the said obstacle ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Wholly in one sction and partially in two others.

(b) Lack of command of advanced Hindi among personnel of all levels is the main reason for the slow progress in the use of Hindi.

(c) Hindi has been made a compulsory subject in the Departmental Examination for confirmation of officers of the IFS and the Hindi Teaching Scheme, formulated by the Ministry of Home Affairs, is being implemented at the Headquarters of the Ministry as well as in our Missions/Posts abroad. Expansion of translation capacity in the Ministry is also under consideration.

Incentives for Employees Attending Hindi Classes

3648. **Shri Molahu Prasad : Shri Ram Sewak Yadav: Shri Rabi Ray : Shri Maharaj Singh Bharati :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether his Ministry has drawn up a scheme of its own to give incentive to such Government employees who attend the Hindi classes started by the Ministry of Home Affairs; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) No, Sir.

(b) The Ministry of Home Affairs has been vested with the responsibility of implementing decisions and directives of the Government of India on the introduction of Hindi in Government Departments/Ministries and they have introduced the Hindi Teaching Scheme which provides incensives and cash awards for Government Emoloyees who obtain due proficiency in Hindi. The Scheme applies equally to all Ministries/Departments of the Government of India and as such no independent scheme was or is contemplated by the Ministry of External Affairs.

Area of India after Partition

3649. **Shri Molahu Prasad : Shri Maharaj Singh Bharati : Shri Rabi Ray Shri Ram Sewak Yadav**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the total area of India after the creation of Pakistan in 1947;

(b) the said area on the 31st August, 1966; and

(c) the square miles of area handed over to Pakistan by Government under various agreements ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) Figures of area of India after the creation of Pakistan in 1947 were not computed as such. Including the area of former Princely States which acceded to India and Portuguese and French posssessions which became united with India later, the area of India as on 1.1.1966 was 3,268,090 square kilometers as compiled by the Central Statistical Organisation.

(b) It has been decided that variations in the area figures as a result of continuous survey are not to be published except once in 10 years at the time of the census. The Minister of Education placed a statement on the Table of the House on 5th August, 1966 in this connection.

(c) The position is as follows :

(i) **India–East Pakistan border** : The demarcation is not yet complete and hence the question of handing over any area to Pakistan does not arise at this stage.

(ii) **Punjab–West Pakistan border** : The demarcation has already been completed in 1960 and the exchange of all adversely held territories in this Sector was carried out on 17th January, 1961. Details of the areas exchanged were given to the Lok Sabha by the late Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru on 19th August, 1961 in reply to the Unstarred Question No. 1674.

(iii) **Rajasthan–West Pakistan border** : Demarcation has been completed in this Sector. As there were no adversely held areas in this Sector, the question of exchange of areas did not arise.

(iv) **Gujrat–West Pakistan border** : Ther demarcation has not yet been completed. The Award of the Kutch Tribunal is awaited.

भारतीय नौसेना के ध्वज पोत (फ्लैग शिप) की कुवैत यात्रा

3650. **श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1965 में जब भारतीय नौसेना का एक ध्वज पोत सद्‌भावना यात्रा पर कुवैत गया था, तो उसे कुवैत पत्तन में दाखिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी और उसे कुवैत से 20 मील दक्षिण में मिना अल अहमदी के छोटे से तेल के पत्तन पर लंगर डालने के लिए कहा गया;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जब तक वे वहां रहे उस अवधि में भारतीय नागरिकों का कुवैत नगर में प्रवेश बन्द कर दिया गया था;

(घ) क्या इस सद्‌भावना यात्रा वाले पोत का कुवैत सरकार ने कोई स्वागत नहीं किया; और

(ङ) यदि हां; तो क्या उस पोत को अपनी सद्‌भावना यात्रा की अवधि कम करके स्वदेश लौटना पड़ा था ?

प्रति रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) कुवैत का भ्रमण करने वाले नौसैनिक पोतों की हालत में साधारण प्रथा के अनुसार, कुवैत के 16-3-65 से 20-3-65 तक शिष्ट मंडलीय भ्रमण के दौरान आई०एन०एस० विक्रान्त और आई०एन०एस० कुठार ने मीना अलमेह्दी के परे लंगर डाले थे।

(ग) जी हां, सिवाय उस समय के जब वह संगठित दलों में तट पर जाते हैं।

(घ) भारतीय नौसैनिक पोतों के भ्रमण के संबंध में कुवैत अधिकारियों ने स्वागतीय दिए थे।

(ङ) पोतों को अपना कुवैत का शिष्ट मण्डलीय भ्रमण स्थगित नहीं करना पड़ा था।

जवानों के लिए सुविधाएं

3651. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों की सरकारें सैनिक कर्मचारियों की आवश्यकताओं की ओर उतना ध्यान नहीं दे रही हैं जितना कि भारत--पाकिस्तान संघर्ष के दौरान दिया जाता था;

(ख) क्या जवानों को मकान बनाने तथा खेती करने के लिये भूमि देने आदि सुविधाएं शीघ्र प्रदान की जाती हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 'चिशूल के महान योद्धा' स्वर्गीय मेजर शैतान सिंह के पुत्र को छात्रवृत्ति देने का वचन दिया था; और

(ङ) यदि हां, तो क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार के शिक्षा निदेशक ने उसका आवेदन पत्र नामंजूर कर दिया था और स्वर्गीय मेजर के पुत्र को अपना अध्ययन बन्द करना पड़ा था ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग) इस प्रकार के कोई विशिष्ट मामले कि राज्य सरकारें सेवाओं के सेविवर्ग की ओर उतना ध्यान नहीं दे रहीं जितना भूमि और कृषि कार्यों के लिए भूमि के संबंध में वह भारत--पाकिस्तान संघर्ष के बीच देती थी, सरकार के ध्यान में नहीं लाए गए;

(घ) और (ङ) राजस्थान सरकार को आवश्यक सूचना देने को लिखा गया है, जभी प्राप्त हुई वह सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में पानी की सप्लाई के लिए सेना के ट्रक

3652. श्री आत्मदास : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में पीने का पानी लाने के लिये बिहार सरकार को कुछ सैनिक ट्रक दिये गये हैं;

(ख) क्या सैनिक अधिकारियों द्वारा मध्य प्रदेश के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की सहायता दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार से ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई, और इस लिए इस किस्म की कोई सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सैनिक कर्मचारियों के लिये राशन

3653. **श्री आत्म दास :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक कर्मचारियों के राशन की मात्रा कम कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कटौती अस्थायी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि जवानों को कम राशन दिये जाने से उनके स्वास्थ्य तथा कार्य-कुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो विशेषकर नेफा और लद्दाख क्षेत्रों में जवानों के स्वास्थ्य तथा कार्य-कुशलता को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिह) : (क) 60 ग्राम की एक स्वैच्छिक प्रायोगिक (ऊंचे स्थान के लिए राशन स्केल वालों को छोड़कर फील्ड सर्विस राशन स्केल वाले जवानों के राशन में प्रति व्यक्ति प्रति दिन दो औंस) कटौती फरवरी, 1966 में की गई थी और अब तक जारी है ।

(ख) कटौती का समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और इस समय 29 फरवरी, 1968 तक लागू है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता । इसके अतिरिक्त जसा ऊपर कहा गया है फरवरी 1966 की गई कटौती लद्दाख और उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्रों के ऊंचे स्थानों पर स्थित सैनिकों पर लागू नहीं है ।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को रोगारण युद्ध सामग्री की सप्लाई

3654. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली हथियारों की सहायता में अमरीका ने पाकिस्तान को रोगाणु युद्ध सामग्री भी दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । तदापि, पाकिस्तान जनेवा प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर करने वालों में से हैं, जो युद्ध में विषैली या अन्य गैसों और जीवाणु युद्ध के ढंगों का निषेध करता है ।

मालदीव तथा अन्य भारतीय द्वीपों में चीनी लोगों की घुसपैठ

3655. श्री मधु लिमये : **श्री राम सेवक यादव :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : **श्री जे० एच० पटेल :**
श्री रवि राय : **श्री मोलहू प्रसाद :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मालदीव द्वीप समूह के एक द्वीप में कुछ ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी की ओर दिलाया गया है जो चीनी भाषा जैसी भाषा बोलते है;

(ख) क्या मालदीव तथा हिन्द महासागर के अन्य द्वीप समूहों में चीनियों द्वारा की गई इस घुसपैठ के समाचार मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो मालवीय अथवा अन्य द्वीपों के अधिकारियों के सहयोग से अथवा स्वयं इस घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है । इस सवाल का संबंध ऐसे विषयों से है जो भारत सरकार के अधिकार--क्षेत्र में नहीं आते । लेकिन जहां तक इस तरह की घटनाओं का भारत के हितों पर प्रभाव पड़ता है, सरकार समुचित सतर्कता बरत रही है ।

मैसूर में अणु शक्ति केन्द्र

3656. श्री क० लकप्पा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मैसूर में एक अणु शक्ति केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) 1962 में भारत सरकार ने अणु शक्ति केन्द्र स्थापित करने के लिए उचित स्थान की सिफारिश करने

के लिए स्थान चुनाव समिति को नियुक्त की थी, जिसने मैसूर राज्य में मेकादतू के निकट 'संगम' स्थान को अणु शक्ति के लिए विभिन्न दृष्टिकोण से उपयुक्त बताया है। उस स्थान का अभी तक विस्तृत सर्वेक्षण नही किया गया क्योंकि अब इस स्थान पर अणु शक्ति केन्द्र स्थापित करने का विचार नहीं है।

अंगोला से आये हुए विद्यार्थी

3658. **श्री शिंकरे :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुर्तगाली बस्ती अंगोला में पिछले पांच वर्षों में कितने विद्यार्थी अध्ययन के लिये भारत आये;

(ख) उनमें से कितने विद्यार्थी क्रमशः गोआ में तथा गोआ से बाहर की शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं;

(ग) उनमें से कितने विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम पूर्ण करने में सफल हो गये हैं और उन्होंने क्या योग्यता प्राप्त की है;

(घ) क्या गोआ में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों में से कुछ विद्यार्थियों ने देहरादून तथा मद्रास में अग्रेतर अध्ययन की सुविधायें दी जाने के लिये सरकार से प्रार्थना की है; और

(ङ) क्या अंगोला के उन विद्यार्थियों ने धन की कमी अथवा जाति और राजनैतिक विचारधारा के आधार पर गोआ के एक वर्ग को जनता द्वारा दुर्व्यहार किये जाने की शिकायत की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 24

(ख) ये विद्यार्थी जिन पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर रहे हैं उनका विवरण इस प्रकार हैं:-

I) आई०एम०ए०, देहरादून में सैनिक प्रशिक्षण	– 7 विद्यार्थी
II) पुलिस ट्रेनिंग स्कूल फिल्लौर में पुलिस प्रशिक्षण	– 6 विद्यार्थी
III) गोआ में मारगोआ में नर्सिंग पाठ्यक्रम	– 7 विद्यार्थी
IV) गोआ में पोलिटेकनिक पाठ्यक्रम	– 2 विद्यार्थी

और मद्रास में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अन्य दो विद्यार्थी।

(ग) अभी तक किसी भी विद्यार्थी ने इन शिक्षा संस्थानों में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की है। ये लोग जून 1966 के भारत आए और चूंकि वे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते थे इस कारण 6 महीने के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया जिसे मजबूरन 12 महीने तक की अवधि के लिए बढ़ाना पड़ा जिससे कि उन्हें अंग्रेजी भाषा का काम चलाऊ ज्ञान हो जाए। वास्तव में, वे अब ऊपर (ख) में बताए गए पाठ्यक्रमों का नियमित रूप से अध्ययन करना आरम्भ करने वाले हैं। आई०एम०ए० में पाठ्यक्रम 20 जुलाई से शुरू होने वाला है और आई०टी०आई०, मद्रास में 1 अगस्त से। शेष विद्यार्थियों ने पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है।

(घ) ऊपर (ख) में पाठ्यक्रम बताए गए हैं वे, उनके निर्वासित नेताओं के परामर्श से, जो कि लियोपोल्डवील (कांगो) में रह रहे हैं, स्वयं इन्हीं विद्यार्थियों के कहने से शुरू किए गए हैं। सरकार ने उनकी प्रार्थना हर तरह से स्वीकार की है।

(ङ) इन विद्यार्थियों से धनाभाव की कोई शिकायत नहीं मिली है क्योंकि गोआ में प्रशिक्षण के दौरान उन्हें काफी मात्रा में शिक्षावृति मिलती रही है।

गोआनी लोगों द्वारा दुर्व्यहार किए जाने की कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन, गोआ में अब भी कुछ पुर्तगाल-समर्थक लोग हैं जो भारत द्वारा निर्वासित अंगोलावासियों को सहायता देने के विचार का स्वागत नहीं करते और सम्भवत: इसी वर्ग ने विद्यार्थियों के प्रति कुछ उपेक्षा दिखाई है।

आकाशवाणी केन्द्र पणजी (गोआ) के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

3659. **श्री शिकरे :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी केन्द्र पणजी–गोआ में गोआनी कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उस केन्द्र में वे कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं;

(ख) क्या पुर्तगाली शासन काल में उस केन्द्र में कार्य कर रहे गोआनियों सहित सभी कर्मचारी स्थानान्तरित किये जा सकते हैं;

(ग) क्या गोआनी कर्मचारियों को लम्बी अवधि से वहां से स्थानान्तरित न किये जाने के कारण वे लोग अपनी इच्छा के अनुसार कार्यक्रमों सम्बन्धी नीति बनाने और अपनी मर्जी के कलाकार नियुक्त करके दूसरी सरकारों को कार्यक्रमों में भाग लेने से वंचित करने में समर्थ हो गये हैं; और

(घ) क्या आकाशवाणी के पणजी केन्द्र के सभी कर्मचारियों पर स्थानान्तरण सम्बन्धी नियमों तथा विनियमों को समान रूप से तथा बिना किसी भेदभाव के लागू करने का सरकार का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के. के. शाह) : (क) आकाशवाणी, पणजी में कार्य करने वाले 108 गोआनी कर्मचारी मुक्ति के समय लिए गए थे। वे इस केन्द्र पर 7--8 साल काम कर चुके थे।

(ख) और (घ) एमीसोरा-डे-गोआ से लिए गए गोआनियों समेत आकाशवाणी, पणजी के सभी कर्मचारी बदली सम्बन्धी उन्हीं सेवा–शर्तों के अधीन है जो आकाशवाणी के कर्मचारियों पर लागू होती हैं। नियम तथा विनियम सभी कर्मचारियों पर बिना किसी भेद भाव के लागू किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)
RE : CALLING ATTENTION NOTICE (QUERY)

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यान दिलाने वाली सूचना।

श्री कृष्णकुमार चटर्जी (हावड़ा) : हमने इस सभा के एक माननीय सदस्य के बारे में, समाचार पत्रों के अनुसार जिन पर हमला किया गया है, ध्यान दिलाने वाली सूचना दी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास प्रातःकाल सैंकड़ों ध्यान दिलाने वाली सूचनायें आती हैं। मुझे पता है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इसका भी उल्लेख किया था। उस पर भी विचार किया जायेगा।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : वह अस्पताल में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूँ।

श्री हेम बरुग्रा (मंगलदायी) : यह बड़ी गम्भीर बात है कि इस सभा के सदस्य पर हमला किया गया है। अतः प्रधान मंत्री अथवा गृह मंत्री को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संसद्-कार्य मंत्री को सभा की भावना से अवगत कर दूंगा।

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : मैं प्रधान मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बारे में वक्तव्य दें।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The statement will not do. This matter should come before the House.

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर विचार किया जायेगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्या मंत्री महोदय को कुछ कहना है।

डा० रामसुभग सिंह : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं प्रधान मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह सुविधानुसार वक्तव्य दें।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मामला न्यायालय में विचाराधीन होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : न्यायालय में विचाराधीन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। समाचार पत्रों के अनुसार वह अस्पताल में दाखिल हैं।

Shri Madhu Limaye : The statement containing facts should come. There is no question of sub-judice.

श्री शिव नारायण : माननीय सदस्य अस्पताल में हैं। उनकी स्थिति ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री पहले ही बता चुके हैं कि वह मंत्री महोदय को सभा की भावना बता देंगे तथा जानकारी यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

भारत के खाद्य निगम के कुछ कर्मचारियों द्वारा अनशन का समाचार

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"बहुत समय से की जा रही मांगों के क्रियान्वित न किये जाने के विरोध में खाद्य विभाग के अट्ठारह हजार कर्मचारियों द्वारा 20 जून, 1967 को समस्त भारत में भूख हड़ताल का समाचार"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) ; इस पर वक्तव्य दिये जाने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं । माननीय मंत्री आज वक्तव्य देने जा रहे हैं जबकि जानकारी एक कहानी बन चुकी है । ऐसे विषयों पर तो तुरन्त उत्तर आना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास सैकड़ों नोटिस आते हैं । हमें प्रत्येक नोटिस को महत्व के आधार पर प्राथमिकता देनी होती है । हमें एक दिन में एक नोटिस लेना होता है । माननीय सदस्य जो कहते हैं वह भी ठीक है । परन्तु इस बारे में क्या किया जा सकता है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : यह कहना ठीक नहीं है कि देश भर में 18,000 खाद्य कर्मचारियों ने 20 जून, 1967 को सामूहिक भूख हड़ताल की थी । वास्तविक स्थिति यह है कि अखिल भारतीय खाद्य कर्मचारी एसोसियेशन ने लगभग 17,000 खाद्य कर्मचारियों के नाम एक निदेश जारी किया था (इनमें से लगभग 6,000 कर्मचारी पहले ही भारतीय खाद्य निगम में प्रतिनियुक्ति पर हैं) कि वे अपनी मांगें पूरी करवाने के लिये केवल 20 जून, 1967 को भूख हड़ताल करें । उस दिन कितने कर्मचारियों ने वास्तव में भूख हड़ताल की, इस सम्बन्ध में ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, यह सूचना मिली है कि भूख हड़ताल शान्तिपूर्वक ढंग से समाप्त हुई और कहीं भी सामान्य कार्य में कोई विघ्न नहीं पड़ा ।

एसोसियेशन की मांगें इस प्रकार हैं :—

(क) भारतीय खाद्य निगम के साथ कार्यों तथा खाद्य विभाग के कर्मचारियों का सम्पूर्ण क्षेत्रीय समन्वय करना;

(ख) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में संशोधन कर खाद्य विभाग के कर्मचारियों की भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरण की शर्तों को तय करना ; और

(ग) भारत में सभी बन्दरगाहों पर केन्द्रीय खाद्य विभाग के निकासी, नौभारक, परिवहन आदि कार्यों का विभागीकरण ।

चूंकि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना पहली जनवरी, 1965 को हुई थी, इसीलिये खाद्य विभाग का लगभग एक तिहाई कार्य निगम को हस्तान्तरित किया जा चुका है । दक्षिणी क्षेत्र के डिपो 1–4–1965 और पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डिपो 1–4–1966 से 1–11–1966 तक की अवधि में हस्तान्तरित किये गये थे । कुछ अन्य कार्य भी खाद्य निगम को हस्तान्तरित किये गये हैं । हस्तान्तरित कार्यों के साथ अब तक खाद्य विभाग के 6000 राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति पर खाद्य निगम में स्थानान्तरण हुआ है । देश में गत कई महीनों से अत्यधिक कठिन खाद्य स्थिति और विशेषकर पिछले दो वर्षों से बहुत अधिक आयात के कारण खाद्य विभाग से निगम को अन्य कार्यों का हस्तान्तरण जान-बूझ कर धीमा कर दिया गया है । बन्दरगाहों पर खाद्यान्नों के सम्भालने और विभिन्न राज्यों में उसके वितरण का काम अत्यधिक पेचीदा हो गया है और इसमें बहुत सी प्रशासनिक कठिनाइयां हैं जिनके लिये विभिन्न सरकारी सम्बन्धित एजेन्सियों के बीच निकट समन्वय की आवश्यकता है । यह मानते हुये कि भारतीय खाद्य निगम अभी भी अपने आपको स्थापित करने की अवस्था में है इसीलिये यह वांछनीय नहीं समझा गया है कि उस पर तुरन्त ही देश भर में खाद्यान्नों की निकासी और वितरण सम्बन्धी सारे कार्यों को करने का भार डाला जाए । तथापि, सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और जितनी जल्दी यह व्यवहार्य होगा, कार्य की शेष मदों को निगम को हस्तान्तरित करने का विचार है ।

(ख) सरकार ने खाद्य निगम अधिनियम, 1964 में उपयुक्त संशोधन प्रस्तावित कर खाद्य विभाग के कर्मचारियों के भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरण सम्बन्धी शर्तें पहले ही तय कर दी हैं । इस उद्देश्य के लिये संसद् के वर्तमान अधिवेशन में एक बिल पेश किये जाने की सम्भावना है ।

(ग) बन्दरगाहों पर खाद्यान्नों के संभालने से सम्बन्धित कार्यों के विभिन्न पहलुओं के विभागीकरण के काम को धीरे-धीरे कार्यरूप दिया जा रहा है । तथापि, इसके साथ ही साथ खाद्यान्नों के भारी आयात से बन्दरगाहों पर किसी प्रकार का विघ्न न पड़ने देने की बात और विभिन्न वितरण केन्द्रों को तत्परता से खाद्यान्न भेजने के अत्यधिक कठिन कार्य को भी ध्यान में रखना पड़ता है । बम्बई, कांडला, मद्रास और विशाखापत्तनम पर इन कार्यों का पहले ही विभागीकरण कर दिया गया है । यह प्रक्रिया निरन्तर चलने वाली है और हम निकट भविष्य में कलकत्ता बन्दरगाह पर भी खाद्यान्न कार्यों के कुछ विभिन्न पहलुओं का विभागीकरण करने की स्थिति में हो जायेंगे ।

श्री समर गुह : अध्यक्ष महोदय, यह एक विचित्र वक्तव्य है । पहले वाक्य में कहा गया है कि यह कहना सही नहीं है कि 18,000 कर्मचारियों ने हड़ताल की थी और उसी पैरे में उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों की सही संख्या का पता नहीं है । यदि उन्हें जानकारी का

पता नहीं है तो वह कैसे कह सकते हैं कि इतने कर्मचारियों ने हड़ताल नहीं की थी। उससे आगे तीसरे पैरे में कहा गया है कि खाद्य विभाग का एक-तिहाई काम निगम को सौंप दिया गया है। उसी पैरे में यह भी कहा गया है कि अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया है। इसी प्रकार और भी कई एक विचित्र बातों का इसमें उल्लेख किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये।

श्री समर गुह : यह एक परस्पर-विरोधी वक्तव्य है। अतः मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह तथ्यपूर्ण वक्तव्य दें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इनको खाद्य निगम में नियुक्त किया जायेगा। दूसरे 1964 के अधिनियम में कब संशोधन किया जायेगा (ग)——

उपाध्यक्ष महोदय : आप श्री हेम बरुआ की तरह प्रश्न न करें।

श्री समर गुह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भूख हड़ताल शांतिपूर्ण है तथा काम का नुकसान न करते हुए की गई थी। क्या सरकार उस संस्था के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे बातचीत करेगी ताकि उस मामले को संतोषजनक तरीके से निपटाया जा सके?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं माननीय मंत्री को इस बात से सहमत नहीं हूं कि वक्तव्य में परस्पर-विरोधी बातें हैं। बात यह है कि हमने विभिन्न प्रादेशिक निदेशालयों से बातचीत की थी। प्रादेशिक निदेशकों ने कहा है कि हम नहीं बता सकते कि कितने कर्मचारियों ने भूख-हड़ताल की है। उनके पास कोई जानकारी नहीं है। वक्तव्य में भी यही कहा गया है कि 18,000 कर्मचारियों ने भूख हड़ताल नहीं की थी।

श्री उमानाथ (पुदुकोटै) : यदि आपके पास सही आंकड़े नहीं हैं तो उनके बारे में गलत बातें मत कहिए। वे भी हमारे देशवासी हैं।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : खाद्य विभाग में 18,000 कर्मचारी नहीं हैं।

श्री उमानाथ : वह दूसरी बात है।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। हम आशा करते थे कि आप, इस बात पर विनिर्णय देंगे परन्तु नहीं दिया गया। मंत्री महोदय ने भी अपनी टिप्पणी को वापिस नहीं लिया है। मंत्री महोदय कहते हैं कि हमें पता है कि भूख हड़ताल कैसे की जाती है। लोग घर में खा कर यहां आ जाते हैं। यह ठीक बात नहीं है। जो कोई भी भूख हड़ताल करता है उसे कष्ट उठाना पड़ता है। अतः हमें उनके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिये।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं यह सब कुछ उसी जानकारी के आधार पर कह रहा था जो मुझे उन अधिकारियों से मिली थी जिनके पास वे कर्मचारी काम करते हैं। मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं और मैंने यह भी नहीं कहा था कि उन्होंने हड़ताल नहीं की थी। यदि माननीय सदस्य ने उसे ऐसा समझ लिया है तो मुझे उस पर खेद है। मैं कर्मचारियों की संस्था के साथ सहर्ष बातचीत करना चाहूंगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : आप कई बार कर चुके हैं ।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : हम इस सम्बन्ध में इसी सत्र में कानून बनाने का प्रयास करेंगे ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या विधेयक पुरःस्थापित हो चुका है ।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : वह तैयार है ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : आप जैसे नवयुवक को जरा जल्दी काम करना चाहिये ।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इसके लिये धन्यवाद । जहां तक सारा काम खाद्य निगम को सौंपने का सम्बन्ध है हम चाहते हैं कि निगम को काम एक बार नहीं बल्कि प्रक्रमों में सौंपा जाये । क्योंकि उसे बने अभी केवल दो वर्ष ही हुए हैं । हम चाहते हैं कि खाद्य निगम को यथाशीघ्र यह काम सौंप दिया जाये ।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : मेरा ऐसा विचार है कि पुराने खाद्य विभाग के सभी कर्मचारियों को खाद्य निगम में नहीं खपाया जा रहा है । जब निगम में भर्ती की जाये तो पुराने खाद्य विभाग के कर्मचारियों को वरीयता दी जानी चाहिये ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है । हमारी कर्मचारियों के साथ पूरी सहानुभूति है । खाद्य विभाग के कर्मचारियों को आवेदन-पत्र भेजने में कोई रुकावट नहीं है । वहां पर चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : सेवा के जारी रहने की क्या स्थिति है ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सेवा जारी रहने के बारे में कोई कठिनाई नहीं है । दूसरे, निगम में वेतनमान भी अधिक है । अतः निगम में आने से कर्मचारियों को और लाभ भी होते हैं ।

श्री अ० क० गोपालन : माननीय मंत्री ने कहा है कि वे आवेदन-पत्र भेज सकते हैं । मैं यह पूछना चाहता हूं कि उन्हें सर्वप्रथम वरीयता क्यों न दी जाये । उनकी कई वर्षों तक नौकरी करने के बाद छंटनी की गई है ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं यह सुझाव देने को तैयार हूं कि खाद्य निगम को इन्हें वरीयता दी जानी चाहिये और साथ ही साथ योग्यता का भी ध्यान रखा जाना चाहिये ।

श्री अ० क० गोपालन : क्या उनका चयन बिना योग्यता के आधार के किया गया था ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मेरे विचार से माननीय सदस्य का प्रश्न उच्चतर पदों के लिये है ।

श्री अ० क० गोपालन : उन्हीं पदों के लिये।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : उन्हीं पदों के लिये कोई कठिनाई नहीं है।

श्री उमानाथ : वक्तव्य से पता चलता है कि लगभग 6000 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं। सरकार को उन्हें वापिस बुलाना चाहिये।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम उनकी सेवायें निगम में ही स्थानान्तरित कर देना चाहते हैं। उनकी सेवाओं को स्थानान्तरित करके हम उन्हें कानूनी संरक्षण देने के लिये विचार करेंगे। हम इसके लिये एक कानून बना रहे हैं।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अम्बल पुजा) : मैं यह जानना चाहूँगी कि इस कानून में कर्मचारियों द्वारा सुझाये गये उपबन्ध होंगे या वे उपबन्ध होंगे जो सरकार ने सुझाये थे और जिन्हें उन्होंने स्वीकार नहीं किया था ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : कर्मचारियों की दो मुख्य मांगें ये थीं कि खाद्य विभाग से खाद्य निगम में स्थानान्तरण होने पर उन्हें कानूनी मान्यता प्रदान की जानी चाहिये। दूसरे, संशोधन विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले संरक्षण और विशेषाधिकार आने चाहिये। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कानून कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिये ही बनाया जा रहा है। उन्हें ऐसे सब अधिकार मिलेंगे।

श्री उमानाथ : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं नहीं चाहता हूं कि श्रीमती सुशीला गोपालन ने जो बात कही है उसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिये। क्या इस विधेयक में वे सब उपबन्ध होंगे जो कर्मचारियों ने अस्वीकार कर दिये थे अथवा इसमें वे उपबन्ध होंगे जिनका कर्मचारियों ने अपने प्रारूप संशोधन में सुझाव दिया था।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : कर्मचारियों की दोनों मांगें विधेयक में शामिल की गई हैं। मैं पहले ही यह बता चुका हूँ।

श्री उमानाथ : उन्होंने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। उन्हें स्पष्ट कहना चाहिये कि क्या उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार किया था।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : विधेयक पर चर्चा करते समय माननीय सदस्य ऐसा पूछ सकते हैं।

श्री उमानाथ : अब विधेयक तैयार कर लिया गया है तो माननीय सदस्य को स्पष्ट उत्तर दे देना चाहिये था।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं यह कहने को तैयार नहीं हूँ कि वह शब्दशः ऐसा ही है।

श्री उमानाथ : आवश्यक रूप से।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : कर्मचारियों की दोनों मांगें उसमें हैं।

श्री उमानाथ : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस विधेयक में वही उपबन्ध हैं जिन्हें कर्मचारियों ने अस्वीकार कर दिया था।

श्री कृष्णकुमार चटर्जी (हावड़ा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या विधेयक के पुरास्थापित किये जाने से पहले वे उसकी अन्तर्निहित बातें जान सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक अभी सभा में नहीं आया है परन्तु उन्होंने कहा है कि मांगें शामिल की गई है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इसका उत्तर देने में उन्हें क्या आपत्ति है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : उनकी पहली मांग यह थी कि खाद्य विभाग से खाद्य निगम में आने पर उनकी नौकरी की कानूनी तौर पर रक्षा की जानी चाहिये। उसे स्वीकार कर लिया गया है और विधेयक में लाया गया है। दूसरी मांग संविधान के अनुच्छेद 311 के अन्तर्गत कर्मचारियों को मिलने वाले अधिकारों और विशेषाधिकारों के बारे में थी। उसे भी विधेयक में लाया गया है। मैं किसी विशिष्ट मांग के बारे में उत्तर दे सकता हूं, सब के बारे में नहीं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या यह प्रस्तावित विधेयक वही है जो कर्मचारियों ने अस्वीकार कर दिया था अथवा यह संशोधित विधेयक है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमने ये सब बातें विधि मन्त्रालय को बता दी थी तथा यह विधेयक विधि मंत्रालय के ड्राफ्ट के अनुसार तैयार किया गया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : वक्तव्य में मंत्री महोदय ने कहा है कि बम्बई, कांडला, मद्रास और विशाखापत्तनम में इन कार्यों का पहले ही विभागीकरण कर दिया गया है। यह प्रक्रिया निरन्तर चलने वाली है और हम निकट भविष्य में कलकत्ता बन्दरगाह पर भी खाद्यान्न कार्यों के कुछ विभिन्न पहलुओं का विभागीकरण करने की स्थिति में हो जायेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिये कोई तारीख निश्चित की गई है और यदि हो, तो कौन सी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : पहले यह कहा गया था कि कलकत्ता बन्दरगाह पर खाद्यान्न कार्यों का विभागीकरण कर दिया जायेगा। परन्तु बाद में अनुमान लगाया गया कि वह लाभप्रद नहीं रहेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने पूछा था कि 'निकट भविष्य' का क्या अर्थ है। तो उन्होंने कहा कि मूल्य बढ़ जायेंगे, आदि। वह सभा को गुमराह कर रहे हैं।

श्री तुलसीदास जाधव (बारामती) : जब मंत्री महोदय प्रश्न का उत्तर दे रहे हो तो उन्हें इस तरह से रोका नहीं जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : वह ओर जानकारी चाहते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : माननीय मंत्री के वक्तव्य में 'निकट भविष्य' का उल्लेख किया गया है। उनसे उसका अर्थ है यह पूछना मेरा अधिकार है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यदि माननीय सदस्य जरा धैर्य रखते तो मैं स्वयं ही उन्हें सन्तुष्ट कर देता। मैं बताना चाहता हूं कि ठीक तरह से काम आगे बढ़ावे अगले तीन अथवा चार महीनों में हमारा विचार काम पूरा कर देने का है।

राज्य-सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है;

"कि लोक सभा द्वारा 16 जून, 1967 को पास किये गये भ्रष्टाचार-निरोध विधियां (संशोधन) विधेयक, 1967 से राज्य सभा अपनी 22 जून, 1967 की बैठक में बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।"

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

पहला तथा दूसरा प्रतिवेदन

श्री पं० वैंकटासुब्बया (नन्द्याल) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :

(1) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय—भारत की चलचित्र संस्था, पूना, के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय—चलचित्र सेंसर बोर्ड, बम्बई, के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक
SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (AMENDMENT) BILL

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि मंत्रियों के वेतन-तथा-भत्ते अधिनियम, 1952 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, 1952 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री हाथी : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

चाय क्षेत्रों के उत्प्रवासी श्रमिक (निरसन) विधेयक

TEA DISTRICTS EMIGRANT LABOUR (REPEAL) BILL

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि चाय क्षेत्रों के उत्प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1932 का निरसन करने तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि चाय क्षेत्रों के उत्प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1932 का निरसन करने तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्री हाथी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

कम्पनी अधिकरण (उत्पादन) विधेयक — जारी

COMPANIES TRIBUNAL (ABOLITION) BILL—Contd.

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : मैंने इस विधेयक पर बहस को अच्छी तरह से सुना है। मैं माननीय सदस्य श्री नि० चं० चटर्जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस बहस में भाग लिया है।

Shri Madhu Limaye : (Monghyr): We submit that answer to all our questions should come.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): हमें जल्दी नहीं करनी चाहिये। राष्ट्रपति कनाड़ा के लिये रवाना हो चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : समय सीमा निर्धारित की गई है। उन्हें 15 मिनटों में भाषण समाप्त करना है।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : मुझे प्रसन्नता हुई है कि श्री चटर्जी ने, जिन्हें इस बारे में बहुत ज्ञान है, इस विधेयक का समर्थन किया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह हमारे विचार अथवा उद्देश्य से बहुत दूर है। इसमें अनुच्छेद 111 के अन्तर्गत न्यायाधिकरण द्वारा प्रयोग किये जा रहे अधिकार अथवा क्षेत्राधिकार को केन्द्रीय सरकार को सौंपने की व्यवस्था है। यही स्थिति इस अधिकार अथवा क्षेत्राधिकार को न्यायाधिकरण को सौंपने से पहले थी। समवाय अधिनियम की धारा 111 के अन्तर्गत शेयरों के हस्तान्तरण का पंजीयन करने का या पंजीयन करने का अधिकार दिया गया है। इन मामलों की अपीलें केन्द्रीय सरकार को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत भी केन्द्रीय सरकार के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में जा सकता है, समवाय अधिनियम की धारा 157 के अन्तर्गत भी उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है। अतः सदस्यों की विधेयक के बारे शंका निर्मूल है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इससे विलम्ब कम होने का हमारा उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा क्योंकि कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, इलाहाबाद आदि उच्च न्यायालयों में बड़ी संख्या में अनिर्णीत मामले पड़े हैं इसलिये उनके लिये उन्हें सौंपे गये मामलों को निपटाना संभव नहीं होगा। इस सम्बन्ध में मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि ऐसे मामलों की संख्या बहुत कम होती है। दूसरी बात यह है कि ये मामले केवल उच्च न्यायालयों में ही नहीं, वरन् इलाहाबाद, कलकत्ता, बम्बई आदि शहरों में जहां उच्च न्यायालय है, सभी में दायर किये जा सकते हैं। इसलिये इनको निपटाने में बहुत कम समय लगेगा। कलकता, मद्रास तथा बम्बई उच्च-न्यायालयों में समवाय कार्य से सम्बन्धित मामलों को निपटाने के लिये पृथक बेंच है।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) **:** कलकत्ता उच्च न्यायालय में इस कार्य के लिये एक समवाय विधि न्यायाधीश नियुक्त किये गये हैं, जो प्रायः वर्ष भर यही कार्य देखते हैं।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : इन मामलों को उच्च न्यायालय को सौपने पर उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मामलों की संख्या नहीं बढ़ेगी।

श्री स० कुन्डू (बालासोर)**:** जब तक हम इस कार्य के लिये उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों की संख्या नहीं बढ़ायेंगे तब तक समस्या हल नहीं होगी।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : मैं समझता हूं कि इससे उच्च न्यायालयों में कार्यभार नहीं बढ़ेगा। यदि थोड़ा बहुत बढ़ भी जाये तो मुख्य न्यायाधिपति कार्य को इस प्रकार बांट सकते हैं जिससे वह शीघ्र निपटाया जा सके।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि मामलों को निपटाने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ : प्रक्रिया निर्धारित करना उच्चत्तम न्यायालय का कार्य है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया है कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये। माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों तथा मेरे उत्तर से यह स्पष्ट है कि प्रवर समिति में इस पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अपना भाषण मध्यान्ह भोजन के बाद जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात 2 बजे म० प० पुनः समवेत हुई

The Lock Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** }
{ **Mr. Dy. Speaker** ***in the Chair*** }

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में समवाय विधि के कार्य तथा उनमें होने वाले विलम्ब का उल्लेख किया है । इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि यदि हमें इस प्रकार के किसी मामले का पता लगता है या हमें इस प्रकार के किसी मामले के बारे में बताया जाता है तो हम उसमें शीघ्र कार्यवाही करते हैं । किन्तु इसके साथ साथ माननीय सदस्यों को यह बात भी समझनी चाहिये कि कभी कभी निर्णय लेने में अनेक कठिनाइयां सामने आती हैं । हमें कोई निर्णय करने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करना पड़ता है । मैं माननीय सदस्य के इस विचार से पूर्णतः सहमत हूं कि हमें समवाय विधि के उपबन्धों को नये दृष्टिकोण से देखना चाहिए । हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं । माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में अपने सुझाव देने चाहिए । माननीय सदस्य श्री मधु लिमये ने इस अधिनियम में संशोधन करने के लिये गैर-सरकारी सदस्यों का एक विधेयक पुरःस्थापित करने की सूचना दी है । यह विधेयक पुरःस्थापित किये जाने के बाद सरकार उसमें दिये गये सुझावों पर विचार करेगी । इसके अतिरिक्त मैं सभा को यह भी बताना चाहता हूं कि हम देश में एकाधिकार पर नियंत्रण रखने के लिये विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार कानून बनाने का विचार कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य समवाय विधि के बारे में जो सुझाव देंगे उनका हम स्वागत करेंगे ।

माननीय सदस्य ने कुछ ऐसी बातें उठाई हैं जिनका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं माननीय सदस्य को यह नहीं समझना चाहिए कि हम उत्तर देना नहीं चाहते हैं या कोई बात छिपाना चाहते हैं । श्री मधु लिमये ने पाकिस्तान में एक चाय कम्पनी का उल्लेख किया है । मैं समझता हूँ कि उनका आशय पाट्रोकोला चाय कम्पनी से है । इसके बारे में उन्होंने इस वर्ष जून के दूसरे सप्ताह में मुझे पत्र लिखा था । मैंने इस मामले की जांच की है ओर मेरा उत्तर उनको मिलने वाला हो होगा । इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि श्री सुराना ने जिनकी शिकायत पर माननीय सदस्य ने मुझे पत्र लिखा था, कलकता उच्च न्यायालय से प्रार्थना की थी कि वह केन्द्रीय सरकार को निदेश दे कि इस कम्पनी के मामलों की जांच करने के लिये समवाय अधिनियम की धारा 237 (क) (दो) के अन्तर्गत एक निरीक्षक नियुक्त किया जाये । प्रमाणों के अभाव में न्यायालय ने श्री सुराना की प्रार्थना स्वीकार नहीं

की। इसके बाद सितम्बर, 1966 में श्री सुराना ने डनकन ब्रदर्स लिमिटेड के, जिसने 31 मार्च 1956 तक इस कम्पनी के मैनेजिंग एजेन्ट के रूप में काम किया था, विरुद्ध तथा मैसर्स मुन्नालाल मालोटिया एण्ड कम्पनी नामक एक शेयर-दलाल फर्म के जिसने मैसर्स डनकन एण्ड कम्पनी लिमिटेड से बड़ी संख्या में पाट्रोकोला टी कम्पनी के शेयर खरीदे थे, विरुद्ध आरोपों के बारे में एक अभ्यावेदन समवाय विधि बोर्ड को दिया था। यह अभ्यावेदन श्री सुराना से मैसर्स मुन्नालाल मालोटिया एण्ड कम्पनी के शेयर उसी दर से खरीदने से इन्कार करने के बारे में था जिस दर से बड़ी संख्या में शेयर मैसर्स डनकन ब्रदर्स लिमिटेड से खरीदे गये थे। श्री सुराना की प्रार्थना पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद समवाय विधि बोर्ड ने उन्हें सलाह दी कि वह आरोपों के समर्थन में सामग्री सहित समवाय अधिनियम की धारा 234 (7) के अन्तर्गत कम्पनी रजिस्ट्रार, कलकत्ता को अभ्यावेदन दें। 8 मार्च, 1967 को उन्हें ऐसा करने के लिए दुबारा कहा गया था। किन्तु उन्होंने अभी तक इस सलाह के अनुसार अभ्यावेदन नहीं दिया। श्री सुराना 1 जून, 1967 को समवाय विधि बोर्ड के अध्यक्ष से मिले और उन्हें 8 जून के बाद अभ्यावेदन देने का वचन दिया। वह समवाय विधि बोर्ड से इस कम्पनी के खातों की भी जांच कराना चाहते थे किन्तु उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया।

वार्ली एण्ड कम्पनी के बारे में भी कुछ उल्लेख किया गया था। इस सम्बन्ध में श्री लिमये ने भूतपूर्व विधि मंत्री को भी पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने उनका ध्यान इस कम्पनी की 31 मार्च 1965 तक के सन्तुलन पत्र की ओर दिलाया था। समवाय विधि बोर्ड के निदेश पर कम्पनी रजिस्ट्रार, कलकत्ता इस कम्पनी के खातों की जांच कर रहे हैं।

माननीय सदस्य इस बारे में 26 जुलाई. 1966 और 15 नवम्बर, 1966 को इस सभा में प्रश्न भी पूछ चुके हैं। उन्हें बताया गया है कि अभी मामला विचाराधीन है। माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया गया था कि इस कम्पनी ने लन्दन में हिसाब किताब की जांच करने के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की एक फर्म नियुक्त की है। 26 मई, 1967 के माननीय सदस्य के एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। रिपोर्ट को देखते हुए विभाग कम्पनी से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर रहा है। हाल में कम्पनी से यह भी कहा गया है कि वह कम्पनी के अध्यक्ष श्री गमन से बात का स्पष्टीकरण मांगे कि लन्दन स्थित कम्पनी के सम्बद्ध रहने पर लन्दन में हुए सौदे के बारे में जानकारी क्यों नहीं है। कम्पनी से प्राप्त उत्तर के अनुसार इस मामले में अन्तिम निर्णय किया जायेगा।

तीसरी बात डनकन स्ट्रेटर एण्ड कम्पनी के बारे में उठाई गई है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य इस सभा में अनेक बार प्रश्न भी पूछ चुके हैं। 16-9-65, 4-11-65 तथा 22-3-66 को उनके प्रश्नों के उत्तरों में उन्हें स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है। 22-3-66 के प्रश्न के उत्तर में माननीय सदस्य को बताया गया था कि कम्पनी के खातों की जांच की जा रही है। उसके बाद 16-8-66 और 29-11-66 को माननीय सदस्य को बताया गया था कि डनकन स्ट्रेटन के खातों की जांच पूरी हो चुकी है किन्तु उससे सम्बन्धित कुछ फर्मों के खातों की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। इस कम्पनी के दो अधिकारियों और श्री हरि

दास मूंदड़ा पर मुकदमे चलाये गये हैं। श्री बागड़ी और श्री अग्रवाल ने यह स्वीकार कर लिया कि उन्होंने इस अधिनियम का उल्लंघन किया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने डनकन स्ट्रेटन, ब्रह्मपुत्र टी कम्पनी तथा श्री हरिदास मूंदडा तथा श्रीमती मूंदड़ा को कारण बताओ नोटिस दिये कि उन्होंने विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन क्यों किया है। प्रवर्तन निदेशालय इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही अवश्य करेगा।

समवाय कार्य विभाग को इण्डियन ऑक्सीजन लिमिटेड के विरुद्ध कोई शिकायतें नहीं मिली हैं। इस सम्बन्ध में कुछ प्रश्न भी पूछे गयें हैं जिनका अभी उत्तर दिया जाना है। समवाय कार्य विभाग ने बम्बई में क्षेत्रीय निदेशक को इस मामले की जांच करके शीघ्र रिपोर्ट देने के लिये कहा है।

मैं समझता हूं कि मैंने इस विधेयक के बारे में प्रायः सभी बातें स्पष्ट कर दी हैं। अनेक कठिनाइयों को दूर करने के लिये ही यह विधेयक लाया गया है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक का समर्थन करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि कम्पनी अधिकरण के उत्पादन का उपबन्ध करने के लिए और उससे संसक्त मामलों सम्बन्धी विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रुप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खंड वार विचार किया जायेगा। खंड खंड में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है ;

'कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 2 was added to the Bill.

श्री सी० मुत्तुस्वामी (करुट) मैं अपने संशोधन संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मतदान के रखे तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments No. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 was added to the Bill.

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई

The Sehedu was added to the Bill

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause I, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

'कि विधेयक को पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

अनुदानों की मांगे 1967–68

DEMANDS FOR GRANTS-1967-68

प्रतिरक्षा मन्त्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम प्रतिरक्षा मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेंगे इसके लिये 7 घंटे निर्धारित किये गये हैं।

सभा के उपस्थित जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे 15 मिनट के अन्दर सभा पटल पर उनके बारे में लिखकर भेज दें।

वर्ष 1967-68 के लिये प्रतिरक्षा मन्त्रालय की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गई ;

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
4.	रक्षा मन्त्रालय	54,14,000
5.	रक्षा सेवायें सक्रिय—स्थल सेना	4,48,27,33,000
6.	रक्षा सेवाएं सक्रिय—नौ सेना	25,97,33,000
7.	रक्षा सेवाएं सक्रिय—वायु सेना	1,07,02,00,000
8.	रक्षा सेवाएं—निष्क्रय	17,00,00,000
111.	रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	83,68 36,000

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, नीति निर्नुमोदन सम्बन्धी मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं। मेरा पहला कटौती प्रस्ताव नौ सेना के दो बेड़ों में पुनर्गठन करने के बारे में है।

मैं यह मानता हूँ कि हमारी सेना के बारे में यह स्वीकृत स्थित है कि उसका उद्देश्य बाह्य आक्रमणों से देश की रक्षा करना है, किसी देश पर आक्रमण करना नहीं। किन्तु हमारी सुरक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमारी सेना को अपनी कार्यवाही करने से पहले, किसी बाह्य आक्रमण की प्रतिक्षा करे हमने 1965 में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान देखा है कि नौ सेना को विशेष आदेश दिया गया था कि भारतीय जहाज पोरबन्दर का उत्तरी लाइन पर और उसकी दक्षिणी लाइन पर किसी भी भारतीय तट से 200 मील से दूर शत्रु के जहाजों का पीछा न करे। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की रक्षा व्यवस्था देश के हित में नहीं है।

हमें विशेष रूप से अपनी नौ सेना की व्यवस्था को स्पष्ट रूप से समझने के लिए कुछ भूभौतिक तथा राजनैतिक स्थिति की ओर ध्यान देना होगा ताकि हम अपनी नौ सेना की स्थापना के ढांचे का स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सके।

भूभौतिकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारतीय तटवर्ती लाइन, जिसके आस पास हमारी नौ सेना एक मात्र बेड़े के साथ जैसी कि वर्तमान स्थिति है, क्रियाशील रह सकती है, वह श्रीलंका को बीच में छोड़ कर 3000 मील लम्बी है। दूसरी बात यह है कि श्रीलंका के दक्षिण में त्रिकोनामाली में हमारा एक नौ सैनिक अड्डा है। तीसरी सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे अन्दमान द्वीप समूह की, जो 100 मील के अन्दर एक अच्छी स्थिति में है तथा जिसके पूर्व से बंगाल की खाड़ी और हिन्द महासागर में केवल दो प्रवेश मार्ग हैं,

आज सुरक्षा की दृष्टि से बहुत खराब स्थिति है। अन्तिम बात यह है कि भारत का लगभग 60 प्रतिशत विदेश व्यापार और 60 प्रतिशत तटीय व्यापार तो पूर्वी तट पर ही होता है। राजनैतिक कारण इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि चीनी प्रभाव में आकर श्री लंका अपने बन्दरगाहों पर विशेषरूप से त्रिकोनामाली में नौ सैनिक अड्डे पर हमें आवश्यक सामान उपलब्ध करने की सुविधाएं देने से इन्कार कर सकता है। दूसरा निकट पडोसी देश बर्मा है जो हमारा मित्र है। किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन का एक मात्र उद्देश्य एशिया का नेतृत्व करना है। मलयेशिया भी हमारे मित्र देशों में से है। यह ठीक है कि इण्डोनेशिया फिर हमारा मित्र बन गया है किन्तु हम उसकी ओर से पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं रह सकते हैं। यह फिर चीन या पाकिस्तान के सहयोग या समर्थन से हमारा शत्रु बन सकता है।

इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे दूरस्थ पड़ौसी देश थाइलैंड, लाओस, कम्बोदिया और वियतनाम भी हमारे लिये महत्वपूर्ण है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के कारण इनका भी नेतृत्व करना चाहता है। हमें अपनी रक्षा व्यवस्था के लिये इन सब तथ्यों को ध्यान में रखना होगा।

इस समय हमारे दो समाव्य शत्रु चीन और पाकिस्तान है जो मिलकर अथवा अलग अलग हमारे विरुद्ध कार्यवाही कर रहे है। हमें अपनी देश की सुरक्षा के लिये पूर्व में बंगाल की खाड़ी और हिन्द महासागर में भारतीय नौसेना के सम्बन्ध में पांच मुख्य काम करने पड़ेगे। पहला कार्य यह है कि समुद्र से बंगाल की खाड़ी तथा हिन्द महासागर में प्रवेश मार्गों पर, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है, कड़ी और सतत निगरानी रखनी होगी। दूसरा कार्य यह है कि भारतीय नौ सेना को उन मार्गों से हिन्द महा सागर में आने वाले घुसपैठियों का पता लगाना होगा और उन्हें नष्ट करना होगा।

तीसरी बात और जो कि सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि यदि घुसपैठिये आते हैं तो अन्डमान द्वीप समूहों की रक्षा करनी पड़ेगी और यदि एक बार भी दुश्मन की सेनाएं इन द्वीप समूहों में घुस आयीं, तो उस स्थिति में एक ओर तो भारत के पूर्व तट की रक्षा करनी मुश्किल हो जायेगी और दूसरी और हिन्द महासागर तथा बगाल की खाड़ी से गुजरने वाले समुद्र-मार्गों की रक्षा करना अति कठिन हो जायेगा। इसके साथ एक बात यह भी है, जैसा कि पहले मैं कह चुका हूँ कि भारत का 60 प्रतिशत विदेश व्यापार या तो पूर्वी तट से आरम्भ होता है या फिर वहां पर समाप्त होता है, उस समय भारत को माल लाने वाले जहाजों की, विशेषतः भारतीय जहाजों तथा उनके समुद्री मार्गों की रक्षा करना एक विकट समस्या बन जायेगी।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या हमारी नौ सेना द्वारा उस रूप में जिसमें कि वह इस समय संगठित है, यह कार्य पूरा किया जा सकता है? वास्तविकता यह है कि आज हमारी नौ सेना का केवल एक बेड़ा है जो कि पश्चिम में बम्बई और कोचीन में स्थित है, शत्रु के साथ संघर्ष होने पर, केवल थोड़े से जहाजों को ही बगाल की खाड़ी में भेजा जा सकता है।

देश की सुरक्षा, समुद्री मार्गों की रक्षा तथा सामारिक महत्व की दृष्टि से समूची भारतीय नौ सेना का दो बेड़ों में एक पश्चिमी बेड़ा तथा दूसरा पूर्वी बेड़ा-पुनर्गठन करना आवश्यक है। ये दोनों बेड़े अलग-अलग कमानों के अधीन रहें किन्तु इन दोनों पर नौ सेना ध्यक्ष का पूरा नियंत्रण रहना चाहिए। मैं समझता हूं कि भारतीय नौ सेना को दो स्वतन्त्र कमानों में विभक्त करने का प्रश्न वर्ष 1952 से सरकार को विचाराधीन है। इसमें अब किंचित विलम्ब भी सामरिक तथा रणनीति की दृष्टि से हानि कर है। इसलिये इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय तथा क्रियान्विति की आवश्यकता है।

इस सम्बन्ध में मूलभूत आवश्यकता यह है कि पूर्वी तट पर एक बहुत बड़ा नौसैनिक अड्डा तथा डाकयार्ड स्थापित किया जाये जिसमें ड्राइडौक, मरम्मत तथा संभरण सम्बन्धी सभी सुविधाएं उपलब्ध हों, इस समय पूर्वी तट पर व्यापारी जहाजों की मरम्मत, ड्राइडौक तथा 'टर्न राउन्ड' की सुविधाएं इतनी उपहासजनक हैं कि उन्हें केवल हमारा जैसा देश ही बर्दाश्त कर सकता है, दूसरे अब इस पहलू पर विचार करना आवश्यक है कि पूर्वी तट पर नौ सैनिक बेड़ा किस प्रकार का हो। चूंकि इस सम्बन्ध में मेरी सीमित जानकारी है, तथापि मैं समझता हूं कि पूर्वी नौसैनिक बेड़े में कम से कम एक या दो विमान वाहक समुद्री जहाज (एयर क्राफ्ट कैरियर) होंगे जिनमें अस्त्र शस्त्रों तथा आवश्यक सामान से लैस चक बड़ी तेज तथा रक्षक यूनिटें होंगी, इन यूनिटों में ऐसे डेस्ट्रौयर्स कारवेट्स और फ्रीगेट्स होंगी जो दुश्मन घुसपैठियों विशेषत: पनडुब्बियों को जिनके बारे में हमें वास्तव में चिन्ता करने की जरूरत है मार गिराने के लिये तैनात रहेंगी।

इसके बाद अण्डमान को पहले दर्जे का अग्रिम नौसैनिक अड्डे के रूप में विकसित करने का महत्वपूर्ण प्रश्न है वास्तव में आवश्यकता इस बात की है कि अन्डमान में उच्च प्रशिक्षण-प्राप्त स्थल सेना, वायुसेना तथा नौ सेना के ऐसे यूनिटों का एक सुसज्जित अग्रिम अड्डा होना चाहिए, जो हमेशा सतर्क तथा सावधान रहे और निरन्तर संयुक्त अभ्यास करते रहे। इसके अतिरिक्त पूर्वी तट पर हवाई अड्डों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जहां से हवाई सेना की यूनिटें जो पूर्वोत्तर से खतरा उत्पन्न होने पर दूर दूर तक टोह ले सकें।

भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तथा उसके कई महीने बाद तक जो चीज मुझे चुभी वह यह कि जब पाकिस्तान हमारे अखनूर क्षेत्र में घुसा था, तो हमने शानदार जवाबी कार्यवाही के रूप में सियालकोट क्षेत्र में बडे पैमाने पर हमला बोल दिया और काफी आगे बढ़ गये और उसके पश्चात् हम एक साथ ही रुक गये। चाहे इसके लिये कुछ भी स्पष्टीकरण दिया गया हो, पर वास्तविकता यह थी कि हमारे बख्तरबन्द दस्ते इतनी बुरी तरह फंस गये थे कि उनके लिये उससे आगे बढ़ना असम्भव हो गया था। जहां तक में समझ पाया हूं इसके कई कारण थे जिनमें से एक तो यह है कि जब हमारे बख्तरबन्द दस्ते आगे बढ़े तो उन्हें लड़ाई में अथवा युद्ध में गतिरोध के समय हमारी हवाई सेना से पर्याप्त सहायता नहीं मिली। दूसरा कारण यह है कि बख्तरबन्द दस्तों के पश्चात् तुरन्त पीछे से आने वाले पैदल दस्ते बहुत दूर रह गये थे जो दो अथवा तीन दिन बाद पहुँचे थे जिसका साधारण कारण यह था कि वे उन ट्रकों में आ रहे थे जिनमें ट्रक ह्वील्स नहीं अपितु टायर के पहिये थे। इसी प्रकार उस सप्लाई को बनाये रखने के लिए जो कि पीछे से सहायता देने के लिये की जाती

है, वही कठिनाई उत्पन्न हो गई। सैनिक कार्यवाही की समूची व्यवस्था बुरी तरह अपर्याप्त थी। यदि आगे बढ़े हुए बख्तरबन्द दस्ते तथा सैनिक टुकड़ियां अपनी जगह पर डटे रहे तो इसका एक मात्र कारण था उनका अदम्य साहस तथा सराहनीय बहादुरी।

जहां तक हमारे तोपखाने का सम्बन्ध है, वह अब भी ऐसा है जो स्वयमेव नहीं चलता बल्कि इधर उधर अथवा अन्य स्थानों को गाड़ियों से ढकेल कर अथवा खींच कर ले जाया जाता है और पाकिस्तानी तोपखाने की तुलना में यह बहुत कम दूरी तक मार करता है।

इन सब में सबसे अधिक गई–गुजरी तथा खराब हमारी संचार व्यवस्था है; पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई में सबसे अधिक असफलता संचार व्यवस्था की थी, वास्तविकता यह थी कि रक्षा दस्तों और कमानों के बीच संचार सम्बन्धों की व्यवस्था पूर्णतः अपर्याप्त थी।

जहां तक टैंकों का सम्बन्ध है, हमारे बख्तरबन्द दस्तों के पास अव्वल दर्जे के सैन्च्यूरियन टैंक हैं। हमारे सैनिक उनके बारे में खूब अच्छी तरह जानते हैं और उन्हें बखूबी चला सकते हैं परन्तु प्रश्न यह है कि टैंक दस्ते किस हद तक तैयार रहते हैं, वास्तविकता यह है कि यदि हम अपने टैंक स्क्वार्डन्स को लड़ाई के 24 घंटे में तैयार होने का नोटिस दें तो 50 प्रतिशत से अधिक स्क्वार्डन तैयार नहीं मिलेंगे जिसका मुख्य कारण उनका रख रखाव तथा फालतू पूर्जे आदि हैं।

मैं युद्ध की वास्तविक संचालन नीति चालें तथा तरीकों के बारे में नहीं कह रहा हूँ लेकिन मैं तो केवल उन्हीं सबके बारे में कह रहा हूं जो कि हमें अभी सीखने हैं और यदि सीख भी लिये हैं, तो हमने उन पर अभी तक अमल नहीं किया है।

Shri Amit Nahata (Barmer) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I would like to invite the attention of the House towards those borders which received attention for the first time when Indo-Pak conflict broke out. The Rajasthan border contiguous to Pakistan was most neglected one, and it attracted the attention of the Government only when Pakistan attacked this area in 1965 and the army had to be moved to this border and they had to face tremendous difficulties in the area as there were no means of communications and the soldiers had to track their way through the desert where even drinking water was not available. Fortunately melous were available in the fields near -- that helped the soldiers in quenching their thirst. Even after this bitter experience. proper arrangements for the security of this vast border have not yet been made, added to this, adequate means of communications, and facilities, for the movement of troop to the border have also not been provided in the area. Lack of proper and adequate arrangement. for the security of the border is an open invitation to the enemy for infiltration and occupation.

Coming to the construction of roads in Rajasthan to facilitate the movement of troops to the border the Union Government asked the State Government of Rajasthan to take up the work of road construction in their hands and set up a proper machinery to handle this work costing about 7 to 8 crores of rupees. Accordingly the State Government set up the adequate machinery for the purpose, and started construction. The roads, as per schedule are to be completed by November, 1967. The State Government is now in position to achieve the target provided necessary funds are made available to them, But now they are being told that the Central Government can pay only about half the amount this year. This has created a great problem for the State Government and has

left no alternative but to delay the construction and completion of the roads for another two or three years.

So far as the railway facilities in the State are concerned, the situation is rather or equally disgraceful. It is an admitted fact that in the State of Rajasthan whose border is so vulnerable the railways can not go a long way in helping the movement of troops and other strategic materials. It is absolutely necessary in the interest of the security of the country to lay a net work of railways in the State. We can well realise the importance of our railways which gave a commendable performance during the Indo-Pak conflict. I hope that the Defence Ministry will pay adequate and due attention to the genuine demand of the area.

A field artillery range is being set up in the Jaisalmer district of Rajasthan to impart training to the toops. But this step required an area of about one thousand square miles with the result that near about 15 to 20 thousand people had to leave their home-steads and hearths. In the interest of the country's security, we have no objection to their being removed from this area, but immediate steps should be taken to resettle and compensate them.

[श्री गु० सि० ढिल्लों पीठासीन हुए
Shri G. S. Dhillon *in the Chair*]

Instead of making necessary efforts and arrangements for their rehabilitation authorities concerned are maltreating them as if they are offenders. This is, no doubt, a sorry state of affairs. In the circumstances, if the centre is shifted a little further to the west, the great hardships being faced by the effected people, can be averted.

During the Indo-Pak conflict, some civilians showed commendable bravery and helped the authorities by informing them of the advancement of Pakistani forces. One such informant, named Bijal, who not only informed our R. S. C. of the intrusion by Pakistani Rangers into an Indian village near the border, but also helped them a lot in repulsing this attack, was kidnapped by the Pakistanis and his whereabouts are not known till today even though about two years have passed since then. The hon. Minister should look into this matter also.

The Government have not paid adequate attention towards the dependents of these who laid down their lives for the couse of the cauntry during the conflict in 1965. Several announcements were made that free land and facilities of free education to the children would be given to the family members of the soldiers. But nothing has been done in this regard. Similarly the assurances given to the family members of the deceased who were killed during the course of the war, have not been implemented in full. The Government should do something to carry out their promises and assurances given in this regard.

श्री रणजीत सिंह (खलीलाबाद) : सभापति महोदय, जिस ढंग में प्रतिरक्षा आय-व्ययक प्रस्तुत किया गया है, उससे एक सन्देह उत्पन्न होता है कि क्या प्रतिरक्षा सम्बन्धी आय-व्ययक तैयार करने का कोई सिद्धान्त बनाया गया है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम बात है कि राष्ट्र की रक्षा के लिये सशस्त्र सेनाओं को तैयार करने के उद्देश्य से मंत्रि-मंडल द्वारा सदैव एक उच्च निदेश निर्धारित किया जाता है और सेवाओं को निश्चित और दृढ़ निदेश दिया जाता है जिसे राष्ट्रीय युद्ध लक्ष्य कहा जाता है। यह बड़े खेद तथा दुख की बात है कि हमारे देश में अब भी मंत्रि-मंडल द्वारा कोई उच्च निदेश नहीं निर्धारित किया जाता

और सेवाओं को नहीं दिया जाता है । वास्तव में सरकार यह नहीं जानती कि हम चीन के साथ, जिसने हमारा बहुत बड़ा भू-भाग अपने कब्जे में कर रखा है, और पाकिस्तान के साथ, जिसने हमारी सीमाओं का अतिक्रमण किया है, युद्ध रत हैं अथवा हमारे और इन दो पड़ौसी देशों के बीच शान्तिपूर्ण सम्बन्ध हैं । युद्ध-विराम युद्ध की समाप्ति नहीं है । कोई भी राष्ट्र, जिसमें आत्म-सम्मान तथा गौरव की लेश-मात्र भी भावना हो, उन देशों के साथ, जिन्होंने उसकी भूमि पर कब्जा कर रखा हो, शान्तिपूर्ण सम्बन्ध कायम नही कर सकता, इसलिये हमारी सरकार को हमारे राज्य क्षेत्र को विदेशियों के कब्जे से मुक्त करने की राष्ट्रीय युद्ध नीति निर्धारित करनी चाहिए थी । इसी प्रकार राष्ट्रीय युद्ध लक्ष्य निर्धारित करते हुए सरकार द्वारा सशस्त्र सेनाओं को इस आशय का निदेश दिया जाना चाहिए था कि वह विदेशियों के कब्जे में पड़ी हमारी भूमि को मुक्त करने की तैयारी करें और केवल जब ऐसा निदेश दिया जाये, तब ही हम प्रतिरक्षा के लिये उचित आय-व्ययक बना सकते हैं । इस बारे में सरकार का यह अनिर्णय हमारी सेनाओं की अभिप्रेरणा को चोट पहुंचा रहा है । बिना इसके कोई सेना न तो अपने आपको अच्छी तरह प्रशिक्षित कर सकती है और न ही वह युद्ध के समय लड़ सकती है ।

जहां तक शत्रुओं की शक्ति का सम्बन्ध है, प्रतिरक्षा विशेषज्ञों का अनुमान है कि चीन और पाकिस्तान की संयुक्त अथवा सम्मिलित शक्ति 40 डिवीजन है । यह जानकर भी हम केवल 20 डिवीजन सेना तैयार कर रहे हैं और इस पर भी सरकार कहती है कि हमारे पास धन नहीं है । यदि स्थायी सैनिक शक्ति बढ़ाना संभव न हो, तो इसका एक मात्र विकल्प है सहायक सेना की शक्ति को बढ़ाना—जो कि युद्ध-काल में सेना बढ़ाने का सबसे सस्ता तरीका है । इसका ज्वलन्त उदाहरण इसरायल है जिसके पास स्थायी सेना केवल 50,000 है लेकिन 48 घंटे के अन्दर यह सेना बढ़कर 2,50,000 हो गई थी ।

किन्तु सरकार इस सम्बन्ध में जो कुछ कर रही है वह यह है कि उसने स्थल-सेना में अफसरों की संख्या घटा दी है । उसे 6,000 से अधिक इमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अफसरों को, जिनमें से अधिकांश अफसरों को लड़ाई का अनुभव है, निकाल दिया है अथवा उनकी छंटनी कर रही है । वैसे भी यह उचित नहीं है कि जिन लोगों ने अपनी जान से खेल कर देश की रक्षा की, उनके साथ इस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जाये ।

एक वर्ष में 600 अधिकारी सेवा-निवृत्त होने वाले थे और एक वर्ष में प्रतिरक्षा अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण स्कूलों से केवल 1,100 अधिकारी प्रशिक्षण पाकर निकलते थे । इसलिये एक वर्ष में 700 अधिकारी कम होजाते थे, प्रतिरक्षा मंत्री ने उत्तर दिया कि सेना को जवान रखने के लिये ऐसा आवश्यक था । संभवतः मेरे प्रश्न के परिणामस्वरूप आपातकालीन कमीशन प्राप्त युवक अधिकारियों को सरकार ने सेवा-मुक्त कर दिया और सेवा-निवृत्त होने वाले अधिकारियों का सेवा-काल दो वर्ष और बढ़ा दिया गया । ये अधिकारी अयोग्य हैं । क्या सेना को जवान रखने का यही ढंग है ?

हमने एक व्यक्ति, अर्थात् नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक की सिफारिश पर नेशनल कैडेट कोर की संख्या घटा दी गई । 1963 में सभी सस्थाओं में नेशनल कैडेट कोर को अनिवार्य करने की योजना को लागू किया गया । 1966 में नये महानिदेशक के आने पर उनके

कहने पर इस योजना का उचित रूप में परीक्षण किये बिना ही उसे त्याग दिया गया। प्रादेशिक सेना की संख्या और मनोबल के बारे में सरकार का दृष्टिकोण बहुत निराशाजनक रहा है। प्रादेशिक सेना को इस देश की रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में आरम्भ किया गया था। 1960 में प्रादेशिक सेना के कुछ यूनिटों को, जिनमें आर्टिलरी यूनिट मुख्य थे, सेना का अंग बनाया गया था। 1962 तक वे इस स्थिति में रहे। अगस्त, 1962 में, जब चीन से खतरा पैदा हो गया था, इन यूनिटों को नियमित सेना से निकालने के आदेश दिये गये। सरकार ने स्वयं चीन के प्रति कड़ा रवैया अपनाया था और उस समय उसने इन यूनिटों को सेना से निकाल कर सेना को कम करने की बात सोची। 20 अक्तूबर से 15 नवम्बर, 1962 तक, जब चीन की सेना हमारी सीमाओं पर आगे बढ़ रही थी, इन यूनिटों को सेना से निकालने का काम किया जा रहा था। एक ओर तो रिजेविस्टो को सेना में सेवा के लिये बुलाया जा रहा था और दूसरी ओर जवानों द्वारा इसके विरुद्ध अभ्यावेदन करने पर भी इन यूनिटों को सेना से निकालने का काम जारी था। जब चीन ने युद्ध-विराम किया, तो जवानों को इन यूनिटों में वापस बुलाया गया और इन्हें सेना का फिर से अंग बनाया गया।

1965 में कच्छ संघर्ष के समय भी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति हुई। सितम्बर, 1965 में जब प्रादेशिक सेना के यूनिटों को नियमित सेना से पुनः निकालने के आदेश दिये गये तो मैं इस कार्यवाही को रोकने के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से मिला। उस समय एक मंत्री महोदय ने कहा कि काश्मीर में स्थिति नियंत्रण में है, हमें प्रादेशिक सेना की सहायता नहीं चाहिए, आप सेना के लोग व्यर्थ घबरा जाते हो। सेना के कमान्डरों ने मुझे वास्तविक स्थिति बताई परन्तु सरकार के रवैये में कोई अन्तर नहीं आया। 3 सितम्बर को जब जौरियां हमारे हाथ से निकल गया था, प्रादेशिक सेना के जवानों को घर भेजा जा रहा था। 4 सितम्बर को इन जवानों को वापस बुलाने के आदेश जारी किये गये। वे सब नियमित सेना के अयोग्य अधिकारियों में नेशनल कैडेट कोर और प्रादेशिक सेना में भेजने की सरकार की नीति के कारण हुआ। प्रादेशिक सेना के एक निदेशक ने शराब के एक व्यापारी को ऑनरेरी कैप्टन से आनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया और उसके तुरन्त बाद उसके कारखाने में महा प्रबन्धक का पद संभाल लिया। नियमित सेना के सेवा-निवृत्त होने वाले अधिकारियों को प्रादेशिक सेना में भेज दिया जाता है। सहायक सेना में कटौती की जा रही है, हम बड़ी सेना नहीं रख सकते। प्रतिरक्षा के बारे में इस राष्ट्र को कहां ले जाया जा रहा है?

सौभाग्य से मुझे पाकिस्तान के साथ गत वर्ष संघर्ष में मुझे लड़ने का और सम्मान प्राप्त करने का अवसर मिला और मुझे बैलिस्टिक और छोटे अस्त्रों का विशेषज्ञ होने का सौभाग्य प्राप्त है। इसलिए मैं उपकरणों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। अच्छे सामान का अर्थ है उच्च मनोबल। पिछले संघर्ष के समय जब भी हमारा प्रथम आर्मर्ड डिवीजन आगे बढ़ा, तो उसके केवल 50 प्रतिशत सेंच्युरियन टैंक अपने गन्तव्य स्थान तक पहुँच पाये, शेष रास्ते में ही खराब हो गये लेकिन यह तो भगवान की कृपा थी कि जब उसका एक यूनिट खेमकरन में आगे बढ़ा, तो एक भी टैंक में मशीनी खराबी पैदा नहीं हुई। क्या आगे भी हम भगवान की कृपा पर निर्भर करते रहेंगे?

हमने एक अपना टैंक 'विजयन्त" बनाना आरम्भ किया । यह सब प्रकार से अच्छा टैंक है परन्तु इसकी तोप सेंच्यूरियन टैंक की तोप से बहुत घटिया है । सेंच्यूरियन टैंक की तोप अब भी विश्व में सर्वोत्तम है । इसमें गोले फेंकने का वेग 4700 फुट प्रति सैकन्ड है, जो पैटन टैंक की तोप की तुलना में 1,000 फुट प्रति सैकन्ड अधिक है । किल्लौरा और खेमकरन में सेंच्यूरियन टैंकों ने बहुत अच्छा काम किया परन्तु हमारे सैनिक भी शत्रु से बहुत अच्छे थे ।

श्री दांडेकर ने विस्तृत रूप से वायरलैस सैटों के बारे में बताया । मैं संचार की कमी और संचार व्यवस्था के भंग हो जाने के कारण सेना को हुए नुक्सान के दो उदाहरण बताना चाहता हूँ । जब हमारी सेना सियालकोट की ओर बढ़ रही थी, तो पाकिस्तानी सेना और नागरिक सियालकोट छोड़ कर भाग गये थे, केवल वहां जाकर कब्जा करने की बात थी । आपस में बातचीत न हो सकने के कारण दोनों ब्रिगेड एक दूसरे की स्थिति का पता न लगा सके और प्रातः युद्ध-विराम हो गया । हमारे वायरलैस सैट रात्रि में काम नहीं करते और ऐसा ही हुआ था । अब भी सेना के पास अच्छे वायरलैस सैटों की कमी है । हम देश में ट्रांजिस्टर वाले वायरलैस सैटों का निर्माण कर सकते है लेकिन साधनों का उपयोग नहीं किया जा रहा है । ईशापुर कारखाने में एक अच्छी राइफल बनाई गई परन्तु ले जाने में सुविधाजनक नहीं है ।

अत्यन्त महत्वपूर्ण सामान के लिये अब भी हम विदेशों पर निर्भर करते हैं । संयुक्त अरब गणराज्य तकनीकी जानकारी में भारत के समान उन्नत नहीं है, फिर भी हमने एच० एफ० 24 विमान का इन्जन तो वहां पर निर्माण करने का निर्णय किया और शेष अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण ढांचा आदि देश में बनाने का निश्चय किया । इसमें समझदारी से काम नहीं लिया गया । हम जो राइफल प्रयोग कर रहे हैं, उनका वजन 10·5 पौण्ड है, इससे गोली ले जाने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है । विश्व में अधिक वेग और कम वजन की राइफलों को प्रयोग किया जा रहा है । ईजराइल ने ·2 श्रेणी की राइफलों का प्रयोग किया था, जिनका वेग 3200—3700 प्रति सैकन्ड है । अमरीका भी यही राइफलें प्रयोग कर रहा है । इसमें गोलियां बेकार भी कम जाती है और बहुत सी गोलियां सैनिक अपने साथ ले जा सकता है । लेकिन इन राइफलों के प्रयोग के लिये केवल 10 करोड़ रुपए दिये गये हैं ।

हमने गत संघर्ष से मिली शिक्षा से लाभ नहीं उठाया है । उदाहरण के लिये सेन्ट्रल सैक्टर में लाहौर की ओर बढ़ते हुए हमारी सेना के लिये हवाई हमले से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी । शत्रु के विमानों को हम आने से रोक नहीं पाते थे । वहां पर पूरे डिवीजन के मोर्चे पर एक भी लाइट ऐक-ऐक गन, विमान-भेदी तोप अथवा मशीनगन नहीं थी । ऐसी परिस्थिति में अनेक सेनाएं भाग खड़ी हुई हैं परन्तु यह हमारी सेना के लिये प्रशंसा की बात है कि इन परिस्थितियों में भी उन्होंने डटकर शत्रु का सामना किया । दूसरी कमी टैंकों के हमले से हमारे तोपखाने के बचाव के बारे में महसूस हुई । हमारी एक रेजीमैंट को अपनी तोपों को इस कारण से छोड़कर पीछे हटना पड़ा था । यह सिफारिश की गई थी कि प्रत्येक डिवीजनल आर्टिलरी में प्रत्येक तोप के क्षेत्र में टैंकों से बचाव की व्यवस्था होनी चाहिए और

प्रत्येक डिवीजन में यदि एक पूरी रेजीमैंट नहीं तो कम-कम विमान-भेदी तोपों की एक बैटरी होनी चाहिए। लेकिन वित्तीय लालफीताशाही का परिणाम यह हुआ कि फ्रांस में हमारे लिये तैयार 1,000 तोपों में से 600 तोपें पाकिस्तान का दल हमसे पहले वहां पहुँच कर खरीद ले गया और हमारे लिये बाकी बची हुई 400 तोपें रह गई। प्रतिरक्षा के लिये वित्त की स्थिति इतनी दयनीय है।

अब मैं दोषपूर्ण सैनिक गुप्त सूचना का एक उदाहरण दूंगा। इच्छोगिल नहर के बारे में सबको जानकारी थी लेकिन पूरे चार दिन तक हमारी सेनाएं सैनिक गुप्त-सूचना की कमी के कारण आगे नहीं बढ़ सकीं। यह पता लगाने में कितना समय लगता था कि इस नहर का पश्चिमी किनारा पूर्वी किनारे से ऊंचा है। वास्तव में सैनिक गुप्त-सूचना बिल्कुल थी ही नहीं। हजारों तीर्थयात्री, व्यापारी आदि पाकिस्तान जाते-आते रहते थे। एक सैनिक अधिकारी को असैनिक पासपोर्ट पर एक नागरिक के साथ में भेजकर यह सब पता लगाया जा सकता था। हमारी सरकार ने इस बारे से सोचा ही नहीं। मनोबल, जो बहुत महत्वपूर्ण है, के बारे में सरकार के लिये यह कहना आसान है कि हमारी सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है। पाकिस्तान के विरुद्ध हमारी सेना का मनोबल सर्वदा ऊंचा रहेगा। लेकिन क्या सभी स्थितियों में उनका मनोबल ऊंचा रहेगा। युद्ध से पहले अरब राष्ट्रों के मनोबल से पता लगता था कि विजयश्री उनके कदम चूमेंगी लेकिन उनका ये मनोबल युद्ध क्षेत्र में बना नहीं रह सका। इस लिये हमें इस समय ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिये कि सभी प्रकार की स्थिति में उनका मनोबल ऊंचा रहे। सैनिक मोर्चों पर लड़ते रहे और उनके परिवारों को सताया गया। पंजाब और राजस्थान के लिये गर्व की बात है कि अफसर जाकर सैनिकों के परिवारों की कठि-नाइयों की ओर ध्यान देते हैं। बाकी स्थानों में स्थिति भिन्न हैं। आज ही मुझे पता लगा कि मध्य प्रदेश में कर्नल की लड़की को भगा लिया गया और केवल इसलिये कि अपराधी पुलिस से सम्बन्ध रखता था, फर्स्ट इन्फारमेशन रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। इस प्रकार हम सेना में क्रान्ति के बीज बो रहे हैं, जो हमसे कोई भी नहीं चाहता है।

लेखानुदानों की मांगों को देखते हुये बजट में 15 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई है, जिससे लड़ाकू विमानों का एक पूरा स्क्वैड्रन बनाया जा सकता है। हम अशोक होटल के के विस्तार के लिये पैसा देते हैं और हम 20 लाख रुपये की लागत से एक आडिटोरियम बनाने की प्राथमिकता दे रहे हैं, जिस धन से दो नैट विमान खरीदे जा सकते हैं। वर्तमान बजट सीमाओं पर खतरे, विदेशी अधिकार से भारतीय राज्य क्षेत्र को मुक्त कराने को ध्यान में रख कर नहीं बनाया गया है। इसे अस्वीकार कर देना चाहिये। इस । एक ही इलाज है कि संसद की एक स्थायी समिति बनाई जाये, जो प्राथमिकता निर्धारित करने के लिये इन सब बातों पर विचार करे और राष्ट्रीय युद्ध उद्देश्य भी निर्धारित करे। सम्पूर्ण प्रतिरक्षा नीति को फिर से यथार्थवादी दृष्टिकोण से बनाया जाना चाहिये। यदि हम युद्ध के लिये तैयार हैं, तो शान्ति से रह सकेंगे अन्यथा कुचल दिये जायेंगे।

श्री शशी रंजन (पपरी) : श्रीमान् आफिसियल गैलरी में कोई भी उच्च सैनिक अधिकारी नहीं है। क्या आप निदेश देंगे कि प्रतिरक्षा सम्बन्धी बहस के समय कोई उच्च सैनिक अधिकारी आफिशयल गैलरी में रहना चाहिये ? क्या वे हमारी राय को महत्वहीन समझते हैं ?

सभापति महोदय : हमारा सम्बन्ध केवल प्रतिरक्षा मन्त्री से है, गैलरी में बैठे अधिकारियों से नहीं।

प्रति रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : यह संसदीय प्रथा ही है–हमें इसका दृढ़ता से पालन करना चाहिए–कि सभा के प्रति मन्त्रिमण्डल में सरकार के प्रवक्ता उत्तरदायी हैं न कि अधिकारी। मुझे विश्वास है कि सभा इस सुझाव से सहमत नहीं है क्योंकि यह लोकतन्त्र के सिद्धान्त के विरुद्ध है। हमें गैलरियों की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहिये चाहे वह प्रेस गैलरी हो, आफिसियल गैलेरी अथवा दर्शकों की गैलरी हो। प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्रत्येक मामले के लिए यहां पर मैं उत्तरदायी हूं।

श्री रणजीत सिंह : मेरे विचार में हम इस मामलों पर हमसे कुछ लोगों द्वारा प्रतिरक्षा मन्त्री और प्रतिरक्षा सचिव की उपस्थिति में सैनिक अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श की व्यवस्था करना अधिक उचित होगा।

श्री स्वर्ण सिंह : यद्यपि ऐसी इच्छा व्यक्त की गई है और मैं समझता हूं कि इरादा भी अच्छा है परन्तु यह लोकतन्त्र के सिद्धान्तों तथा संविधान की भावना के अनुकूल नहीं होगा। संसद् के प्रति केवल सरकारी प्रवक्ता उत्तरदायी है। इसमें स्थायी कर्मचारियों को, चाहे वे असैनिक हैं, थल, नौसेना अथवा वायुसेना के अधिकारी हैं। यह सरकार का उत्तरदायित्व है और असैनिक अधिकारियों, थल सेना अथवा नौसेना के अधिकारी हों, उनको सरकार द्वारा आदेश दिये जाते हैं और यहां सभा के प्रति हम उत्तरदायी हैं।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : श्रीमान् मैं प्रतिरक्षा मन्त्री से पूर्णतया सहमत हूं। संसद् सदस्यों के लिये आफिशियल गैलरी की ओर ध्यान देना अनुचित होगा। उनकी उपस्थिति से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। संसद के प्रति मन्त्रिमण्डल के जरिये मन्त्री उत्तरदायी हैं। इस वर्ष अथवा पिछली संसद् में आने वाले संसद् सदस्यों को संसद् की प्रथाओं को मानना तथा उनका आदर करना चाहिये। विरोधी पक्ष की बात पर वे भले ही ध्यान न दें, परन्तु उनके मंत्रियों द्वारा दी गई व्याख्या को तो मानना ही चाहिये (अन्तर्बाधायें)

सभापति महोदय : क्योंकि माननीय सदस्य अभी तक सहमत नहीं हुए हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अनेक वर्षों से पीठासीन अधिकारी रहा हूं और कभी भी, राज्य विधान मण्डल में भी नहीं, गैलरी में अधिकारियों की उपस्थिति का प्रश्न नहीं उठाया गया, यह एकदम गलत प्रश्न है।

प्रतिरक्षा मन्त्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या (1)	कटौती प्रस्ताव संख्या (2)	प्रस्तावक का नाम (3)	कटौती का आधार (4)	कटौती की राशि (5)
4	1	श्री स० कुण्डू	भारत की पूर्वोत्तर सीमा में रानी गंज से जलपाई गुड़ी तक उचित और कारगर रक्षा सेवाओं की व्यवस्था करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपये कर दी जाये ।
4	2	श्री नारायण दांडेकर	पुराने आयुध कारखानों के प्रबन्ध का और संयंत्र औजारों तथा उपकरणों का आधुनिकीकरण करने में असफलता ।	,, ,,
4	4	श्री नायनार	बी० ई० जी० एण्ड सेंटर, खड़की, पूना–3, के अधिकारियों द्वारा पानी ढोने वाले तथा सफाई करने वाले कर्मचारियों की छंटनी तथा उनके पुनःसंस्थापन का कार्य किया जाना ।	100 रुपए
4	5	श्री नायनार	बी० ई० जी० सेंटर, खड़की, पूना के असैनिक कर्मचारियों को कार्मिक संघ बनाने के अधिकारों को मान्यता देने की आवश्यकता ।	100 रुपए
4	6	श्री नायनार	बी० ई० जी० एण्ड सेंटर, खड़की, पूना, के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों से सम्बन्धित शिकायतें दूर करने की आवश्यकता ।	100 रुपए
4	7	श्री नायनार	512 आर्मी बस वर्कशाप, खड़की, पूना के कुछ कर्मचारियों को पारस्परिक स्थानान्तर के विशेषाधिकार से वंचित किया जाना ।	100 रुपए
4	8	श्री नायनार	कर्मचारियों द्वारा की गई अपीलों को निपटाने में प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा विलम्ब किया जाना ।	100 रुपए

4	9	श्री नायनार	प्रतिरक्षा विभाग के असैनिक कर्मचारियों को प्रतिरक्षा असैनिक कर्मचारी सेवा आचरण नियमों के नियम 5 के अन्तर्गत नौकरी से निकाल दिया जाना।	100 रुपए
4	11	श्री रामावतार शास्त्री	सामान्य प्रशासन के नाम पर उच्च अधिकारियों पर अत्यधिक व्यय।	100 रुपए
4	12	श्री रामावतार शास्त्री	उच्च अधिकारियों की तुलना में साधारण कर्मचारियों की सुविधाओं पर अधिक खर्च करने की आवश्यकता।	100 रुपए
5	14	श्री स० कुण्डू	उड़ीसा रजीमेंट बनाने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये।
5	16	श्री समर गुह	हिमालय क्षेत्र के लिए गुरिल्ला सेना का गठन न करना।	,, ,,
5	17	श्री समर गुह	सीमांत सहायक सेना तैयार किये जाने में असफलता।	,, ,,
5	20	श्री नारायण दांडेकर	1965 में हुए भारत-पाक युद्ध का अध्ययन करने और उससे सीखने तथा पश्चिमी मोर्चे पर विद्रोहात्मक कार्यवाहियों के लिये उपयुक्त पुनर्गठन, पुनर्सज्जा तथा पुनर्प्रशिक्षण का कार्य करने में असफलता।	,, ,,
5	51	श्री रामावतार शास्त्री	असैनिक कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन तथा भत्ते देने की आवश्यकता।	100 रुपए
5	52	श्री रामावतार शास्त्री	प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों की सुविधाओं की ओर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता।	100 रुपए

6	61	श्री स० कुण्डू	परादीप पत्तन में एक नौसैनिक अड्डे की व्यवस्था करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
6	62	श्री समर गुह	अन्डमान द्वीप समूह में अड्डा बनाने में असफलता ।	,, ,,
6	63	श्री समर गुह	नौसेना में भर्ती की नीति ।	,, ,,
6	64	श्री नारायण दांडेकर	नौसेना का पूर्वी और पश्चिमी दो पृथक बेड़ों में पुनर्गठन करने में असफलता ।	,, ,,
6	68	श्री रामावतार शास्त्री	नौसेना में भर्ती के सम्बन्ध में सभी राज्यों से समान व्यवहार करने की आवश्यकता ।	100 रुपए
6	69	श्री रामावतार शास्त्री	नौसेना में जवानों के निर्वाह स्तर में कमी ।	100 रुपए
7	70	श्री समर गुह	वायुसेना को और मजबूत बनाने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय ।
7	71	श्री समर गुह	वायुसेना के लिये राकेट का निर्माण करने में असफलता ।	,, ,,
7	72	श्री शिंकरे	वायुसेना का विस्तार किये जाने की ओर ध्यान देने में असफलता ।	,, ,,
7	73	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार के लोगों को वायुसेना में पर्याप्त संख्या में भर्ती किये जाने की आवश्यकता ।	100 रुपए
7	74	श्री रामावतार शास्त्री	एयरमैनों की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता ।	100 रुपए

111	79	श्री स० कुण्डू	उड़ीसा में प्रतिरक्षा-आधारित नये उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाय ।
111	80	श्री स० कुण्डू	बालासोर, उड़ीसा में मौजूदा 'प्रूफ' तथा प्रयोग केन्द्र को बड़ा बनाने की आवश्यकता ।	,, ,,
111	81	श्री रामावतार शास्त्री	आयुध कारखानों में छंटनी की नीति ।	,, ,,
111	82	श्री रामावतार शास्त्री	आयुध कारखानों के कर्मचारियों की काम करने की स्थिति में सुधार की आवश्यकता ।	,, ,,
111	83	श्री रामावतार शास्त्री	देश की प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए विदेशों पर निर्भरता ।	,, ,,
111	84	श्री रामावतार शास्त्री	आयुध कारखानों द्वारा पर्याप्त संख्या में नवीनतम हथियार न बनाया जाना ।	,, ,,
111	89	श्री रामावतार शास्त्री	हथियारों के क्षेत्र में देश को आत्म निर्भर बनाने में विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता ।	100 रुपए
111	90	श्री रामावतार शास्त्री	देश में आधुनिक शस्त्र बनाने की आवश्यकता ।	100 रुपए
111	91	श्री रामावतार शास्त्री	आयुध कारखानों के कर्मचारियों की छंटनी ।	100 रुपए
111	92	श्री रामावतार शास्त्री	आयुध कारखानों के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता ।	100 रुपए

सभापति महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair* }

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): अपने पूर्ववक्ता माननीय सदस्य को सुनते समय मेरे मस्तिष्क में एक प्रश्न उठा कि क्या हमेशा हमें विशेषज्ञों पर निर्भर रहना चाहिए ? प्रेसिडेंट कैनेडी की जीवनी में लिखा गया है कि उन्ह विशेषज्ञों पर निर्भर करने के कारण वे क्यूबा को नहीं जीत सके । अगली बार जब उन्होंने विशेषज्ञों की राय पर ध्यान नहीं दिया, तो वे कुछ कर सके थे । विशेषज्ञ विवरण में खो जाते हैं और वस्तु स्थिति को नहीं समझ पाते हैं ।

माननीय सदस्य द्वारा बताये गये हाल के युद्ध के अपने अनुभवों को सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई । मुझे सामरिक नीति के बारे में पुस्तकें और जनरलों के संस्मरण आदि पढ़ने का शौक रहा है । उन्हें पढ़कर मैं इतना कह सकता हूँ कि उस समय की स्थिति के बारे में दो व्यक्ति कभी भी एकमत नहीं हुए हैं । इसलिये मैं तो कहूंगा कि व्यक्तिगत अनुभव राष्ट्रीय नीति के सही मार्गदर्शक सिद्धान्त नहीं हैं ।

आपात स्थिति पर दिये गये वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव
MOTION RE : STATEMENT ON EMERGENCY

श्री हेमबरुआ (मंगलदायी) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि आपात के बारे में गृह-कार्य मंत्री द्वारा 22 जून, 1967 को दिये गये ववतव्य पर विचार किया जाये ।"

मैंने माननीय मंत्री के 22 जून के वक्तव्य को बहुत ध्यान पूर्वक एवं सतर्कता से पढ़ा है और उसके पढ़ने से मुझे बहुत ही निराश हुई है क्योंकि उनका यह ववतव्य उन आशाओं के विपरीत है, जो 18 मार्च को दिये गये उन के ववतव्य से देश को हुई थी और जिसमें संकेत दिया गया था कि इस देश से आपत की स्थिति समाप्त कर दी जायेगी । उन्होंने अपने वक्तव्य के पक्ष में कुछ तर्क पेश किये हैं, जिनका में विस्तार से उल्लेख नहीं करना चाहता । तथापि मेरा निवेदन है कि उनके वे तर्क संतोषजनक नहीं हैं ।

उन तर्कों से तो केवल यह सिद्ध होता है कि माननीय गृह मंत्री में दूरदर्शिता कि कमी है तथा वह वास्तविकता को नहीं समझते हैं । मैं उनसे यह आशा नहीं करता था । यह तथ्य है कि जब तर्क समाप्त हो जाता है, तो मनोवेग से काम किया जाता है, जिस से राजनैतिक सूझबूझ खत्म हो जाती है । माननीय मंत्री ने मनोवेग से काम करने का परिचय दिया है ।

दुर्भाग्य से माननीय मंत्री की यह प्रवृति है कि वह विरोधी पक्षों पर दोष लगाते हैं । उन्होंने विरोधी पक्षों पर दोष लगाया है । परन्तु में समझता हूं कि यह समझने में विशेष बुद्धि की आवश्यकता नहीं है कि वह आपात को अनिश्चित काल के लिये क्यों बढ़ा रहे हैं ।

उन के 22 जून के वक्तव्य से यह पता चलता है कि वह आपत्त को अनादि काल तक बढ़ाना चहाते हैं। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चुनाव के दौरान कांग्रेस दल ने जनता को यह आश्वासन नहीं दिया था कि आपात को समाप्त किया जायेगा ? मेरा अनुरोध है कि माननीय मन्त्री इस प्रश्न का उत्तर दें।

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. **Speaker** *in the Chair* }

मैं सत्ताधारी दल के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या वे आपात को जारी रखने के बारे में जनता का निर्णय लेने को तैयार है। इस सरकार ने नैतिकता को तिलांजली दे दी है और यह हर संभव तरीके से सत्ता से चिपका रहना चाहती है, चाहे आवश्यकता पड़ने पर इसे अनुचित तरीके ही क्यों न अपनाने पड़े। जब 26 नवम्बर, 1962 को चीन के आक्रमण के समय आपात की उद्घोषणा की गई थी, तो देश में एक व्यक्ति का स्वर भी सुनाई नहीं दिया था, जिसमें इस उद्घोषणा का विरोध किया गया हो। भारत की जनता तथा संसद ने एक मत होकर आपात का समर्थन इसलिये किया था, क्योंकि वे समझते थे कि इससे हमारी प्रतिरक्षा शक्ति अधिक सबल होगी। परन्तु हुआ कुछ ओर ही है। आपात की शक्तियों का, प्रतिरक्षा के सबल बनाने के स्थान पर कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण प्रयोग किया जा रहा है। माननीय मंत्री का कथन है कि आपात की शक्तियों का प्रयोग देश के कुछ भागों में नहीं किया जायेगा। संवभत: उनका आशय आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों से है। परन्तु यदि आन्ध्र प्रदेश का कोई जिलाधिकारी अथवा पुलिस अधिकारी किसी छोटे दुकानदार को बर्बाद करना चाहता है, तो क्या आप उसे कानूनी तौर पर ऐसा करने से रोक सकते हैं ? आप उसे नहीं रोक सकते। अतः वास्तविकता तो यह है शक्ति से चिपके रहने की लिप्सा के कारण सरकार ने आपात का वह मूल उद्देश्य खत्म कर दिया है; जिसके लिये जनता ने सहर्ष उसे यह शक्तियां दी थी।

अनिश्चित काल के लिये आपात का समय बढ़ाने की वकालत करते समय गृह कार्य मंत्री ने कहा है कि हमें बाहरी हमले का डर है। सरकार यह अनुमान लगाती है कि एक दिन चीन अथवा पाकिस्तान हम पर हमला करेगा। यह सब कल्पना है तथा कल्पना को वास्तविकता नहीं समझना चाहिये। वास्तविकता तो यह है कि सरकार वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने में असफल रही है, अन्यथा वह आपात का समय बढ़ाने की वकालत नहीं करती। जब चीन ने 20 अक्तूबर, 1962 को भारत पर आक्रमण किया तो उस समय आपात नहीं थी तथा इसकी घोषणा छः दिन बाद की गई थी। अतः क्या यह कहना उचित है कि चीन के हाथ हमारी हार इस कारण से हुई, क्योंकि यहां आपात की स्थिति नहीं थी ? क्या लोग यह कहेंगे कि क्योंकि 20 अक्तूबर को आपात की स्थिति नहीं थी, इस लिये हम चीन का मुकाबला अच्छी तरह से नहीं कर सके। मैं समझता हूं ऐसा कहना बुद्धि के दिवालियेपन का परिचय देना है। चीन का आक्रमण तो केवल कुछ दिन ही रहा था, परन्तु राष्ट्र पांच वर्षों से आपात का शिकार बना हुआ है। संविधान के अन्तर्गत नागरिकों को दिये गये मौलिक अधिकारों को आपात के कारण शीतागार में रख दिया गया है। हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था छिन भिन्न हो गई है। एक उच्च न्यायालय के

बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा इसी तरह ने अनेक उच्च न्यायालय उत्तपात को जारी रखने के विरुद्ध निर्णय दे रहे हैं, क्योंकि इस से लोगों को उन के मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। देश के विधि विशेषज्ञों ने भी आपात को जारी रखने की आलोचना की है। क्या गृह कार्य मंत्री भारत को छोड़ कर संसार के किसी एक भी अन्य देश का नाम बता सकते हैं, जहां इतने अधिक समय तक आपात लागू रही हो। यहां तो आपात स्थायी हो गया है। प्रजातंत्रात्मक देशों में बाहरी खतरा पैदा होने पर आपात घोषित की जाती है और बाहरी खतरे के समाप्त होते ही उसे खत्म कर दिया जाता है। परन्तु इस देश में आपात स्थायी हो गई है क्योंकि कुछ लोग शक्ति से चिपका रहना चाहते हैं।

माननीय मंत्री शायद यह तर्क पेश करना चाहते हैं कि आपात को इसलिये जारी रखा जा रहा है ताकि लोगों में अवलम्बनीयता अर्थात समय नष्ट न करने की भावना पैदा हो। मुझे खेद है कि हमारे देश में यह भावना नहीं है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि चीन के हमले के समय भी यह भावना नहीं थी। सरकार के पास शक्ति होते हुए भी सरकार यह भावना पैदा करने में असफल रही है। इसके अतिरिक्त यदि माननीय मंत्री यह कहते हैं कि पाकिस्तान के हमले के समय आपात से हमें लाभ हुआ है, तो यह कहना भी सच नहीं है। आपात की शक्तियां होते हुए भी 5,000 सशस्त्र पाकिस्तानी काश्मीर में श्रीनगर तक घुस आये और सरकार उन्हें निकाल बाहर नहीं कर सकी। वह संसार के अन्य देशों के सामने चिल्लाने लगी कि पाकिस्तान से कहो वह अपने गैर कानूनी घुसपैठियों को वापस बुलाये। यदि गैर कानूनी घुसपैठियों को निकाल बाहर नहीं किया गया तो आपात की शक्तियों का लाभ ही क्या हुआ। यह सच है कि चीन से खतरा है। चीन ने आणविक तथा ताप आणविक हथियार बना लिये हैं और वह भारत पर आक्रमण करने की स्थिति में है। परन्तु चीन के आक्रमण का मुकाबला करने के लिये हमें आयात के उपबन्धों की आवश्यकता नहीं है। इसके लिये हमें अपनी आर्थिक एवं सैनिक शक्ति को सबल बनाना चाहिये।

आणविक या ताप आणविक युद्ध के खतरे का मुकाबला तभी हो सकता है, जब हम स्वयं इन शक्तियों का विकास करें। आपात हमारी रक्षा नहीं कर सकती।

माननीय मंत्री ने कहा है कि नागा तथा मिजो विद्रोहियों की चीन के साथ सांठ गांठ है तथा इसका मुकाबला करने के लिये आपात को जारी रखा जा रहा है। परन्तु क्या उन्हें यह तथ्य याद नहीं है कि इस सभा में यह कहा गया था कि यह सांगगांठ वर्ष 1963 में शुरु हुई थी। जब यह सांठगांठ शुरु हुई थी उस समय सरकार के पास आपाती शक्तियों सहित सभी शक्तियां थी। 15 महीने पहले मिज़ो पहाड़ियों में हुए विद्रोह से लेकर आज तक मिज़ो लोग लगातार चीन और पाकिस्तान से गठबन्धन किये हुए है। वह यहां से पाकिस्तान जाते हैं तथा वहां से विमान द्वारा गुरैला युद्ध का प्रशिक्षण देने के लिये एवं हथियार देने के लिये उन्हें चीन भेजा जाता है।

आपती शक्तियों के होते हुए भी सरकार इस सांठ गांठ को खत्म नहीं कर सकी हैं, क्योंकि वह अपने ही दल में शक्ति संघर्ष में व्यस्त है।

माननीय गृहकार्य मंत्री बहुत बुद्धिमान एवं दूरदर्शी व्यक्ति है और मैं आशा करता हूं कि वह इसी समय यह घोषणा करेंगे कि आपात को समाप्त किया जाता है। यदि हमला होता है, तो हमें उन्हें वह सभी शक्तियां देने में हर्ष होगा जो चीन अथवा पाकिस्तान, जो भी हम पर हमला कर के मद को चकनाचूर करने के लिये आवश्यक हों। ऐसी स्थिति में हम उन के साथ हैं। अतः उन्हें अभी घोषणा करनी चाहिये कि आपात को समाप्त किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि आपात के बारे में गृह-मंत्री द्वारा 22 जून, 1967 को दिये गये वक्तव्य पर विचार किया जाये।"

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) :मैं अपना स्थान्नापन प्रस्ताव संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं अपना स्थान्नापन प्रस्ताव संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं अपना स्थान्नापन प्रस्ताव संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं।

श्री हुमायून कबिर (बसिरहाट) : मैं अपना स्थान्नापन प्रस्ताव संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : सरकार द्वारा आपात काल को खत्म न किया जाना, अपनी असफलता को स्पष्टतया स्वीकार करना है। जिस समय चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया था तो सभा ने एक होकर सरकार का समर्थन किया था और राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषण की सरहाना की थी। परन्तु अब चीनी वापस चले गये हैं। देश को ऐसी आपाती शक्तियों की अब कोई आवश्यकता नहीं है और प्रशासन को सामान्य ढंग से चलाया जा सकता है तथा जनता को उसके सब संवैधानिक अधिकार दिये जा सकते हैं। परन्तु ऐसा करने के स्थान पर सरकार ने इतने दीर्घ काल तक आपात को जारी रखा है तथा इसका मनमाने ढंग से दुरुपयोग किया जा रहा है। सरकार चाहे जो कुछ कहे परन्तु वह स्वयं समझती है कि आपात काल की आवश्यकता नहीं है और वह इसको इसलिये जारी रखे हुए है क्योंकि इसके होते हुए वह मनमाने ढंग से शक्ति का दुरुपयोग कर सकती है और कर रही है। इस सभा के अनेक सदस्यों द्वारा तथा जनता के विभिन्न वर्गों द्वारा यह विरोध प्रकट किये जाने पर कि सरकार शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, वह इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल रही है। भूतपूर्व गृह मंत्री ने कहा था कि बहुत से राज्यों ने शक्ति का दुरुपयोग किया है। सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि आपात की स्थिति केवल उन सामरिक महत्व के क्षेत्रों में जारी रखी जायेगी, जहां आक्रमण का तथा कुछ वर्गों द्वारा विद्रोह किये जाने का डर है और बाकी सारे देश में आपात को समाप्त किया जायेगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि राज्य सरकारों को आपाती शक्तियों का दुरुपयोग न करने के स्पष्ट निदेश दिये जायेंगे। आपात को जारी रखने को औचित्य नहीं है। हमने बार बार कहा है कि सरकार के पास विभिन्न अराजकतावादी तत्वों को दबाने के लिये पर्याप्त शक्तियां हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने निवारक निरोध अधिनियम का प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया है कि विभिन्न वर्ग के लोगों की असंवैधानिक

कार्यवाही का मुकाबला करने के लिये यह शक्ति पर्याप्त है और आपाती शक्तियों की कोई आवश्यकता नहीं है ।

सरकार ने विपक्षी दल के नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया था तथा उसे आशा थी कि वे सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावित संशोधन से सहमत हो जायेंगे । परन्तु इस सम्बन्ध में कोई समझौता न हो सकने के कारण सरकार को निराशा हुई है । अब वह कहती है कि 1 जुलाई, 1967 से आपात को समाप्त नहीं किया जायेगा । सरकार को इस तारीख से आपात को समाप्त कर देना चाहिये था । सरकार को अब आपात की शक्तियों की कोई आवश्यकता नहीं है, परन्तु वह इन शक्तियों से इस प्रकार चिपटे हुए है, जैसे कोई बच्चा किसी बालगाड़ी के सहारे चलना सिखता है, और जब वह चलना सिखता है, और जब वह चलना सिख जाता है, तो भी उस गाड़ी को छोड़ना नहीं चाहता । इस प्रकार सरकार अब इन शक्तियों की जरुरत नहीं है, परन्तु वह इन्हें छोड़ना नहीं चाहती । अतः सरकार की इस कार्यवाही को बुद्धीमानी नहीं कहा जा सकता । सरकार बहुत सी शक्तियां चाहती है, परन्तु वह उनके इस्तेमाल करने के लायक नहीं है । सरकार देश के हितों की रक्षा करने में सब अवसरों पर असफल रही है । अतः अब तक की सरकार की कार्यवाही का मूल्यांकन करने पर यह कहा जा सकता है कि सरकार एक अवसर पर ही नहीं, अपितु जब कभी देश के हितों की रक्षा करने का अवसर आया है, सरकार उनकी रक्षा करने में सदा असफल रही है ।

सरकार हमें यह बताये कि उसे किन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये इन आपाती शक्तियों की आवश्यकता है । क्या वह इनका प्रयोग नागाओं, मिज़ो लोग तथा काश्मीरियों के विरुद्ध करना चाहती है । वास्तविकता तो यह है कि नागा लोग तथा मिज़ो लोग हमारे संविधान तथा संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की कोई परवाह नहीं करते हैं । उनके लिये यह अर्थहीन है कि आपात है अथवा नहीं । आपात का असर तो देश के अन्य भागों के लोगों पर पड़ता है जो संविधान में विश्वास करते हैं और मौलिक अधिकारों के महत्व को समझते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि उन लोगों के कारण जो संविधान की कोई परवाह नहीं करती सरकार अन्य लोगों से रूष्ट क्यों है और आपात को समाप्त क्यों नहीं करती है । नागा लोगों ने तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है और उन्होंने अपनी स्वतंत्र सरकार कायम कर ली है । मिज़ो लोग भी ऐसा करने की सोच रहे हैं । ऐसी स्थिति में यह कहना कि इन लोगों के कारण आपात को जारी रखा जा रहा है, उचित नहीं है ।

हम नागा लोगों की समस्या से निपट रहे थे तो भी इन आपातकाल सम्बन्धी शक्तियों की आवश्यकता नहीं पड़ी । इसी प्रकार काश्मीर की समस्या के सुलझाने के समय भी इन की आवश्यकता नहीं पड़ी । इसलिये इन समस्याओं से निपटने के लिये इन शक्तियों की आवश्यकता नहीं है ।

आज देश के बहुत से राज्यों में गैर–कांग्रेसी सरकार हैं और मान लीजिये कि सरकार इन अधिकारों को उनके विरुद्ध प्रयोग करती है, उस समय इसका निवारण कैसे होगा ? सरकार इन शक्तियों को इसलिये अपने पास रखना चाहती है ताकि इन्हें गैर-कांग्रेसी सरकारों के विरुद्ध प्रयोग किया जा सके ।

क्या कारण है कि सरकार राज्य सरकारों से सहयोग लिये बिना अपने लिये यह अधिकार लेने जा रही है इसका एक ही कारण है। कि गैर–कांग्रेसी सरकारों को इन अधिकारों द्वारा समाप्त किया जा सके।

केरल में भी सरकार ने साम्यवादी सरकार को समाप्त कर दिया था ताकि वहां कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो सके परन्तु वहां के लोगों ने कांग्रेस को बहुमत नहीं दिया और उन्होंने श्री गोपालन तथा उनके साथियों को चुनकर भेज दिया। इन बातों को देखते हुए हम किस प्रकार श्री चव्हाण का आश्वासन मान सकते हैं कि इन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं होगा ?

हां यदि सरकार हमें यह यकीन दिला दे कि देश में वास्तव में आपात कालीन स्थिति उत्पन्न हो गई है अथवा चीन तथा पाकिस्तान फिर से हमारे देश पर आक्रमण कर देते हैं तो सारा देश तथा संसद न केवल सरकार को आपात कालीन शक्तियां देने को तैयार होगा बल्कि जिस चीज की भी इसे आवश्यकता होगी वह देगा ताकि देश की क्षेत्रीय अखंडता को बनाये रखा जा सके।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : Sir if we analyse the invectives which the mover of the resolution has used against the government it will be seen that there is no basis in what he has said. He stated that the emergency powers sought by the government will be used against the political opponents but he has failed to cite even one single example in support of it. The government has always tried and taken precautions to see that these powers may not be misused. He also stated that there is no necessity for obtaining these emergency powers.

I can admit that these powers will be used by officers and they too are human beings. Some lapses can occur on their part. The Government in fact wants these powers for use in certain border areas. To translate the same into action a consitiutional amendment is required for which too the opposition is not prepared. Therefore the Government have come out to extend the emergency. Hence the Government cannot be blamed for continuing the emergency. The Government has to continue emergency for solution of the problem of border areas where there is danger of Mizos and Nagas. It is also wrong to suggest that an ordinary law is sufficient to deal with the situation there.

The foreign countries were supplying arms to the people in border areas. It was to deal with such a situation there that the Government wants these emergency powers. The opposition parties should have accepted the idea of continuing the emergency in the border areas as it is in the interest of the country. It will not be possible to defend the country without amendment of the Constitution. We cannot deal with the situation like looting of trains with the ordinary law. If we want to gain more strength the Government should get more powers to defend the country.

Shri A. B Vajpayee (Balrampur) : There is provision for emergency powers under Article 352 of the Constitution to deal with external aggression or internal disorder. But such an emergency can remain in force only for a period of two months. But is it in pursuance of the spirit of the Constitution to continue these emergency powers for five years.

There is emergency in the country but is there realisation of it too ? Do the people feel that such an emergency is required in the country ? There is no such feeling and realisation.

The Minister gave a word on the first day of the session that the emergency would be revoked from first July but he is not doing so. Hence he is guilty of the breach of promise. The Home Minister should convince the opposition parties that the emergency would be used only to deal with foreign aggression. If Government requires these powers to regain our territories which are under the Chinese and the Pakistan, we would be most willing to give them such powers. You cannot deprive the citizens the use of fundamental rights for an indefinite period merely on the plea that there is apprehension of the danger. We should also learn with dangerous situations.

We are against the concept that there should be emergency in certain parts only of the country and not in others. If there is danger to one part of the nation the same should be shared by all the parts of the nation. The Government has already sufficient powers to deal with such situations. After all these powers will be used through the State Governments. Why are they not using those powers as given in Safety Acts etc. ?

Previously the Home Minister used to talk lot about the State Governments but he is not doing so now. I want to know the number of Chief Ministers with whom the Home Minister had talked in this connection ? After all the Chief Ministers are responsible persons.

I would request the Home Minister to reconsider the situation is there are still some days left in 1st July. The whole country would be behind him when there is real danger before the country otherwise he will not have the cooperation at that time.

श्री सेभियान (कुम्बकोणम) : मैं श्री हेम बरुआ के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ जिसका कुछ सदस्यों ने संशोधन किया है तथा माँग की है कि आपात्तकालीन स्थिति को पहली जुलाई से समाप्त किया जाये । गृह कार्य मंत्री ने 18 मार्च को कहा भी था कि आपातकालीन स्थिति पहली जुलाई को समाप्त कर दी जायेगी । परन्तु अब वह एक लम्बा विवरण ले आये हैं और कहते हैं कि आपातकालीन स्थिति की क्यों आवश्यकता है ।

गृह कार्य मंत्री वैसे तो लोकतांत्रिक भावना दिखाना चाहते हैं परन्तु उन्होंने यह भावना पारपत्र विधेयक के समय क्यों नहीं दिखाई जब सारा सदन उस विधेयक के विरुद्ध था ?

संशोधन में दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं । एक तो वह आपतकाल की स्थिति को कुछ ही क्षेत्रों में रखना चाहते हैं । दूसरे वह उन सरकारी अधिकारियों को बचाना चाहते हैं जिन्होंने आपातकाल के समय अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया था । यदि सरकार का अपना मन साफ है कि उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया तो फिर उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है । परन्तु उनका मन साफ नहीं है । एक बार स्व० श्री नेहरू ने कहा था कि चीन का खतरा तो एक हजार साल तक बना रह सकता है । क्या फिर आपातकाल की स्थिति भी एक हजार वर्ष तक रहेगी ?

आपातकालीन अधिकारों का बहुत हद तक दुरुपयोग किया है । आपतकाल में अनुच्छेद 19(1) के अन्तर्गत सारे मूलभूत अधिकार कार्य में नहीं लाये जा सकते । यदि आप किसी व्यक्ति को एक बार गिरफ्तार कर लें तो उसके सारे मूलभूत अधिकार बेकार हो जाते हैं । देश के बहुत से न्यायाधीशों तथा न्यायशास्त्रियों ने इसके विरुद्ध निर्णय दिये हैं और कहा है कि इन आपतकालीन शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है । और तो और भूतपूर्व विधि मंत्री श्री अशोक

सेन जब वे मंत्रिमंडल से अलग हो गये तो 1966 में उन्होंने कहा कि आपातकालीन स्थिति को अब हटा देना चाहिये क्योंकि जिस उद्देश्य के लिये इसे लागू किया था वह स्थिति अब बाकी नहीं रही।

यदि गृह कार्य मंत्रालय यह समझता है कि राज्य सरकारों के पास बहुत से अधिनियम हैं तो फिर वह आपातकाल की स्थिति को क्यों बनाये रख रहे हैं? कारण यह है कि बाहर से आक्रमण का अब खतरा नहीं है परन्तु सत्तारूढ़ दल ने जो इन अधिकारों का दुरुपयोग किया था उन्हें बनाये रखने के लिये यह इन अधिकारों को रखना चाहते हैं।

श्री कृष्णकुमार चटर्जी (हावड़ा) : आपात स्थिति को समाप्त नहीं किया जाना चाहिये। देश के सामने गम्भीर खतरा है। समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि पुंछ-राजौरी क्षेत्र में पाकिस्तानी अधिकारियों ने लगभग 10,000 व्यक्ति युद्धविराम रेखा की ओर भेजे हैं ताकि वे गुप्त रूप से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर सकें। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से बहुत से व्यक्तियों को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया है।

नक्सलबाड़ी, खडाईबाड़ी और फंसीदेवा में स्थिति अभी भी अशान्त है। नागा और मिजो समस्यायें भी अभी बनी हुई हैं। चीन से भी खतरा बना हुआ है। सिक्किम के सीमान्त क्षेत्र में चीन की सेना का बहुत बड़ी संख्या में जमाव हो रहा है।

देश इस समय बाहरी और अन्दरुनी दोनों ओर से खतरों का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में आपात स्थिति जारी रहनी चाहिये।

श्री अ० डांगे (बम्बई-मध्य दक्षिण) : आपात स्थिति ने मूलभूत अधिकारों को समाप्त कर दिया है और लोकतन्त्र को तानाशाही में परिवर्तित कर दिया है। हमारे देश में वस्तुतः अब पुलिस राज्य है।

आपात स्थिति का मुख्य उद्देश्य आदिम जातीय लोगों के विरुद्ध लड़ाई का जारी रखना है। मिजो और त्रिपुरा के आदिवासियों और आसाम के कुछ अन्य आदिवासियों का उल्लेख किया गया है। आदिवासियों के विरुद्ध लड़ाई समाप्त की जानी चाहिये। आदिवासियों के विरुद्ध सनिक कार्यवाही की जाने से समस्या हल नहीं होगी।

नागाओं के एक प्रतिनिधिमंडल को, जिसे सरकार ने विद्रोही घोषित कर दिया था, इंगलैंड जाने तथा वहां से लौटने की पूरी सुविधाएं प्रदान की गईं। छिपे नागाओं को यह आश्वासन देकर प्रधानमन्त्री से मिलने की अनुमति दी गई कि आपात की घोषणा के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जायेगी। क्या यह नीति है या नीति का दीवालियापन है? नागाओं की समस्या स्वयं सरकार ने खड़ी की है और उसी ने उसे बिगाड़ा है। उसी ने एक ब्रिटिश एजेंट माइकल स्काट को नागा विद्रोह को मजबूत बनाने की अनुमति दी। सरकार आसाम मिजो पहाड़ियों और अन्य क्षेत्रों के 6 लाख आदिवासियों की समस्या उन्हें संविधान के अधीन स्वायत्तशासी राज्य देकर हल कर सकती है।

आपात जारी रखने का एक कारण यह है कि नक्सलबाड़ी की स्थिति जैसी स्थितियों से निपटा जाये। मालूम ऐसा होता है जैसे नक्सलबाड़ी का छोटा सा क्षेत्र पूरी भारतीय सरकार को पलटने के लिये तैयार है और इसलिये आपात जारी रखा जाना चाहिए।

कांग्रेस दल को अपना कुशासन साधारण तरीकों से जारी रखने की अब कोई आशा नहीं है और इसलिये उन्हें मूलभूत अधिकार और संविधान निलम्बित कर देना चाहिये और आपात-काल जारी रखना चाहिये जिससे वे इस देश पर शासन कर सकें। पांच वर्षों के दौरान एक बार भी चोरबाजारियों के विरुद्ध आपात का प्रयोग नहीं किया गया है। हजारों राजनैतिक कार्यकर्ता जेल में डाले जा रहे हैं। अब भी हड़तालों को कुचला जा रहा है। सरकार की अस्त-व्यस्त अर्थव्यवस्था में, जिस पर बिड़ला बन्धुओं और एकाधिकारियों का बोलबाला है, आन्तरिक गड़बड़ का मुकाबला करने के लिए आपात शक्तियों का प्रयोग कर रही है। लोगों के साथ धोखेबाजी करने के लिये चीन और पाकिस्तान का उल्लेख किया जा रहा है। सरकार का मुख्य लक्ष्य यह है कि अलोकतंत्रात्मक शासन को स्थायी बनाया जाये। एकाधिकारियों की सहायता की जाये और पुलिस राज्य कायम रखा जाये।

आपात को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। इसे समाप्त किया जाना चाहिये।

Shri George Fernandes (Bombay–South) : The framers of the Constitution had incorporated emergency provisions in the Constitution with a view to safeguarding the Constitution. Their intention at that time was not to enforce emergency for a long time. We should always keep in mind the intentions of the framers of the Constitution.

This should also be understood that if the emergency is lifted now, it can again be enforced when a serious situation develops in the country.

The President has powers to do so under the Constitution.

It had been announced by the hon. Home Minister some-time ago that emergency would be lifted from 1st July. Why that decision has been changed now? Has the internal and external situation undergone any change in the meanwhile ? It has been said that this question would be reviewed in October-November again. How can we say now as to what will be the situation then ?

Government have ample powers to deal with internal troubles. They can make use of similar powers under the Preventive Detention Act and other statutes. Therefore there is no need for continuing the present emergency.

So far as the Naga problem is concerned, it existed even before the proclamation of emergency. And so far as the Mizo rebels are concerned, Government are not themselves serious about this problem. It can be very well handled by taking stringent measures against them. Government are not justified to continue the present emergency on the pretext of danger of rebellion by the Naga and Mizo rebels.

Government have misused the emergency powers to sabotage public as well as labour agitations. These emergency powers have been used for effecting arrests of those labour leaders who have always cooperated with the Government in national crisis.

Emergency should not be continued any longer and should be lifted without further delay.

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : मै इस बारे में जो कुछ बातें कहना चाहता था उनका मेरे से पहले के वक्ताओं द्वारा पहले भी उल्लेख किया जा चुका है । मैं इस आपातकाल का स्वयं एक शिकार रहा हूँ । आपातकाल के बने रहने से मुझे दुबारा इसका शिकार बनाया जा सकता है । मैं यह नहीं बताना चाहता कि इन आपात शक्तियों का किस प्रकार दुरुपयोग किया गया है क्योंकि कुछ उदाहरण पहले ही दिये जा चुके हैं । मेरे पास भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं ।

मेरे साथ जेल में बहुत बुरा व्यवहार किया गया। मेरे पत्र अध्यक्ष के पास नहीं जाने दिये गये । मैंने एन० सी० चटर्जी को एक पत्र लिखा था जिसे दो महीने तक उसे नहीं भेजा गया । मैंने वहां के उच्च न्यायालय के सामने अपना मामला पेश किया तब जाकर ये सब चीजें बन्द हुईं । मैं यह सब इसलिये बता रहा हूँ कि मुझे राजनीतिक बदले की भावना से ही गिरफ्तार किया गया था। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा आपात का कोई प्रश्न नहीं था । ऐसे मामलों में तो भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जा सकती है । परन्तु गृहमन्त्री जी कहते हैं कि आपात शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया गया है । उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया है कि आपातकाल समाप्त होने के पश्चात् आपात शक्तियों के अन्तर्गत नजरबंद किये गये व्यक्ति न्यायालय में अपना मामला ले जा सकते हैं और यदि वे यह सिद्ध कर दें कि उन्हें गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार किया गया था तो वे मुआवजे की मांग कर सकते हैं । क्या आपातकाल समाप्त करने के बाद गृहमन्त्री उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का आदर करेंगे और उस पर कोई अंकुश नहीं लगायेंगे ? यदि ऐसा किया गया तो राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार को बहुत से मामलों में मुआवजा देना पड़ेगा और तब देशवासियों को पता लग जायेगा कि लोगों को बिना किसी औचित्य के कैसे गिरफ्तार किया गया था ।

गृह मंत्रालय का आपातकाल जारी रखने संबंधी वक्तव्य संविधान द्वारा दिए गए मूलभूत अधिकारों पर कुठाराघात है । यहां पर लोकतंत्र नाममात्र में ही रह गया है । निवारक निरोध अधिनियम तथा पिछले पांच वर्षों से आपात शक्तियों के होते हुए यदि सरकार नहीं चल सकती है तो वह लोगों का विश्वास खो बैठती है और आपातकाल जारी रखने की बजाय उस सरकार को उखाड़ फैंकना चाहिये ।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपातकाल को जारी रखने के बारे में मुख्यमंत्रियों से परामर्श किया गया था और यदि हां, तो कितने इससे सहमत हुए थे और कितने नहीं ।

यह कहा जाता है कि देश में गंभीर स्थिति विद्यमान है और इसलिए आपातकाल जारी रहना चाहिए । परन्तु दूसरी ओर 6000 इमर्जेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को नोटिस दिये गए हैं और सितम्बर में उनकी छुट्टी कर दी जाएगी । इससे सेना के मनोबल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

देश के अन्दरुनी तथा बाहरी हालात को देखते हुए आपातकाल जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है । यह कहा गया है कि सरकार इन शक्तियों को कुछ क्षेत्रों के लिए ही प्रयोग

में लाना चाहती है । परन्तु आपातकाल का अर्थ तो राष्ट्रीय संकट ही हो सकता है। यह नहीं हो सकता कि देश के एक भाग में तो आपात की स्थिति लागू हो और अन्य भागों पर वह लागू न हो । यदि आपात स्थिति लागू की जाती है तो वह सारे देश पर ही लागू की जानी चाहिये । इसका अनुभव कुछ ही क्षेत्रों के लोगों की बजाय भारत के सभी लोगों को होना चाहिए । इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि चूंकि विरोधी पक्ष आपातकाल को कुछ क्षेत्रों तक सीमित करने के लिए राजी नहीं हुआ इसलिए आपातकाल जारी रखने के लिए यह नया प्रस्ताव लाया गया है । नक्सलबाड़ी का प्रश्न आंतरिक गड़बड़ी से कोई सम्बन्ध नहीं रखता । यह एक भूमि सम्बन्धी प्रश्न है । जब तक बेरोजगारी, जमाखोरी और कर्मचारियों में असंतोष फैलाने वाली ताकतों को नहीं रोका जाता तब तक इस प्रकार की आन्तरिक गड़बड़ी बनी रहेगी और घेराव तथा लूटपाट की घटनाएं होती रहेंगी । यदि आन्तरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल जारी रखना जरूरी है तो यह आपातकाल कभी भी समाप्त नहीं होगा ।

चीन और पाकिस्तान के बारे में भी स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ा है । इसका अर्थ भी यही है कि आपातकाल सदैव ही जारी रहेगा । इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सब समस्याओं का हल निकाला जाना चाहिये ।

आपात स्थिति को समाप्त किया जाना चाहिए । वास्तविक खतरा उत्पन्न होने पर इसे पुन: लागू किया जा सकता है । यदि सरकार हमेशा के लिए नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित रखेगी तो वह अधिक दिन तक नहीं टिक सकेगी ।

Shri M. Y. Saleem (Nalgonda) : Opposition Members have opposed the continuation of emergency in the country. But they have not advanced any cogent arguments to justify their stand. The fact, on the other hand, is that the country is still faced with internal as well as external dangers.

{उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए}
{Mr. Deputy Speaker *in the Chair.***}**

It is not correct to say that Government is misusing the emergency powers that have been conferred on it. Had it been correct the opposition members would not have found themselves in so large a number here. Not a single instance is there when at the time of general elections the emergency powers have been used against any person on account of his political leanings. If there has been some case of taking a wrong decision in regard to the use of these powers, it cannot be argued that the emergency should be lifted because the national security is much more invaluable.

It is correct that the hon. Home Minister had earlier declared that the emergency would be lifted from 1st July but that declaration was conditional. The condition was that it would be retained in some areas. No body objected to that condition at that time. Now when the question of amending the constitution for this purpose has arisen, the opposition is not giving its cooperation to the Government. The Government has been left wtih no other alternative than to retain the emergency in the whole of india.

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित–आंग्ल–भारतीय) : मुझे आशा है कि माननीय गृह मन्त्री मेरे स्थानापन्न प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। मेरे विचार से विरोधी पक्ष के काफी

सदस्य एक शर्त पर कुछ चुने हुए नाजुक क्षेत्रों पर आपात स्थिति लागू रखने की बात को स्वीकार करने के लिये तैयार हो जायेंगे। वह शर्त यह है कि सरकार या तो अनुच्छेद 358 को हटा दे या उसमें कोई उचित संशोधन करने के लिये कार्यवाही करे। विधिवेत्ताओं की आम राय यह है कि यदि कोई देश युद्धरत नहीं हो तो आपात की स्थिति छैं महीने से अधिक समय तक नहीं रहनी चाहिये। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य भी यही था। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि सरकार कुछ चुने हुए क्षेत्रों पर ही आपातकाल लागू रखना चाहती है। परन्तु ऐसा तभी किया जा सकता है जब अनुच्छेद 358 को हटा दिया जाये या उसमें उचित संशोधन कर दिया जाये। अनुच्छेद 358 के रहते हुए एक नगरपालिका तक भी किसी असहाय व्यक्ति का व्यवसाय या धन्धा छीन सकती है जिसका कि देश की सुरक्षा या वैसी किसी चीज से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अनुच्छेद 358 की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार यह कार्य अनुच्छेद 359 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 352 द्वारा ले सकती है।

वकील होने के नाते मैं आपात काल को अनिश्चित समय तक जारी रखने का कड़ा विरोधी हूं। इसे अनिश्चित काल तक जारी रखने से तीन दोष लग जाते हैं; पहला यह है कि अधिकारी इन असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने के आदी हो जाते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वे इनका दुरुपयोग करने लगते हैं। इससे भी बड़ा दोष यह है कि इससे लोगों में आपात की भावना ही खत्म हो जाती है और वे वास्तविक संकट आने पर भी सचेत नहीं किये जा सकेंगे।

इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि इससे विदेशों में हमारी ख्याति गिर जाती है और वे यही समझेंगे कि भारत में अस्थिरता की स्थिति है।

श्री हुमायून कबिर (बसिरहाट) देश के सामान्य कानूनों के अन्तर्गत सरकार देश में कठिन स्थितियों का सामना करती रही है। 1953 में काश्मीर की समस्या के समय और उसके पश्चात् भी कुछ अवधि के लिये किसी आपात स्थिति की घोषणा नहीं की गई थी। इसी प्रकार नागा समस्या 1954 से शुरू हुई जबकि आपात की स्थिति अक्तूबर, 1962 में लागू की गई। अत: सरकार आपात शक्तियों का सहारा लिये बिना काम कर सकती है और देश की सुरक्षा कायम रखी जा सकती है। आज भी निवारक निरोध अधिनियम, लोक सुरक्षा अधिनियम और सशस्त्र सेना विशेष शक्तियां अधिनियम के अन्तर्गत सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां हैं। इसलिये आपात को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है।

यह स्पष्ट है कि सरकार को आपात की स्थिति लागू रखने से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। अगस्त, 1965 में काश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुआ जिसके परिणामस्वरूप बाद में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। आपातकाल के लागू रहते हुए भी सरकार घुसपैठियों के काश्मीर में प्रवेश को नहीं रोक सकी।

आपात का दुरुपयोग किया जाना स्वाभाविक है। कुछ ऐसे उदाहरण विद्यमान हैं जब कि निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और बाद से छोड़ दिया गया। उच्चतम

न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों ने कई निर्णय दिये हैं । जिनमें बार बार इन आपात शक्तियों की आलोचना की गई है । आपात के कारण देश में नागरिक स्वातंत्र्य की भावना कम होती जा रही है ।

अनुच्छेद 352 और 359 (2) के अन्तर्गत आज भी सरकार देश के कुछ भागों में, न कि पूरे देश में, आपात की घोषणा कर सकती है । अनुच्छेद 352 में भारत की सुरक्षा या राज्य क्षेत्र के किसी भाग का उल्लेख है । अनुच्छेद 359 (2) में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मूलभूत अधिकार केवल कुछ भागों में निलम्बित किये जा सकते हैं ।

चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों के कारण उत्पन्न हुई समस्यायें दीर्घकालीन समस्यायें हैं । इन समस्याओं को हल करने के लिये हम आपात स्थिति को अनिश्चित काल तक नहीं बनाए रख सकते । आज देश में आपात स्थिति जैसी कोई चीज नहीं है । और न ही आपात शक्तियों की कोई आवश्यकता है । इन आपात शक्तियों को जल्दी से जल्दी वापिस लिया जाना चाहिये ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Because of the activities of anti-national elements a serious situation has been created in the border areas. The situation in Nagaland, Mizo Hills and Jammu and Kashmir is very grave. Keeping these situations in view we feel hesitant in lifting emergency from the border areas. Still Government should elicit the opinion of the people in regard to the continuance of emergency in the country.

During the recent conflict our countrymen fought the internal and external dangers with fortitude and courage. Whenever there would again be any grave danger to our country, the people will not hesitate to reconfer the emergency powers on the Government. Government should respond to the feelings of the people and behave in a democratic way by lifting the present emergency.

मंत्री द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MINISTER

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मेरी अनुपस्थिति में श्री जार्ज फरनेंडीज ने यह आरोप लगाया है कि मैंने अपनी लड़की की शादी में दो–तीन लाख रुपये खर्च किये हैं । मेरा माननीय सदस्य से केवल इतना ही निवेदन है कि वे अपने दिल को टटोलें और यदि उनके पास कोई प्रमाण न हों तो वे खुले आम मुझ से माफी मांगे ।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : I only said that lakhs of rupees were spent.

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : या तो वे इसे सिद्ध करें या माफी मांगें ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस स्पष्टीकरण के पश्चात् माननीय सदस्य के पास कोई प्रमाण नहीं है । इसलिये उचित यही है कि वे अपने बयान को वापिस ले लें ।

Shri George Fernandes : I have said that lakhs of rupees were spent in that marriage. I want to differentiate between these two statements-money spent by any person or money spent in any marriage. I have mentioned only marriage. Why should I withdraw my words ?

Shri Dinesh Singh : He has explained his position. It is clear that their is no substance in his statement. I seek your permission to drop this matter now.

आपात स्थिति पर दिये गये वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव–जारी

MOTION Re : STATEMENT ON EMERGENCY-Contd.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस समय संविधान में आपात सम्बन्धी जो योजना विद्यमान है उसका आधार संविधान के अनुच्छेद 352, 353, 358 और 359 हैं। वर्तमान आपात की स्थिति सारे देश के लिये है। पिछले कुछ वर्षों में यह आलोचना भी की जाती रही है कि क्या कुछ क्षेत्रों में आपात की स्थिति बनाए रखने के लिये सारे देश पर इसे थोपना जरूरी है। इसलिये यह विचार व्यक्त किया गया कि सारे देश की बजाये कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही आपात की स्थिति कायम रखी जाये। मेरा 18 मार्च का वक्तव्य उसी सम्भावना पर आधारित था। 18 मार्च को मैंने यह नहीं कहा था कि आपात की स्थिति को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिये। मैंने कहा था कि हमारा आशय देश के केवल कुछ ही भागों में आपात स्थिति बनाए रखने के लिये संवैधानिक शक्ति प्राप्त करना है।

इस सारी बात का निर्णय देश के कुछ भागों में विशेषकर पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में विद्यमान स्थिति के बारे में हमारे अनुमान पर निर्भर करता है। नागालैण्ड, मिजो पहाड़ियों और काश्मीर में स्थिति ठीक नहीं है। हम आन्तरिक समस्याओं का सामना करने के लिये आपात की स्थिति जारी रखना नहीं चाहते हैं। परन्तु जब विदेशी राष्ट्र तोड़-फोड़ की कार्रवाइयों में विद्रोही लोगों को सहयोग प्रदान करने लग जाते हैं तो इस समस्या का स्वरूप बिलकुल ही बदल जाता है। नागालैण्ड, मिजो पहाड़ी, आसाम के कुछ भागों तथा जम्मू और काश्मीर में चीन और पाकिस्तान अकेले तथा मिलकर तोड़-फोड़ की कार्रवाइयों में रुचि ले रहे हैं।

मुझे बताया गया है कि इस विषय पर चर्चा आरम्भ होने से पहले इस सभा में प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार किया जा रहा था। उस समय सदस्यों ने यह अवश्य कहा होगा कि देश की सुरक्षा को खतरा है। चीन और पाकिस्तान की सांठ-गांठ की हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। नागालैण्ड, मिजोलैण्ड, जम्मू तथा काश्मीर में केवल भीतरी गड़बड़ी की स्थिति का प्रश्न ही नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हम इन भागों में ही नहीं बल्कि देश के अन्य भागों में भी भीतरी गड़बड़ी की स्थिति का मुकाबला करने के लिये सक्षम हैं। यही कारण था कि मैंने ऐसा आश्वासन दिया था कि आपात की शक्तियों का प्रयोग सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर देश के अन्य भागों में नहीं किया जायेगा। मैं अब भी उस आश्वासन पर दृढ़ हूं। मुझे पता है कि कोई भी सदस्य मुझ से यह प्रश्न कर सकता है कि तुम उस वचन को

कैसे पूरा कर सकते हो । उस पर मेरा यह उत्तर है कि चाहे मैं भारत सुरक्षा अधिनियम में संशोधन नहीं कर सकता परन्तु मैं भारत सुरक्षा नियमों में अवश्य संशोधन कर सकता हूं ।

अब प्रश्न यह उठता है कि एक बार आपात की घोषणा किये जाने के बाद हम उसे देश के कुछ भागों में लागू रख सकते हैं अथवा नहीं ? इस बारे में हमें अनुच्छेद 359 पर विचार करना होगा न कि अनुच्छेद 19 पर जैसाकि कहा गया है । अतः मैं अवश्य ही संविधान विशेषज्ञों से सलाह-मश्विरा करूंगा कि क्या अनुच्छेद 359 के अधीन आपात की स्थिति को कुछ भागों में जारी रखा जा सकता है अथवा नहीं ।

हमारी मंशा जनता के मूलभूत अधिकारों को संकुचित करने की नहीं है । इसके साथ ही साथ हम उन खतरों से विमुख नहीं हो सकते जिनका राष्ट्रीय सुरक्षा को सामना करना पड़ रहा है । मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं, परन्तु क्योंकि ऐसा करना मेरा कर्त्तव्य है इसलिये मजबूर होकर कर रहा हूं ।

माननीय सदस्य श्री डांगे ने कहा है कि हम आदिवासियों से लड़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं । ऐसी बात नहीं है । जैसे मैं इस सभा में पहले भी कई बार कह चुका हूं हम इस प्रश्न को आधारभूत दृष्टि से राजनैतिक प्रश्न समझते हैं । यदि वहां का कोई वर्ग सशस्त्र विद्रोह करना चाहेगा तो हमें अवश्य ही उसका जवाब सशस्त्रों से देना होगा ।

नागालैंड राज्य बन चुका है । परन्तु हम देखते हैं कि इससे नागा समस्या हल नहीं हुई है । यह बात नहीं है कि यह समस्या वहां के लोगों के कारण हल नहीं हुई । इसका कारण यह है कि कोई न कोई व्यक्ति उन्हें दुरुत्साहित कर रहा है । ऐसी स्थिति को देखते हुए ही मैंने कहा हैं कि हमें आपात शक्तियों की आवश्यकता है । जैसे मैं पहले कह चुका हूं । हम इस समस्या से पहले ही पूर्णतया अवगत है; साथ ही साथ मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमें ये शक्तियां अनिश्चित काल के लिये नहीं चाहिये । हम पूरी स्थिति के बारे में नवम्बर या दिसम्बर में पुनर्विचार करेंगे ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : माननीय गृह मंत्री जी ने देश में आपात की स्थिति को जारी रखने के समर्थन में कुछ तर्क प्रस्तुत किये हैं परन्तु उन्होंने कुछ मुख्य बातों का उल्लेख नहीं किया है । मेरे विचार से मुख्य बात संविधान के अन्तर्गत हमें मिलने वाले मूल अधिकार हैं । दूसरी बात यह है कि चीन और पाकिस्तान का अस्तित्व एक ऐतिहासिक बात है । पाकिस्तान और चीन हमारे साथ वर्षों तक शत्रुता रख सकते हैं । इसलिये मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूँगा कि क्या सरकार का विचार तब तक आपात की स्थिति जारी रखने का है जब तक ये दोनों देश हमारे मित्र नहीं बन जाते । मेरी तो यह राय है कि वे हमारे मित्र कभी नहीं बन सकते ।

हमें एक और बात ध्यान में रखनी चाहिये । हमें चीन के प्रतिरोध के कारण आपात की स्थिति को जारी नहीं रखना चाहिये । इससे वह मसला हल नहीं हो सकता है । चीन का मुकाबला करने के लिये हमें और कार्यवाही करनी होगी । उसका मुकाबला करने के लिये हमें अपनी आर्थिक और सैनिक शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा । हमें अमरीका या रूस की "छत्तरी" पर

भी विश्वास नहीं करना चाहिये। हमें पश्चिम एशिया के संघर्ष से सबक सीखना चाहिये। वहां पर भी राष्ट्रपति नासर रूस पर बहुत विश्वास करता था परन्तु संघर्ष के दौरान उसे कोई सहायता नहीं मिली।

अतः मेरा यह मत है कि आपात की स्थिति को शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिये। इस आपात की स्थिति ने तो हमारे राष्ट्र के नाम को धब्बा लगा दिया है और विदेशों में हमारे देश के चित्रण को कलुषित कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The substitute motion No. 2 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4 को मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 4 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The substitute motion No. 4 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 5 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 5 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ :

The substitute motion No. 5 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 6 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या 6 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The substitute motion No. 6 was put and negatived.

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 27 जून, 1967। 6 आषाढ़, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday. June 27, 1967. Asadha 6, 1889 (Saka).

———